

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन
तथा
भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन
पर प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (रेलवे)
(अनुपालन लेखापरीक्षा)
2024 की संख्या 5

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन

तथा

भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन

पर प्रतिवेदन

_____को लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर रखा गया

संघ सरकार (रेलवे)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2024 की संख्या 5

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में दो विषयों अर्थात् “भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन” एवं “भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन” पर संघ सरकार के रेल मंत्रालय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जिनका 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान लिया गया था और साथ ही वे भी हैं जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके; और जहां भी आवश्यक समझा गया वहां 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विषय-सूची

| विवरण | पृष्ठ |
|---|----------------|
| कार्यकारी सार | iii-v |
| अध्याय 1: भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन | |
| 1.1 प्रस्तावना | 1 |
| 1.2 संगठनात्मक संरचना | 1 |
| 1.3 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा कवरेज | 1-2 |
| 1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य | 2 |
| 1.5 लेखापरीक्षा मानदंड | 2 |
| 1.6 लेखापरीक्षा का दायरा | 3 |
| 1.7 लेखापरीक्षा पद्धति | 3-4 |
| 1.8 लेखापरीक्षा नमूना | 4-5 |
| 1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम | 5-39 |
| 1.10 निष्कर्ष | 39-40 |
| 1.11 सिफारिशें | 40-41 |
| अध्याय 2: भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन | |
| 2.1 प्रस्तावना | 43-44 |
| 2.2 संगठनात्मक संरचना | 44 |
| 2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य | 45 |
| 2.4 लेखापरीक्षा का दायरा एवं पद्धति | 45 |
| 2.5 लेखापरीक्षा मानदंड | 45-46 |
| 2.6 लेखापरीक्षा के परिणाम | 46-63 |
| 2.7 निष्कर्ष | 63-64 |
| 2.8 सिफारिशें | 64 |
| अनुलग्नक | 65-236 |
| संकेताक्षर | 237-244 |

कार्यकारी सार

मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दो अध्याय सम्मिलित हैं-

अध्याय 1: भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन

अध्याय 2: भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों का संक्षिप्त विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

अध्याय 1: भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन

भारतीय रेल (भारे) 129 अस्पतालों और 586 स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से लगभग एक करोड़ रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। “भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन” पर समीक्षा में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करने के मुद्दों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा ने संसाधनों और उनके उपयोग, आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कोविड महामारी के दौरान संसाधनों के प्रबंधन, दवाओं/उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि के संबंध में भारतीय रेल द्वारा तैयार की गई विभिन्न नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की जांच की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय रेल के कुल व्यय में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी थी, लेकिन 2021-22 में इसमें तेज कमी आई। चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध अस्पतालों को छोड़ने वाले रोगियों के कई उदाहरण थे। रेल द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-रेलवे अस्पतालों में रोगियों को रेफर करने के लिए भारतीय रेल ने काफी व्यय किया। 7,38,297 (98.72 प्रतिशत) मामलों में रेफर किए गए मामलों की चिकित्सा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी और इस व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार कई रेलवे अस्पतालों में लागू नहीं किया गया था। ‘बिस्तर अधिभोग अनुपात’ (बीओआर), जो अस्पताल सेवाओं की उत्पादकता का एक संकेतक है, कई अस्पतालों में मानक मानदंडों से कम पाया गया।

लेखापरीक्षा में जोनल रेलवे के अस्पतालों की नमूना जांच में चिकित्सा और पैरा चिकित्सा कर्मचारियों की कमी भी पाई गई। आईपीएचएस मानदंडों के संदर्भ में मशीनों/चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता में भी कमी थी। नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अनुसार मशीनों/चिकित्सा उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा नहीं किया जा रहा था।

चिकित्सा लेखापरीक्षा, गुणवत्ता वाली दवाओं की अधिप्राप्ति, परीक्षण रिपोर्टों की समय पर प्राप्ति तथा 'अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली' (एचएमआईएस) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ करने की गुंजाइश है।

प्रमुख सिफारिशें:

रेल मंत्रालय को आवश्यकता है कि-

- आईपीएचएस मानदंडों एवं नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अनुसार आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए निधि एवं अन्य संसाधनों, जैसे मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, मशीनों/उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
- अस्पतालों के संसाधनों एवं अवसंरचना की जरूरतों का आकलन करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करे। निर्धारित मानकों एवं मौजूदा सेवा वितरण के बीच अंतराल की समीक्षा की जानी चाहिए एवं अंतराल को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह रेलवे चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रेलवे कर्मचारियों एवं परिवारों के अनुरूप होना चाहिए।
- गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने पर होने वाले परिहार्य व्यय, प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब, दवाओं के उपयोग की समाप्ति तिथि आदि को रोकने के लिए निर्धारित मेडिकल लेखापरीक्षा सुनिश्चित करे एवं निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे।
- जोनल रेलवे में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाए।

अध्याय 2: भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 (27) के अनुसार, 'पार्सल' को 'यात्री या पार्सल ट्रेन द्वारा वहन करने के लिए रेलवे प्रशासन को सौंपे गए माल' के रूप में परिभाषित किया गया है। रेलवे द्वारा व्यक्तिगत वस्तुओं, सामान्य माल, नष्ट होने वाली वस्तुओं को बुकिंग और वहन करने के लिए पार्सल के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवेदन में पार्सलों की बुकिंग, पार्सल वैन और पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों को पट्टे पर देकर पार्सल सेवाएं प्रदान करने में भारतीय रेल के निष्पादन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा तैयार की गई योजनाओं/नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित मामले सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय रेल द्वारा किए गए व्यवसाय विकास प्रयासों में भारतीय रेल विज्ञान दस्तावेज़, 2020 में परिकल्पित पहल के स्तर प्रदर्शित नहीं थे। पार्सल टैरिफ को अक्टूबर, 2013 से संशोधित नहीं किया गया है। पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे संपर्क सड़के, कवर्ड शेड, पेयजल, माल रखने का क्षेत्र, व्यापारी कक्ष आदि का अभाव था। पार्सल कार्गो के कुशल पारगमन के लिए चल स्टॉक, पार्सल कार्यालयों और पार्सल प्रबंधन प्रणाली टर्मिनल की अवसंरचना क्षमता में वृद्धि नहीं की गई थी। पार्सल वैन की आपूर्ति न होने के कारण पार्सल आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सभी 16 जोनल रेलवे में, पार्सल सेक्टर को पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों (पीसीईटी) के लिए नहीं खोला गया था।

प्रमुख सिफारिशें:

रेल मंत्रालय को आवश्यकता है कि-

- एक अलग व्यवसाय के रूप में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन की व्यवहार्यता का पता लगायें, जैसा कि विज्ञान 2020 दस्तावेज़ में निहित है।
- पार्सल कार्गो के कुशल पारगमन के लिए रोलिंग स्टॉक, पार्सल कार्यालयों और टर्मिनलों की अवसंरचना क्षमता को बढ़ाएँ। पार्सल की सुरक्षा, निगरानी और स्क्रीनिंग के मौजूदा उपायों को मजबूत किया जाए।
- पार्सल टैरिफ की नियमित अंतराल पर समीक्षा करें।

भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन

1.1 प्रस्तावना

भारतीय रेल (भारे) 129 अस्पतालों और 586 हैल्थ यूनिट्स के माध्यम से लगभग एक करोड़ रेलवे लाभार्थियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय रेल का 'मिशन स्टेटमेंट' आधुनिक और लागत प्रभावी तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण और प्रत्येक डॉक्टर और पैरामेडिक की साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से संपूर्ण रोगी संतुष्टि प्रदान करना है।

भारतीय रेल में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैल्थ यूनिट्स (एचयू), उप-मंडल और मंडल अस्पतालों, कार्यशाला अस्पतालों और सेंट्रल हॉस्पिटलों(सीएच) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, जब रेलवे अस्पतालों में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो रेलवे लाभार्थियों को उपचार के लिए गैर रेलवे मान्यता प्राप्त अस्पतालों में रेफर किया जाता है।

भारतीय रेल की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जिम्मेदारियों में ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर घायल अथवा बीमार सूचित किए गए यात्रियों को शीघ्र राहत प्रदान करने के साथ-साथ स्वच्छता, साफ सफाई रखना, सुरक्षित पेयजल एवं भोजन, अस्पताल के कचरे का कुशल निपटान आदि सम्मिलित है।

1.2 संगठनात्मक संरचना

रेलवे बोर्ड (आरबी) स्तर पर, डायरेक्टर जनरल/रेलवे हैल्थ सर्विस(डीजी/आरएचएस) आरबी के सदस्य (स्टाफ) के अधीन रेलवे स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रमुख होते हैं। जोनल रेलवे (जेडआर) में चीफ मेडिकल डायरेक्टर (सीएमडी) कार्यशालाओं से संबंधित अस्पतालों सहित सभी मंडल/उप-मंडल अस्पतालों और एचयू के प्रमुख होते हैं। हालांकि, चिकित्सा उपस्करों के अधिप्राप्ति से संबंधित सभी प्रस्ताव जोनल रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर (सीएमई) के माध्यम से भेजे जाते हैं।

1.3 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा कवरेज

2013-14 में “भारतीय रेल में अस्पताल प्रबंधन” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की

गई थी (2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 28)। रिपोर्ट में अस्पतालों के निष्पादन, बजटीय नियंत्रण, उपलब्ध श्रमबल के प्रभावी उपयोग और अस्पताल प्रशासन में दक्षता का निर्धारण करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकालने के लिए रेल मंत्रालय के 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट' (जून 2016) में यथा उल्लिखित की गई अथवा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई पर विधिवत विचार किया गया था।

1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य भारतीय रेल की प्रभावकारिता का निर्धारण करना था -

- i. स्वास्थ्य संसाधनों का इष्टतम प्रबंधन और उपयोग में।
- ii. अपने लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में; तथा
- iii. कोविड-19 महामारी का प्रबंधन में।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

भारतीय रेल की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों, दिशानिर्देशों, नियमावली आदि में निहित प्रावधानों से प्राप्त किए गए थे:

- i. भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 और सुधार पत्रियों का संग्रह 2004।
- ii. भारतीय रेल औषधकोष 2002, औषध खरीद नीति, 2014 सभी परिशिष्टों के साथ।
- iii. भारत सरकार के भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) दिशानिर्देश।
- iv. भारतीय रेल के मानदंड (स्वास्थ्य सेवाओं की श्रमशक्ति के संबंध में)
- v. नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियम) अधिनियम, 2010, चिकित्सालय व नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए नैदानिक स्थापना अधिनियम/मानक (केंद्र सरकार) नियम, 2012, एनएबीएच।

1.6 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करने के मुद्दों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा ने 19 सेंट्रल हॉस्पिटलों (सीएच), 45 उप-मंडल रेलवे अस्पतालों/मंडल रेलवे अस्पतालों, 77 हेल्थ यूनिट्स (एचयू) और चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर (सीएचआई) के 75 कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने आवश्यक श्रमबल की उपलब्धता और उनके उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधनों के प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन में दक्षता के अलावा दवाओं/उपकरणों की खरीद के संबंध में भारतीय रेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की भी जांच की।

1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य और वित्त निदेशालयों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (अगस्त 2022) के साथ शुरू हुआ। जोनल मुख्यालयों में चीफ मेडिकल डायरेक्टर और प्रधान वित्तीय सलाहकारों और मुख्य लेखा अधिकारियों के साथ प्रवेश सम्मेलन भी किए गए थे, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा की पद्धति पर चर्चा की गई थी।

सभी जोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई (मेट्रो रेलवे) के अभिलेखों और रेलवे-बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अनुदेशों से संबंधित अभिलेखों की जांच करने के अलावा, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं/अवसंरचना का मूल्यांकन करने के लिए 71 अस्पतालों के अस्पताल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किए गए थे। उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारण करने के लिए 1420 बहिरंग और आभ्यंतरिक रोगियों के सर्वेक्षण के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया गया था। ट्रेनों और स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सहायता का निर्धारण करने के लिए यात्रा कर रहे 250 यात्रियों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया।

रेलवे बोर्ड के साथ निकास सम्मेलन मार्च 2023 में किया गया था और मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर संगत अभिलेखों की जांच के लिए नमूना जांच को अपनाया। नमूने और नमूने के आकार के चयन के मानदंड तालिका 1.1 और तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा में नमूना जांच के लिए नमूना आकार

| श्रेणी | मानदंड | कुल उपलब्ध संख्या | नमूने का आकार |
|---|---|-------------------|---------------|
| केंद्रीय अस्पताल और मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल | 100 प्रतिशत | 19 | 19 |
| मंडलीय अस्पताल | 100 प्रतिशत (जहां केंद्रीय और मंडल अस्पताल दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं) | 1 | 1 |
| अन्य मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | 56 | 24 |
| उप- मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | 39 | 20 |
| उत्पादन इकाइयां अस्पताल/कार्यशालाएं | प्रत्येक जोन से एक, जहां भी उपलब्ध हो। | 14 | 7 |
| स्वास्थ्य इकाइयाँ | चयनित मंडल से तीन स्वास्थ्य इकाइयां। | 586 | 77 |

तालिका 1.2: सर्वेक्षण और संयुक्त निरीक्षणों के संबंध में नमूना आकार

| श्रेणी | मानदंड | नमूने का आकार |
|--------------------------------------|--|---------------|
| रोगी सर्वेक्षण (ओपीडी) | केंद्रीय, मंडल एवं उप- मंडल अस्पतालों से प्रत्येक से 10 | 710 |
| रोगी सर्वेक्षण (आईपीडी) | केंद्रीय, मंडल एवं उप- मंडल अस्पतालों से प्रत्येक से 10 | 710 |
| डॉक्टरों का सर्वेक्षण | केंद्रीय एवं मंडल अस्पतालों से पांच-पांच एवं उप- मंडल अस्पतालों से दो-दो | 260 |
| यात्रा करने वाले यात्रियों की फीडबैक | चयनित मंडलों से प्रत्येक से दस | 250 |
| अस्पतालों का संयुक्त निरीक्षण | प्रत्येक चयनित अस्पताल | 71 |
| स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण | स्टेशन जहां अस्पताल स्थित हैं | 53 |

नमूना जांच के लिए चयनित नमूने का विवरण *अनुलग्नक-1.1* में दिखाया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.9.1 स्वास्थ्य देखभाल संसाधन और सुविधाएं

संसाधन प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों की योजना बनाने, आवंटित करने और निर्धारित करने की प्रक्रिया है। विवेकपूर्ण संसाधन प्रबंधन संसाधनों के निष्क्रिय और अधिक उपयोग दोनों को कम करता है। संसाधन प्रबंधन का मुख्य लाभ चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी और कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराया जाना है।


लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के उपयोग से संबंधित रिकार्डों की जांच की। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

1.9.1.1 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजटीय आवंटन और व्यय

वर्ष 2017-22 के दौरान, एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान

करने के लिए ₹21,217 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी और इसी अवधि के दौरान ₹21,398 करोड़ का व्यय किया गया था। इस व्यय में राजस्व व्यय के लिए ₹20,734 करोड़ (97 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय के लिए ₹664 करोड़ (3 प्रतिशत) सम्मिलित थे। वर्ष 2017-22 के दौरान घटक-वार राजस्व व्यय को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.1: राजस्व व्यय के घटक



स्रोत: भारतीय रेल के विनियोग लेखे

यह देखा गया कि वेतन और भत्तों के अलावा, मुख्य व्यय (20 प्रतिशत) ज़ोनल रेलवे के रेलवे अस्पतालों द्वारा गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त अस्पतालों में रेफर किए गए मामलों पर किया गया था। रेफरल मामलों पर होने वाले उच्च व्यय को रिपोर्ट के पैरा 1.9.1.2 और 1.9.3.1 में आगे शामिल किया गया है।

अंतिम बजटीय अनुदान के मुकाबले व्यय की वर्षवार तुलना तालिका 1.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.3: अंतिम अनुदान (अं अ) की तुलना में वास्तविक व्यय (वा व्य)

(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | अं अ | वा व्य | अं अ | वा व्य | अं अ | वा व्य | अं अ | वा व्य | अं अ | वा व्य |
| राजस्व व्यय | 3121 | 2654 (85 प्रतिशत) | 3525 | 3493 (99 प्रतिशत) | 4216 | 4471 (106 प्रतिशत) | 4968 | 5415 (109 प्रतिशत) | 4729 | 4700 (99 प्रतिशत) |
| पूँजीगत व्यय | 65 | 79 | 75 | 73 | 119 | 112 | 164 | 166 | 235 | 234 |
| कुल | 3186 | 2733 | 3600 | 3566 | 4335 | 4584 | 5132 | 5581 | 4964 | 4934 |

स्त्रोत: जोनल रेलवे और रेलवे बोर्ड के विनियोग लेख।

सीएमडी/सीएमएस और संबद्ध लेखा कार्यालयों के अभिलेख की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- 2017-18 से 2021-22 के दौरान, चार जोनल रेलवे¹ में, अंतिम अनुदान पर राजस्व शीर्ष 11-230 (दवा/शल्य चिकित्सा उपकरणों की लागत) के तहत 5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक व्यय किया गया था। इसी प्रकार, इसी शीर्ष के अंतर्गत, पूरे, दरे और आरपीयू/एमआर में आवंटित निधि के अल्प उपयोग (5 प्रतिशत से आगे) के मामले देखे गए थे। 2017-22 के दौरान चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरणों पर बजटीय राजस्व व्यय **अनुलग्नक-1.2 क** में दर्शाया गया है।
- अंतिम अनुदान पर अन्य राजस्व शीर्षों (औषधियों के अलावा अन्य पर किए गए व्यय की लागत) के अंतर्गत किया गया अधिक व्यय तीन जोनल रेलवे² (आरपीयू/एमआर सहित) में 5 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक था। इसी प्रकार, चार जोनल रेलवे³ में आवंटित निधि के कम उपयोग (5 प्रतिशत से अधिक) के मामले देखे गए। 2017-22 के दौरान वेतन, आहार शुल्क, रेफरल

¹ पूतरे, उपूरे, उपरे और दपूमरे

² पूतरे, उपूरे और आरपीयू/एमआर

³ उपरे, दपरे, परे और पूरे

व्यय आदि पर बजटीय राजस्व व्यय को अनुलग्नक-1.2 ख में दर्शाया गया है।

- iii. शीर्ष “चिकित्सा उपकरणों की खरीद” (योजना शीर्ष 4100-पूँजीगत, डीआरएफ, डीएफ) के अंतर्गत, पूरे और दपूरे में, अंतिम अनुदान से 10 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक व्यय किया गया था, जबकि पांच जोनल रेलवे⁴ (आरपीयू/एमआर सहित) में निधि का अल्प उपयोग किया गया था। 2017-22 के दौरान चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर बजटीय पूँजीगत व्यय को अनुलग्नक-1.2 ग में दर्शाया गया है।

1.9.1.2 व्यय की प्रवृत्ति

रेलवे लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण वितरण के लिए निधि का पर्याप्त आवंटन आवश्यक है। 2017-2022 के दौरान, भारतीय रेल के कुल व्यय के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए व्यय का हिस्सा तालिका 1.4 में दिखाया गया है।

तालिका 1.4: कुल व्यय की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | भारतीय रेल का कुल व्यय (राजस्व और पूँजीगत) | स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय | भारतीय रेल के कुल व्यय में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा |
|---------|--|------------------------------|---|
| 2017-18 | 279250 | 2733 | 0.97 |
| 2018-19 | 320110 | 3566 | 1.11 |
| 2019-20 | 321170 | 4584 | 1.43 |
| 2020-21 | 293417 | 5581 | 1.90 |
| 2021-22 | 396658 | 4934 | 1.24 |


स्रोत: जोनल रेलवे और रेलवे बोर्ड के विनियोग लेखे

- i. स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय भारतीय रेल के कुल व्यय का एक से दो प्रतिशत तक था। यह 2020-21 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहा था लेकिन 2021-22 के दौरान इसमें तेज गिरावट आई थी।

⁴ उपरे, दपूमरे, दपरे, पमरे और आरपीयू/एमआर

- ii. वेतन पर व्यय के अलावा, रोगियों के रेफरल, औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर व्यय ने स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में भारतीय रेल द्वारा किए गए कुल व्यय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 71 चयनित चिकित्सालयों में इन तीन मदों पर व्यय की प्रवृत्ति चित्र 1.2 में दर्शायी गई है:

चित्र 1.2: व्यय की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



स्रोत: सेंट्रल हॉस्पिटलों, मंडल और उप-मंडल चिकित्सालयों के अभिलेख

अंतर्निहित आंकड़ों की आगामी संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- क) गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों/अन्य सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों के इलाज के लिए रेफरल व्यय 2017-18 में ₹ 313.98 करोड़ से बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 595.44 करोड़ (90 प्रतिशत) हो गया है।
- ख) वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रमुख रेफरल व्यय ₹ 89.47 करोड़ (दमरे) और उसके बाद ₹ 55.96 करोड़ (मरे) और ₹ 55.22 करोड़ (उपरे) था।
- ग) भारतीय रेल में चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर व्यय ₹ 26.75 करोड़ से बढ़कर ₹ 69.94 करोड़ (161.46 प्रतिशत) हो गया है।
- घ) भारतीय रेल में औषधियों (केंद्रीकृत और स्थानीय खरीद) पर किया गया व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 236.91 करोड़ से बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 354.39 करोड़ (49.59 प्रतिशत) हो गया है।

- iii. यह भी देखा गया कि भारतीय रेल में कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (सीएमपी) और ओनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट्स (एचवीएस) की नियुक्ति और भर्ती पर किया गया व्यय वर्ष 2017-18 में ₹13.59 करोड़ से बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹46.53 करोड़ (242.38 प्रतिशत) हो गया है। वर्षवार व्यय का विवरण **अनुलग्नक-1.3** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चिकित्सा उपकरणों, औषधियों की खरीद और सीएमपी और एचवीएस की नियुक्ति/सेवाएँ लेने जैसी सुविधाओं के सुधार पर किए गए व्यय के बावजूद रेफरल व्यय में भारी वृद्धि हुई है।

रेल मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2024) कि निधि का आवंटन पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर तय किया जाता है। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं, चिकित्सा विज्ञान में उन्नति आदि के आधार पर बेहतर बुनियादी ढांचे का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि अवसंरचना में सुधार की गुंजाइश है क्योंकि रेफरल व्यय में तीव्र वृद्धि हुई थी जिसका कारण आंतरिक उपचार सुविधाओं की अनुपलब्धता है। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों की तुलना में 2021-22 में भारतीय रेल के कुल व्यय में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय की हिस्सेदारी में काफी कमी आई थी।

1.9.1.3 जनशक्ति संसाधन

चिकित्सा सेवाओं में जनशक्ति एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका रोगी की देखभाल पर सीधा असर पड़ता है। रेलवे चिकित्सालयों में चिकित्सकों और नर्सों की स्वीकृत संख्या और उपलब्धता भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। नियमित डाक्टरों की कमी से निपटने के लिए कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (सीएमपी) की नियुक्ति की प्रणाली लागू है। जून 2017 में, रेलवे बोर्ड ने निर्दिष्ट किया कि चिकित्सालयों में भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (आईआरएमएस) चिकित्सकों की 100 प्रतिशत रिक्तियों के सापेक्ष सीएमपी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

क. चिकित्सकों की उपलब्धता

सभी केंद्रीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपलब्धता आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कम थी जैसा कि अनुलग्नक -1.4 में दिखाया गया है। 31 मार्च 2022 तक चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति तालिका 1.5 में उल्लिखित है।

तालिका 1.5: चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति

| क्र. सं. | अस्पताल और जोनल रेलवे का नाम | बिस्तरों की संख्या | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार स्वीकृत संख्या | स्वीकृत संख्या | रोल पर स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी |
|----------|-----------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (कॉलम 4 - कॉलम 6) |
| 1 | सीएच/ भायखला (मरे) | 366 | 58 | 41 | 33 | 25 |
| 2 | सीएच/पीएनबीई/पूमरे | 200 | 34 | 36 | 28 | 06 |
| 3 | सीएच/ मंचेश्वर (पूतरे) | 110 | 34 | 18 | 18 | 16 |
| 4 | बी आर सिंह अस्पताल सियालदह (पूरे) | 525 | 68 | 57 | 51 | 17 |
| 5 | सीएच (उमरे) | 177 | 34 | 17 | 15 | 19 |
| 6 | एलएनएमआरएच/जीकेपी (उपूरे) | 366 | 58 | 33 | 41 | 17 |
| 7 | सीएच/ मालीगांव (पूसीरे) | 300 | 50 | 48 | 40 | 10 |
| 8 | सीएच/ जयपुर (उपरे) | 150 | 34 | 24 | 24 | 10 |
| 9 | सीएच/बीएलडब्लू (आरपीयू) | 105 | 34 | 14 | 12 | 22 |
| 10 | सीएच/एलजीडी (दमरे) | 380 | 58 | 41 | 39 | 19 |
| 11 | सीएच/ गार्डन रीच /दपूरे | 303 | 58 | 36 | 25 | 33 |
| 12 | आरएच/ पेराम्बुर (दरे) | 505 | 68 | 67 | 63 | 5 |
| 13 | सीएच/यूबीएल (दपरे) | 149 | 34 | 20 | 21 | 13 |
| 14 | सीएच/ जबलपुर (पमरे) | 155 | 34 | 17 | 17 | 17 |
| 15 | जगजीवन राम अस्पताल (परे) | 361 | 58 | 45 | 49 | 9 |

स्रोत: कार्मिक शाखा और एमडी/सीएमएस कार्यालय में अनुरक्षित संवर्ग रजिस्टर।

चिकित्सकों की कमी के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि चिकित्सकों की आवश्यक संख्या की पूर्ति हेतु नए मापदंड विकसित किए जा रहे हैं। आगे यह बताया गया (जनवरी 2024) कि रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई में जनशक्ति का निर्णय बिस्तर अधिभोग अनुपात

(बीओआर), लाभार्थियों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है।

चिकित्सकों की तैनाती के प्रबंधन में अपर्याप्तता के कुछ मामले नीचे दिए गए हैं।

- बारह जोनल रेलवे⁵ में, कांट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (सीएमपी) और ओनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट्स (एचवीएस) डॉक्टर उन विशेषज्ञता सेवाओं में लगे हुए थे जिनके लिए आईआरएमएस डॉक्टर उपलब्ध थे।
- तीन चिकित्सालयों (एलएनएमआरएच/जीकेपी, सीएच/यूबीएल और जगजीवन राम अस्पताल/मुंबई) में चिकित्सकों की उपलब्धता स्वीकृत संख्या से अधिक थी।

उपर्युक्त मामलों ने डाक्टरों की तैनाती में सुधार की गुंजाइश का संकेत दिया।

ख. नर्सों की उपलब्धता

सभी केन्द्रीय चिकित्सालयों में नर्सों की उपलब्धता या तो कम थी या आईपीएचएस मानदंडों में निर्धारित मानदंडों से अधिक थी जैसा कि अनुलग्नक-1.5 में दिखाया गया है। 31 मार्च 2022 को उपलब्धता की स्थिति तालिका 1.6 में उल्लिखित है।

तालिका 1.6: स्टाफ नर्सों की उपलब्धता की स्थिति

| क्र. सं. | अस्पताल का नाम | बिस्तरों की संख्या | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार स्वीकृत संख्या | स्वीकृत संख्या | रोल पर स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी |
|----------|-----------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | सीएच/ मंचेश्वर (पूतरे) | 110 | 90 | 35 | 34 | 56 |
| 2 | बी आर सिंह अस्पताल सियालदह (पूरे) | 525 | 225 | 212 | 194 | 31 |
| 3 | सीएच/पीआरवाईजे (उमरे) | 177 | 90 | 42 | 42 | 48 |
| 4 | एलएनएमआरएच गोरखपुर (उपूरे) | 366 | 180 | 96 | 106 | 74 |
| 5 | सीएच/मालीगांव (पूसीरे) | 300 | 135 | 97 | 81 | 54 |

⁵ मरे, पूतरे, पूमरे, पूरे, पूसीरे, उरे, उपरे, दमरे, दरे, दपरे, परे और आरपीयू

| क्र. सं. | अस्पताल का नाम | बिस्तरों की संख्या | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार स्वीकृत संख्या | स्वीकृत संख्या | रोल पर स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी |
|----------|--------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|---------------------------------|
| 6 | सीएच/सीएलडब्लू (आरपीयू) | 192 | 90 | 71 | 45 | 45 |
| 7 | सीएच/ गार्डन रीच /दपूरे | 303 | 180 | 141 | 123 | 57 |
| 8 | आरएच/ पेराम्बुर (दरे) | 505 | 225 | 291 | 268 | -43 |
| 9 | जगजीवन राम अस्पताल (परे) | 361 | 180 | 152 | 139 | 41 |

स्रोत: कार्मिक शाखा और एमडी/सीएमएस कार्यालय में अनुरक्षित संवर्ग रजिस्टर

विभिन्न सेंट्रल हॉस्पिटलों में नर्सों की उपलब्धता में व्यापक भिन्नता ने उपलब्ध नर्सों के पुनर्वितरण की संभावना का संकेत दिया।

1.9.1.4 चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण

1.9.1.4.1 बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में उपचार के लिए सुविधाओं की उपलब्धता

भारतीय रेल के निष्पादन सांख्यिकी, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा 2020-21 के अनुसार, सभी रेलवे चिकित्सालयों द्वारा कुल 1,35,65,600 ओपीडी मामलों को देखा गया।

स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जोनल रेलवे के 71 चुनिंदा चिकित्सालयों में अस्पताल प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण किए गए थे। यह देखा गया कि-

- आठ जोनल रेलवे⁶ के नौ चिकित्सालयों में पंजीकरण काउंटर पर्याप्त नहीं थे।
- सात जोनल रेलवे⁷ के आठ चिकित्सालयों में पंजीकरण क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी।
- सात जोनल रेलवे⁸ (आरपीयू/एमआर सहित) के नौ चिकित्सालयों में सभी विभागों और उपादेयताओं के लिए दिशात्मक और नक्शे के संकेतक उचित

⁶ मरे, पूरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दपरे और पमरे

⁷ मरे, पूसीरे, उरे, उपरे, दपूरे, दरे और पमरे

⁸ मरे, पूतरे, पूसीरे, दपूरे, दरे,परे एवं आरपीयू/एमआर

रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए थे।

- iv. 10 जोनल रेलवे⁹ के 20 चिकित्सालयों में, पर्याप्त जनशक्ति के साथ ऑपरेशन थियेटर सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

अनुलग्नक-1.6

रेल मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2023) कि पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिशात्मक और नक्शे के संकेतक प्रदर्शित कर दिए गए थे।

उन चिकित्सालयों, जहां सुधारात्मक उपाय किए गए थे, के विवरण के अभाव में मंत्रालय का उत्तर अधूरा था।

1.9.1.4.2 आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार उपकरणों की कमी

आईपीएचएस दिशानिर्देश 2012 में निरीक्षणों/जांच की जरूरतों को पूरा करने के लिए इमेजिंग उपकरण, नाक, कान व गला और नेत्र उपकरण आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों की न्यूनतम संख्या की उपलब्धता निर्धारित की गई है। आईपीएच मानकों के संदर्भ में जोनल रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालयों में चिकित्सा उपकरणों की कमी के उदाहरण तालिका 1.7 में दिखाए गए हैं।

तालिका 1.7: केंद्रीय चिकित्सालयों में चिकित्सा उपकरणों की कमी को दर्शाने वाला विवरण

| क्र. सं. | विवरण | ऑपरेशन टेबल हाइड्रोलिक माइनर | ऑपरेशन टेबल हाइड्रोलिक मेजर | रक्तचाप उपकरण | अल्ट्रासाउंड मशीन | दंत चिकित्सा एक्स-रे मशीन |
|----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | आईपीएच मानक के अनुसार आवश्यकता | 32 | 18 | 255 | 24 | 04 |
| 2 | वास्तव में उपलब्धता | 08 | 04 | 232 | 07 | 00 |
| 3 | कमी | 24 | 14 | 23 | 17 | 04 |

स्रोत: एमडी/ सीएमएस कार्यालय में अनुरक्षित एमएंडपी रजिस्टर

⁹ मरे, पूरे, उपरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूमेरे, दपूरे, दरे और पमरे

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 14 जोनल रेलवे (एमआर/आरपीयू सहित) के 15 केंद्रीय चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरण, आईपीएचएस दिशानिर्देश, 2012 में यथा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम थे।

अनुलग्नक -1.7

1.9.1.4.3 नैदानिक सस्थापना अधिनियम, 2010 के उल्लंघन में अपर्याप्त केंद्रीय स्टेराइल आपूर्ति व्यवस्था

नैदानिक सस्थापना अधिनियम (पंजीकरण और विनियम) अधिनियम 2010 के पैरा 7.8 और 7.9 के अनुसार, उपकरण और लिनन स्टरलाइजेशन, स्टेराइल वस्तुओं के भंडारण का प्रावधान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और स्टरलाइजेशन प्रक्रिया की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्टरलाइजेशन का वैधीकरण मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा, रेल मंत्रालय (मई 2018) द्वारा निर्धारित रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों के टेम्पलेट के अनुसार, प्रत्येक अस्पताल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी (एचआईसीसी) का गठन किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कुल 71 चयनित भारतीय रेल चिकित्सालयों में, 13 जोनल रेलवे¹⁰ (आरपीयू/एमआर सहित) के 34 चिकित्सालयों में सेंट्रल स्टेराइल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट (सीएसएसडी) उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, जोनल रेलवे (पश्चिम रेलवे और दपूमरे को छोड़कर) के 44 रेलवे चिकित्सालयों में एचआईसीसी का गठन नहीं किया गया था जैसा कि *अनुलग्नक-1.8* में दिखाया गया है।

रेल मंत्रालय ने (मार्च 2023) लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और आवश्यक उपचारात्मक उपायों का आश्वासन दिया।

1.9.1.4.4 एम्बुलेंस सेवाएं, ब्लड बैंक, सुरक्षा सेवाएं, सीसीटीवी, वाई-फाई सुविधा, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र और भंडारण सुविधा

(i) **एम्बुलेंस सेवाएं:** आपातकालीन स्थितियों में रोगियों को ले जाने के लिए, प्रत्येक अस्पताल में एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मई 2018 में, रेल मंत्रालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई में एक एम्बुलेंस, प्रत्येक मंडल/उप-मंडल

¹⁰ मरे, पूमरे, उपरे, पूसीरे, उरे, उपरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, पमरे, परे और आरपीयू/एमआर

चिकित्सालयों के लिए न्यूनतम दो एम्बुलेंस और जोनल अस्पताल के लिए या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम चार एम्बुलेंस उपलब्ध होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 जोनल रेलवे¹¹ के चार एसडीआरएच और 45 एचयू में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि चिकित्सालयों को निर्देश जारी किए गए थे कि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस किराए पर लेने के लिए एक अग्रदाय हो।

(ii) **ब्लड बैंक:** मई 2018 में, रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि अस्पताल में उचित ब्लड बैंक प्रक्रिया होनी चाहिए और अस्पताल प्राधिकरण को यह तय करना चाहिए कि इसे इन-हाउस शुरू करना है या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कुछ स्थानीय संस्थाओं से मिलकर व्यवस्था करनी है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जोनल रेलवे (पश्चिम रेलवे को छोड़कर) के 35 चिकित्सालयों में चिकित्सालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक सुविधा इन-हाउस या स्थानीय टाई-अप द्वारा नहीं पायी गयी।

रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि इन-हाउस ब्लड बैंक बड़े रेलवे चिकित्सालयों में उपलब्ध है क्योंकि इसमें शामिल लागत और श्रमबल को देखते हुए छोटे रेलवे चिकित्सालयों में यह संभव नहीं हो सकता है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुछ केन्द्रीय चिकित्सालयों (सीएच/जबलपुर, सीएच/बिलासपुर और सीएच/पटना) में भी इन-हाउस ब्लड बैंक सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(iii) **सीसीटीवी और वाई-फाई सुविधाएं:** सितंबर 2018 में, रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी चिकित्सालयों में सीसीटीवी और वाई-फाई सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी चिकित्सालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

यह पाया गया कि तीन जोनल रेलवे¹² के चार केंद्रीय/मंडलीय/उप-मंडलीय चिकित्सालयों में सीसीटीवी उपलब्ध नहीं थे। नौ जोनल रेलवे¹³ के 12 केंद्रीय/

¹¹ मरे, पूरे, पूमरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दरे, पमरे और परे

¹² मरे, उरे और दमरे

¹³ मरे, पूमरे, उपूरे, पूसीरे, उरे, उपरे, दमरे, पमरे और परे

मंडलीय/उप-मंडल चिकित्सालयों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(iv) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र: नैदानिक स्थापना अधिनियम (पंजीकरण और विनियम), 2010 के अनुसार, प्रत्येक अस्पताल को संबंधित राज्य के अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी प्राप्त करनी चाहिए और साथ ही साथ नवीकरण भी किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जोनल रेलवे के 60 केंद्रीय/मंडलीय/उप-मंडलीय चिकित्सालयों में संबंधित राज्य एजेंसियों/प्राधिकारियों से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

(v) भंडारण की सुविधा: चिकित्सालयों में औषधियों के लिए भंडारण सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए 71 चिकित्सालयों का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। यह पाया गया कि:

- i. दस जोनल रेलवे¹⁴ के 15 चिकित्सालयों में, औषधियों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी।
- ii. दस जोनल रेलवे¹⁵ के 16 चिकित्सालयों में (आरपीयू/एमआर सहित) मेडिकल स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।
- iii. सात जोनल रेलवे¹⁶ के 12 चिकित्सालयों में, गतावधिक औषधियों को अलग से संग्रहीत नहीं किया गया था।

अनुलग्नक -1.6 एवं 1.9

रेल मंत्रालय ने दावा किया (जनवरी 2024) कि संसाधनों और बुनियादी ढांचे का निर्धारण करने के लिए आवधिक समीक्षा चिकित्सा लाभार्थियों की जरूरतों, चिकित्सा विज्ञान में विकास/उन्नति और निधि की उपलब्धता के आधार पर सतत प्रक्रिया है।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य प्रकृति का है और इसमें लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई विशिष्ट कमियों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।

¹⁴ मरे, पूतरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, पमरे और परे

¹⁵ मरे, पूरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, पमरे और आरपीयू/एमआर

¹⁶ मरे, उमरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दपरे और परे

1.9.2 उपचार और सेवाएं

1.9.2.1 इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) में उपचार

क. भारतीय रेल के निष्पादन आंकड़ों, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा 2020-21 से यह पाया गया कि जोनल रेलवे में कुल 2,83,115 आईपीडी मामलों का सभी रेलवे चिकित्सालयों ने निपटान किया। किसी निर्धारित मानदंड के अभाव में जोनल रेलवे के विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध आईपीडी सुविधाओं की तुलना भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक-2012 (आईपीएचएस) में दिए गए मानदंडों के साथ की गई थी।


आईपीएचएस के अनुसार, अस्पताल का बिस्तर अधिभोग अनुपात (बीओआर) कम से कम 80 प्रतिशत होना चाहिए, जिसे अस्पताल की अच्छी उत्पादकता का संकेत माना जाता है।

2017-22 की अवधि के लिए जोनल रेलवे (आरपीयू/एमआर सहित) में 71 चयनित चिकित्सालयों की आईपीडी सुविधाओं की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 56 चिकित्सालयों (80 प्रतिशत) में, बीओआर 80 प्रतिशत से नीचे था। 2017-2020 के दौरान, बीओआर के औसत का विवरण **अनुलग्नक-1.10 क और 1.10 ख** में दर्शाया गया है।

रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2023) कि बहुत से विशेषज्ञों की अनुपस्थिति के कारण उप-मंडलीय चिकित्सालयों में बीओआर कम हो गया था। हालांकि, दो केंद्रीय चिकित्सालयों (सीएच/यूबीएल-दपूरे और सीएच/बीएसपी-दपूमरे) में भी बीओआर 50 प्रतिशत से नीचे था, जैसा कि **चित्र 1.3** में दिखाया गया है।

पंद्रह जोनल रेलवे के 33 चिकित्सालयों में 2017-20 के दौरान बीओआर 50 प्रतिशत से कम था, **चित्र 1.3** में दिखाया गया है:

चित्र 1.3: बिस्तर अधिभोग अनुपात (बीओआर) का औसत



स्रोत: सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच में अनुरक्षित आईपीडी रजिस्टर।

ख. ऐसे मामले जहां मरीज अस्पताल छोड़ देते हैं और चिकित्सकों की सलाह के प्रति उपचार लेते हैं, उन्हें एलएएमए (लीव अगेन्स्ट मेडिकल एडवाइस) मामलों के रूप में जाना जाता है। एलएएमए के अधिक मामले संबंधित चिकित्सालयों में अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में अपर्याप्तता और अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता के संकेत देते हैं।

सभी जोनल रेलवे और आरपीयू चिकित्सालयों में, 2017-22 के दौरान कुल

14,66,004 भर्ती के प्रति एलएएमए के 14,698 मामले देखे गए। अस्पताल-वार एलएएमए मामलों का विवरण **अनुलग्नक 1.10 क** में दिखाया गया है। 13 जोनल रेलवे के 23 चिकित्सालयों में, प्रति हजार एलएएमए दर 10 से अधिक थी जैसा कि **तालिका 1.8** में दिखाया गया है।

तालिका 1.8: रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति

| क्र. सं. | जोनल रेलवे | चिकित्सालयों का नाम | कुल आईपीडी मामलों की सं. | कुल एलएएमए मामले | एलएएमए दर |
|----------|------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| 1 | उरे | आरडीएसओ/एलकेओ | 4674 | 457 | 98 |
| 2 | पूमरे | डीआरएच/सोनपुर | 14262 | 1394 | 98 |
| 3 | उपरे | एसडीआरएच/आरई | 4287 | 329 | 77 |
| 4 | पमरे | एसडीआरएच/इटारसी | 2828 | 208 | 74 |
| 5 | दमरे | एसडीएच/आरवाईपीएस | 1357 | 96 | 71 |
| 6 | पूरे | एसडीआरएच/अंडाल | 7528 | 495 | 66 |
| 7 | दरे | एसडीआरएच/विल्लुपुरम | 1878 | 103 | 55 |
| 8 | पूसीरे | डीआरएच/केआईआर | 11105 | 535 | 48 |
| 9 | पमरे | एसडीआरएच/बीना | 4104 | 185 | 45 |
| 10 | दपूमरे | एसडीआरएच/बीएमवाई | 4640 | 160 | 34 |
| 11 | पूसीरे | एसडीआरएच/एनजेपी | 20500 | 671 | 33 |
| 12 | उरे | आरसीएफ/एचएसक्यू | 7127 | 217 | 30 |
| 13 | उरे | एनआरडीएच/एलकेओ | 27600 | 815 | 30 |
| 14 | दपूरे | डीआरएच/आद्रा | 12928 | 373 | 29 |
| 15 | उमरे | डीआरएच/आगरा | 9759 | 239 | 24 |
| 16 | पूमरे | डीआरएच/दानापुर | 15124 | 344 | 23 |
| 17 | दपूरे | डीआरएच/खड़गपुर | 39581 | 559 | 14 |
| 18 | दरे | आरएच/आईसीएफ/पेराम्बुर | 20941 | 290 | 14 |
| 19 | मरे | एसडीआरएच/आईजीपी | 467 | 6 | 13 |
| 20 | उपरे | डीआरएच/अजमेर | 33126 | 422 | 13 |
| 21 | उरे | एनआरडीएच/डीएलआई | 6288 | 78 | 12 |
| 22 | पूरे | डीआरएच- एचडब्लूएच | 19136 | 227 | 12 |
| 23 | परे | एसडीआरएच/वलसाड | 7506 | 84 | 11 |
| कुल | | | | 8288 | |

स्रोत: रेलवे चिकित्सालयों में अनुरक्षित आईपीडी रजिस्टर

लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुए रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेड और संसाधनों (जनशक्ति और उपकरण दोनों) का पुनः आवंटन सक्रिय रूप से विचाराधीन है। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि उच्च एलएएमए दर वाले चिकित्सालयों का अध्ययन किया जाएगा और बेहतर उपयोग और रोगी संतुष्टि के लिए जनशक्ति और उपकरणों के पुनः आवंटन सहित सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाएंगे।

रेल मंत्रालय का उत्तर संसाधनों के अनुचित वितरण और इसके लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं के अभाव का संकेत था।

1.9.2.2 पानी के नमूने का परीक्षण

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 901 के प्रावधान के अनुसार, संचारी और गैर-संचारी रोगों को नियंत्रित करने और रेल से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं, ताकि वे बेहतर गुणवत्ता का जीवन जी सकें। रेलवे लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में बच्चों का टीकाकरण, मलेरिया, क्षयरोग, अतिसार, कैंसर, दृष्टिहीनता, एड्स आदि नियंत्रण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, खाद्य स्वच्छता और खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) का कार्यान्वयन, जलापूर्ति की गुणवत्ता की निगरानी आदि शामिल हैं।


भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि भारतीय रेल में फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) को भोजन के नमूने एकत्रित करने और उनका निरीक्षण करने, शिकायतों की जांच करने और अपने क्षेत्रों के भीतर डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार है।

क. भोजन और पानी के नमूनों की जाँच

लेखापरीक्षा ने 71 चयनित चिकित्सालयों में भोजन और पानी के नमूनों की जाँच से संबंधित वर्तमान प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की। यह देखा गया कि:

- i. चौदह जोनल रेलवे¹⁷ (आरपीयू/एमआर सहित) के 35 चिकित्सालयों में भोजन के नमूने एकत्र नहीं किए गए थे।
- ii. 11 जोनल रेलवे¹⁸ (एमआर/आरपीयू सहित) के 22 चिकित्सालयों में अवशिष्ट क्लोरीन की नमूना जाँच के लिए निर्धारित मानदंडों के मुकाबले पानी के नमूनों के संग्रह में कमी थी, यह चित्र 1.4 में दर्शाया गया है:

चित्र 1.4: अवशिष्ट क्लोरीन के परीक्षण में कमी



| जोन | आरपीयू | दमरे | पूमरे | पमरे | उरे | पूसीरे | दरे | दपूमरे |
|-----------------|--------|-------|-------|------|------|--------|------|--------|
| परीक्षण में कमी | 73362 | 44484 | 5193 | 4220 | 2762 | 2212 | 1713 | 569 |

स्रोत: एमडी/सीएमएस कार्यालय के रिकॉर्ड।


- iii. ग्यारह जोनल रेलवे¹⁹ (एमआर/आरपीयू सहित) के 20 चिकित्सालयों में जैविक विश्लेषण के परीक्षण में कमी देखी गई जैसा कि चित्र 1.5 में दर्शाया गया है।

¹⁷ मरे, पूमरे, पूरे, उपूरे, पूसीरे, उरे, उपरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, दपरे, पमरे और आरपीयू/एमआर

¹⁸ पूमरे, पूरे, उपूरे, पूसीरे, उरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, पमरे और आरपीयू/एमआर

¹⁹ पूतरे, पूमरे, पूरे, पूसीरे, उरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, पमरे और आरपीयू /एमआर

चित्र 1.5: पानी के नमूनों के जैविक विश्लेषण में कमी





| ज़ोन | आरपीयू | दमरे | पूतरे | पमरे | पूसीरे | दपूरे | दपूमरे |
|-----------------|--------|------|-------|------|--------|-------|--------|
| परीक्षण में कमी | 622 | 2626 | 451 | 340 | 1352 | 924 | 1688 |

स्रोत: एमडी/सीएमएस कार्यालय के रिकॉर्ड।

iv. अनुलग्नक-1.11 में उल्लिखित क्रमशः 51 और 49 चिकित्सालयों में अवशिष्ट क्लोरीन और जैविक नमूनों के लिए परीक्षण के परिणाम असंतोषजनक पाए गए। जोनल रेलवे में पाए गए असंतोषजनक नमूने (प्रतिशत में) चित्र 1.6 (क) और चित्र 1.6 (ख) में दर्शाये गए हैं:

चित्र 1.6(क): अवशिष्ट क्लोरीन का असंतोषजनक नमूना चित्र 1.6(ख): असंतोषजनक जैविक नमूना



रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि रेलवे चिकित्सालयों से खाद्य नमूनों का संग्रह न करना और पानी के नमूनों के संग्रह में कमी, मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण थी। रेल मंत्रालय ने आगे कहा(जनवरी 2024) कि बेहतर निष्पादन की व्यवहार्यता के आधार पर प्रयोगशाला परीक्षणों को आउटसोर्स किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि 2017-18 से 2019-20 (फरवरी 2020) के दौरान खाद्य नमूनों के संग्रह में कमी भी पाई गई थी। उत्तर में यह नहीं बताया गया कि प्रयोगशाला परीक्षणों की आउटसोर्सिंग के बाद कमियों में कोई सुधार हुआ है या नहीं।

ख. रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच में कमी

नवंबर 2017 में, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि सभी रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और निष्पादन मापदंडों को शामिल करते हुए बुनियादी स्वास्थ्य जांच हर वर्ष की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-2022 के दौरान कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच में 18 प्रतिशत (परे) से 90 प्रतिशत (उमरे) तक की कमी थी, जैसा कि **अनुलग्नक-1.12** में उल्लेख किया गया है।

रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि टीकाकरण और वार्षिक स्वास्थ्य जांच में कमी मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण थी। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभ्यास को आने वाले समय में मजबूत किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पूर्व-कोविड महामारी के दौरान भी इसमें कमी देखी गई थी।

इस प्रकार, रेल मंत्रालय रेलवे चिकित्सा नियमावली में निहित प्रावधानों और निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

1.9.2.3 ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को चिकित्सा सहायता

अक्टूबर 2019 में, भारतीय रेल ने शिकायत दर्ज करने/सहायता मांगने या ऑनलाइन /एप/एसएमएस सुझाव देने में सक्षम बनाने के लिए रेल-मदद पोर्टल विकसित किया और शिकायतों की तत्क्षण स्थिति को दृष्टिगत रखने और समाधान के साथ उनकी

संतुष्टि के आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की सुविधा प्रदान की। सभी प्रकार की शिकायतों और किसी अन्य आपातकालीन/सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया गया था। सेवा स्तर करार (एसएलए) के अनुसार चिकित्सा सहायता से जुड़ी शिकायतों के लिए दो घंटे तक का समय निर्धारित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलगाड़ियों/स्टेशनों में रेल-मदद ऐप के माध्यम से प्राप्त कॉलों के औसत निपटान समय के लिए कोई विशिष्ट मानदंड/बेंचमार्क निर्धारित नहीं किए गए थे। यह भी पाया गया कि रेल-मदद की कोई प्रशासनिक नियम पुस्तिका/उपयोगकर्ता नियम पुस्तिका तैयार नहीं की गई थी।

जोनल रेलवे में 27 चयनित मंडलों के चिकित्सा आपातकाल से संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा के विश्लेषण से पता चला कि:

- i. आठ जोनल रेलवे²⁰ के 12 मंडलों में, चिकित्सा सहायता के लिए यात्री की शिकायत को हल करने/निवारण करने में लगने वाला औसत समय सेवा स्तर करारों के अनुसार दो घंटे के निर्धारित निपटान समय की तुलना में 2:02 घंटे (बीपीएल/पमरे) और 6:42 घंटे (डीएलआई/उरे) के बीच था।
- ii. बारह जोनल रेलवे²¹, के 19 मंडलों में, 296 यात्रियों ने या तो डॉक्टर द्वारा मरीज के न देखे जाने या रोगियों को देखने में विलंब के आधार पर असंतोषजनक प्रतिक्रिया दी थी, जैसा कि **अनुलग्नक-1.13 क** में दर्शाया गया है।
- iii. चौदह मामलों (पमरे) के संबंध में, आंकड़ों ने शून्य मिनट में शिकायत का निपटान दर्शाया। स्पष्ट रूप से गलत डेटा की प्राप्ति के कारणों का पता लगाने के लिए प्रणाली अनुप्रयोग स्तर पर विसंगतियों की जांच करने की आवश्यकता है। जोनल रेलवे में चयनित मंडलों में औसत निपटान समय का विवरण **अनुलग्नक-1.13 क** में दर्शाया गया है।
- iv. रेल मदद ऐप के उपयोग के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए, सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से स्टेशन पर उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर चिपकाकर और पीआरएस एवं यूटीएस टिकटों में 139 हेल्पलाइन नंबर की

²⁰ मरे, पूतरे, पूमरे, पूसीरे, उरे, दपूरे, दरे और पमरे

²¹ मरे, पूमरे, उमरे, उरे, उपरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, दपरे, पमरे और परे

छपाई करके प्रचार किया जा रहा है। रेलवे प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि आठ जोनल रेलवे²², से संबंधित 53 चयनित स्टेशनों में से 18 में बैनर, पोस्टर, सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से रेल-मदद (चिकित्सा आपातकाल) का प्रचार अपर्याप्त था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ जोनल रेलवे²³, से संबंधित 53 चयनित स्टेशनों में से 18 में, बैनर, पोस्टर, सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से रेल-मदद (चिकित्सा आपातकाल) का व्यापक प्रचार नहीं किया गया था, जैसा कि **अनुलग्नक-1.13 ख** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, रेल मंत्रालय ने सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिए आश्वासन दिया (मार्च 2023)। हालांकि, तथ्य यह है कि विशिष्ट प्रतिमानों/मानदंडों के अभाव में रेल-मदद ऐप के माध्यम से प्राप्त कॉलों के निपटान में काफी विलंब हुआ था।

1.9.2.4 आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन

फरवरी 2019 में, रेल मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को विशिष्ट चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 52 रेलवे चिकित्सालयों को नामित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- यह योजना आठ जोनल रेलवे²⁴ के 13 चिकित्सालयों में लागू नहीं की गई थी।
- जिन 38 चिकित्सालयों में, इस योजना के कार्यान्वित होने के बारे में बताया गया था, वहां सात जोनल रेलवे²⁵ के 13 चिकित्सालयों में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की अधिप्राप्ति नहीं की गई थी। जिन 32²⁶ चिकित्सालयों में योजना कार्यान्वित की गई थी, वहां पात्र लाभार्थियों ने उपचार सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया। योजना के कार्यान्वयन

²² मरे, पूमरे, दमरे, दपूरे, दरे, दपरे, पमरे और परे

²³ मरे, पूमरे, दमरे, दपूरे, दरे, दपरे, पमरे और परे

²⁴ पूरे, उमरे, पूसीरे, उरे, दपूमरे, दपूरे, दरे और परे

²⁵ पूतरे, पूरे, उपूरे, पूसीरे, उरे, दपूरे और पमरे

²⁶ मरे(3), पूतरे(2), पूमरे(4), पूरे(2), उमरे(1), उपूरे(3), पूसीरे(1), उरे(4), दमरे(2), दपूरे(2), दपरे(2), पमरे(4) और परे(2)

की स्थिति **अनुलग्नक-1.14** में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, बाल चिकित्सा उपचार की योजना के अंतर्गत पंजीकृत दो चिकित्सालयों²⁷ (पमरे) में आयुष्मान भारत योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक किसी बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई है।

- iii. दो जोनल रेलवे में योजना लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने में ₹ 11.61 लाख की राशि का व्यय संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से वसूल नहीं किया गया था, जिसे **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से राशि की उगाही न होना

| क्रम संख्या | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम | किया गया व्यय (₹ लाख में) | व्यय की वसूली (₹लाख में) | बकाया राशि (₹ लाख में) |
|-------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | परे | सीएच/जेआरएच / मुंबई | 6.25 | 4.75 | 1.50 |
| 2 | पूसीरे | डीआरएच/एलएमजी | 10.11 | 0 | 10.11 |
| कुल | | | | | 11.61 |

स्रोत: एमडी/सीएमएस कार्यालय में आयुष्मान योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुरक्षित रिकॉर्ड

अपने उत्तर में, रेल मंत्रालय (मार्च 2023) ने नामित रेलवे चिकित्सालयों में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन का आश्वासन दिया। रेल मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए खर्च को राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से वसूलने का भी आश्वासन दिया।

1.9.3 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

प्रभावी निगरानी और आंतरिक नियंत्रण उपलब्ध निधियों के इष्टतम उपयोग सहित अपने संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ उदाहरणात्मक मामलों के पर नीचे चर्चा की गई है:

1.9.3.1 रेफरल मामलों की मेडिकल लेखापरीक्षा करने में कमी

देख-भाल के तृतीयक स्तर पर, लाभार्थियों को ऐसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जो उनके विद्यमान चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, गैर-रेलवे मान्यता

²⁷ पमरे- एसडीआरएच /ईटी और एसडीआरएच /बीएन

प्राप्त चिकित्सालयों में भी भेजा जाता है।

दिसंबर 2019 में, रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया कि सभी रेफरल मामलों की मेडिकल लेखापरीक्षा मासिक आधार पर अस्पताल-वार की जानी चाहिए। चिकित्सा लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और उसके बाद की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, मासिक विवरणी के साथ रेलवे बोर्ड को भेजी जानी थी। सभी जोनल रेलवे को यह भी निर्देश दिया गया था कि रेफरल मामलों की इन्टर जोनल लेखापरीक्षा छमाही आधार पर की जानी अपेक्षित है।

जोनल रेलवे में चयनित 71 चिकित्सालयों में मेडिकल लेखापरीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 2017-22 के दौरान 7,47,818 रेफरड मामलों के प्रति, 7,38,297 मामलों (98.72 प्रतिशत) में मेडिकल लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इनमें से आठ जोनल रेलवे के 3,83,098 मामलों में चिकित्सा लेखापरीक्षा बिल्कुल भी नहीं की गई थी। विवरण तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: रेफरल मामलों की मेडिकल लेखापरीक्षा की कमी

| क्र. सं. | जोनल रेलवे | रेफर किए गए रोगियों की कुल संख्या | उन मामलों की संख्या जिनमें मेडिकल लेखापरीक्षा की गई | उन मामलों की संख्या जिनमें मेडिकल लेखापरीक्षा नहीं की गई | उन मामलों का प्रतिशत जिनमें मेडिकल लेखापरीक्षा नहीं की गई |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| 1 | पूरे | 5751 | 0 | 5751 | 100 |
| 2 | उपूरे | 12328 | 0 | 12328 | 100 |
| 3 | पूसीरे | 16440 | 0 | 16440 | 100 |
| 4 | दमरे | 139687 | 0 | 139687 | 100 |
| 5 | दपूरे | 35974 | 0 | 35974 | 100 |
| 6 | दरे | 67189 | 0 | 67189 | 100 |
| 7 | दपरे | 64340 | 0 | 64340 | 100 |
| 8 | परे | 41389 | 0 | 41389 | 100 |
| | उप-योग²⁸ | 383098 | 0 | 383098 | 100 |
| 9 | पूमरे | 4944 | 6 | 4938 | 99.88 |
| 10 | मरे | 56913 | 105 | 56808 | 99.82 |
| 11 | उरे | 67164 | 416 | 66748 | 99.54 |

²⁸ इससे पता चलता है कि आठ जोनल रेलवे में कोई मेडिकल लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

| क्र. सं. | जोनल रेलवे | रेफर किए गए रोगियों की कुल संख्या | उन मामलों की संख्या जिनमें मेडिकल लेखापरीक्षा की गई | उन मामलों की संख्या जिनमें मेडिकल लेखापरीक्षा नहीं की गई | उन मामलों का प्रतिशत जिनमें मेडिकल लेखापरीक्षा नहीं की गई |
|----------|------------|-----------------------------------|---|--|---|
| 12 | पमरे | 37484 | 232 | 37252 | 99.38 |
| 13 | पूतरे | 59950 | 310 | 59640 | 99.48 |
| 14 | उपरे | 50371 | 531 | 49840 | 98.95 |
| 15 | आरपीयू | 7203 | 402 | 6801 | 94.41 |
| 16 | दपूमरे | 42639 | 889 | 41750 | 97.92 |
| 17 | उमरे | 38052 | 4706 | 33346 | 87.63 |
| | कुल | 747818 | 7557 | 7,38,297 | 98.72 |

स्रोत: पीसीएमडी/एमडी/सीएमएस कार्यालय में अनुरक्षित मेडिकल लेखापरीक्षा फाइल।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- जोनल रेलवे के 62 चिकित्सालयों में इन्टर जोनल लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जैसाकि अनुलग्नक-1.15 में दर्शाया गया है।
- लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को दर्शाने वाली मासिक रिटर्न और सुधारात्मक कार्रवाई रिपोर्ट, 62 चिकित्सालयों द्वारा रेलवे बोर्ड को कभी प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- छ: जोनल रेलवे²⁹ के आठ रेलवे चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डाक्टरों/विशिष्ट सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद कुल 5858 रोगियों को गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों/इमेजिंग केन्द्रों/पैथलाजिकल केन्द्रों में रेफर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹14.07 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय हुआ।

रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023 और जनवरी 2024) कि जोनल रेलवे को रेफरल मामलों के इंटरजोनल और इंटर्जोनल मेडिकल लेखापरीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए थे। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि रोगियों को केवल उन मामलों में निजी सूचीबद्ध चिकित्सालयों में भेजा जाता है जहां संस्थानिक उपचार उपलब्ध नहीं होता और रोगियों को उच्च जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।

²⁹ पूतरे, पूमरे, पूसीरे, दमरे आरपीयू/एमआर और पमरे।

रेल मंत्रालय के उत्तर में रेफरल मामलों की बहुत अधिक संख्या के बावजूद, चिकित्सा लेखापरीक्षा और इंद्रा/इंटर जोनल लेखापरीक्षा पर अपने स्वयं के निर्देशों को लागू करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति का संकेत दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में रेफरल मामलों के कारणों का पता केवल मामलों की चिकित्सीय लेखापरीक्षा के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। रेफरल मामलों की मेडिकल लेखापरीक्षा के अभाव में रेल मंत्रालय का उत्तर सामान्य है और स्वीकार्य नहीं है।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है जो दर्शाता है कि रोगियों का रेफरल किसी जटिल चिकित्सा स्थिति के कारण नहीं बल्कि उपलब्ध मशीन के निष्क्रिय होने के कारण था।

पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय अस्पताल/जबलपुर में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशीन जुलाई 2020 से खराब थी। मशीन को ठीक कर दिया गया लेकिन नवंबर 2020 से फिर से खराब हो गई। इसके बाद से मशीन निष्क्रिय पड़ी रही। मई 2021 में, एक नई कलर डॉपलर और इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीन को कुल ₹ 31.80 लाख की लागत से खरीदा गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया कि पुरानी मशीन के निष्क्रिय होने और नई मशीन लगाने की अवधि (जुलाई 2020 से मई 2021) के दौरान, 979 रोगियों (सीएच/जबलपुर) को विभिन्न गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में निदान/जांच के लिए भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.16 लाख का परिहार्य व्यय हुआ था।

रेल मंत्रालय (मार्च 2023) ने कहा कि जोनल रेलवे को इष्टतम उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, तथ्य यह है कि कलर डॉपलर मशीन का रखरखाव न होने के कारण रेल मंत्रालय ने ₹ 3.16 लाख का परिहार्य व्यय किया था।

1.9.3.2 अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)

एचएमआईएस का कार्य दस्तावेजीकरण, वाह्य रोगी पर्ची जारी करना, लाभार्थियों के चिकित्सा इतिहास को अद्यतन करना आदि है। एचएमआईएस में, नैदानिक, प्रशासनिक, रोगी सेवाएं और सहायक मॉड्यूल जैसे ओपीडी, आईपीडी, प्रयोगशालाएं, फार्मसी, रेफरल, चिकित्सा जांच, बीमार-फिट प्रमाणपत्र, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति आदि जैसे अनिवार्य 11 मॉड्यूल हैं।

माननीय रेल मंत्री ने बजट घोषणा 2014-15 में कहा था कि भारतीय रेल के सभी चिकित्सालयों में एचएमआईएस का एकीकरण किया जाना है। शुरुआत में ₹21.2 करोड़ की अनुमानित लागत से वर्ष 2015-16 में उत्तर रेलवे में एक प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की गई थी। जनवरी 2018 में, रेलवे बोर्ड ने ₹26.62 करोड़ की संशोधित लागत के साथ रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को कार्य सौंपा। हालांकि, कोई प्रगति नहीं हुई।

अगस्त 2020 में, यह कार्य रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आरसीआईएल) को सौंपा गया था। उरे, सीआरआईएस और आरसीआईएल के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद, कार्य का दायरा आगे सभी भारतीय रेलवे चिकित्सालयों और स्वास्थ्य इकाइयों तक बढ़ा दिया गया था। तदनुसार, मार्च 2022 में ₹ 63.28 करोड़ की संशोधित लागत के साथ एक पूरक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए। उक्त समझौता जापन में, सभी एचएमआईएस मॉड्यूलों को समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर भारतीय रेल में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। अक्टूबर 2022 में, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को दो महीने के भीतर प्रत्येक जोन के कम से कम एक अस्पताल में एचएमआईएस के सभी मॉड्यूल का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचएमआईएस के आवश्यक 11 मॉड्यूल को भी लागू नहीं किया गया था जैसा कि **अनुलग्नक-1.16** में दर्शाया गया है। इन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन की स्थिति **तालिका 1.11** में दर्शायी गई है।


तालिका 1.11: मार्च 2022 तक एचएमआईएस के मॉड्यूल के कार्यान्वयन की स्थिति

| क्र. सं. | मॉड्यूल | पंजीकरण | ओपीडी | फार्मसी | प्रयोगशाला | रेफरल | कतार प्रणाली | आईपीडी + एनेस्थीसिया | सिक और फिट | सेवा क्षेत्र | ओटी+ एनेस्थीसिया | स्थानीय खरीद |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|---------|------------|-------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | रेलवे चिकित्सालयों की संख्या | 28 | 49 | 72 | 92 | 89 | 92 | 77 | 83 | 90 | 92 | 98 |
| 2 | कार्यान्वयन का प्रतिशत ³⁰ | 18.92 | 33.11 | 48.65 | 62.16 | 60.14 | 62.16 | 52 | 56 | 60.81 | 62.16 | 66.22 |

स्रोत: पीसीएमडी/एमडी/सीएमएस में अनुरक्षित एचएमआईएस फ़ाइल।

71 चयनित चिकित्सालयों में एचएमआईएस के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति चित्र 1.7 में दर्शाई गई है:

चित्र 1.7: प्रत्येक जोन के नमूना जांच किए गए चिकित्सालयों में एचएमआईएस के मॉड्यूल के कार्यान्वयन में कमी का प्रतिशत



स्रोत: सीएमडी/सीएमएस कार्यालय के रिकॉर्ड

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जोनल रेलवे की एचएमआईएस के पूर्ण कार्यान्वयन में विफलता से इसके लाभार्थियों को निर्बाध और परेशानी मुक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के इच्छित लाभ में विलंब हुआ।

³⁰ 148 अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों के संदर्भ में गणना की गई जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है

एचएमआईएस के कार्यान्वयन में कमी को स्वीकार करते हुए, रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023 और जनवरी 2024) कि एचएमआईएस में विभिन्न संशोधन/उन्नयन भी लागू किए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि एचएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए हार्डवेयर खरीद और एलएएन उपलब्धता के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य है और इसमें जोनल रेलवे में एचएमआईएस के मॉड्यूलों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता नहीं चलता है।

1.9.3.3 आहार शुल्क

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 642 और रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों में प्रावधान है कि आहार शुल्क की दरें जोनल रेलवे द्वारा न लाभ- न हानि आधार पर निर्धारित की जानी अपेक्षित हैं। रेल मंत्रालय द्वारा इसे दोहराया गया और यह निर्णय लिया गया कि रेलवे अपने चिकित्सालयों में रेलवे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न खाद्य वस्तुओं जैसे भोजन, सब्जियां, चावल, दाल, अंडे आदि के स्थानीय बाजार मूल्य के आधार पर आहार शुल्क को निर्धारित, समीक्षा और संशोधित करना जारी रख सकती है। इसके अतिरिक्त, बुनियादी वस्तुओं के लिए निर्धारित कुल लागत का 20 प्रतिशत ऊपरी खर्चों की लागत को पूरा करने के लिए शामिल किया जा सकता है। यह भी निर्धारित किया गया था कि इस प्रकार निर्धारित दरों की हर तीन वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा, गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में लिए गए उपचार के लिए, आहार शुल्क कमरे के किराए के शुल्क के 20 प्रतिशत पर वसूल किया जाना चाहिए, यदि टैरिफ में आवास और आहार शुल्क अलग से इंगित नहीं किए गए हैं। "भारतीय रेल में अस्पताल प्रबंधन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपने की गई कार्रवाई नोट (जून 2016) में, रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि आहार संशोधन समिति आहार शुल्क का आकलन करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों पर विचार करे और समय-समय पर ऐसे शुल्क को संशोधित करे।

जून 2018 में, रेल मंत्रालय ने ₹ 44,900 के मूल वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के संबंध में मुफ्त आहार के लिए मौद्रिक सीमा तय की।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि रोगियों को आहार प्रदान करने के लिए किया गया व्यय उनसे वसूली गई राशि से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप समीक्षा अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान 14 जोनल रेलवे³¹(आरपीयू/एमआर सहित) में ₹18.67 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि **अनुलग्नक-1.17** में दर्शाया गया है। यह हानि पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए गए मुफ्त आहार, ऊपरी खर्च की 20 प्रतिशत की सीमा को लागू करने में विफलता और हर तीन वर्षों में पांच जोनल रेलवे³² में आहार शुल्क में संशोधन न करने के कारण हुआ था।

रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि जोनल रेलवे को नियमित अंतराल पर आहार शुल्क में संशोधन के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। रेल मंत्रालय के उत्तर में इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने पर प्रकाश डाला गया है जिसमें पांच जोनल रेलवे में तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर आहार शुल्क में संशोधन नहीं किया गया था।

1.9.3.4 प्रशासनिक पद पर कार्य करने वाले डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को गैर-अभ्यास भत्ते का अनियमित भुगतान

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को एक आदेश जारी किया (अगस्त 2017) कि गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) भारतीय रेल मेडिकल सर्विस अधिकारियों को इस शर्त के अधीन जारी रहना चाहिए कि पद नैदानिक और पूर्णकालिक होना चाहिए। सभी जोनल रेलवे को 1 जुलाई 2017 से इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था। सितंबर 2018 में, रेल मंत्रालय ने आईआरएचएस के कुछ पदों को प्रशासनिक पद (रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्य करने वाले सभी डॉक्टर, मुख्यालय कार्यालय में कार्य करने वाले सभी डॉक्टर, मंडल ऑफिस में कार्य करने वाले सीएमएस और एमडी और विभिन्न केंद्रीय अस्पताल और पीयू अस्पताल के प्रभारी) के रूप में चिन्हित किया।

वेतन विपत्रों और व्यक्तिगत फाइल/अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रशासनिक पदों पर कार्य करने वाले डॉक्टरों को निर्देश के उल्लंघन में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान गैर-अभ्यास भत्ता ₹19.09 करोड़

³¹ मरे, पूतरे, पूमरे, पूरे, पूसीरे, उरे, उमरे, दपूमरे, दपूरे, दरे, दपरे, पमरे, परे और आरपीयू/एमआर

³² पूसीरे, दपूरे, दमरे, मरे और दरे

का भुगतान किया गया था (विवरण **अनुलग्नक-1.18** में दर्शाया गया है) जैसा कि **तालिका 1.12** में विस्तृत है।

तालिका 1.12: गैर-अभ्यास भत्ते का अनियमित भुगतान

| क्रम संख्या | जोनल रेलवे | चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹ में) | चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली डीए की राशि (₹ में) | कुल राशि (₹ में) |
|-------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| 1 | मरे | 75,12,525 | 11,38,338 | 86,50,863 |
| 2 | पूतरे | 89,59,140 | 13,38,562 | 1,02,97,702 |
| 3 | पूमरे | 33,10,220 | 4,70,682 | 37,80,902 |
| 4 | पूरे | 2,29,53,109 | 32,81,710 | 2,62,34,819 |
| 5 | उमरे | 1,12,13,660 | 19,94,813 | 1,32,08,473 |
| 6 | उपूरे | 1,25,11,225 | 38,72,312 | 1,63,83,537 |
| 7 | पूसीरे | 1,48,94,592 | 27,93,550 | 1,76,88,142 |
| 8 | उरे | 1,25,90,282 | 22,56,816 | 1,48,47,098 |
| 9 | उपरे | 50,02,100 | 6,39,537 | 56,41,637 |
| 10 | रेलवे उत्पादन इकाई (मेट्रो रेलवे) | 22,74,500 | 1,71,951 | 24,46,451 |
| 11 | दमरे | 49,81,040 | 7,51,009 | 57,32,050 |
| 12 | दपूमरे | 29,10,122 | 3,96,714 | 33,06,836 |
| 13 | दरे | 1,14,87,696 | 16,00,445 | 1,30,88,141 |
| 14 | दपरे | 1,00,86,748 | 15,45,487 | 1,16,32,235 |
| 15 | पमरे | 85,42,887 | 13,50,088 | 98,92,975 |
| 16 | परे | 1,22,42,512 | 1,59,24,984 | 2,81,67,496 |
| | कुल | 15,14,72,358 | 3,95,26,998 | 19,09,99,357 |

स्रोत: पे शीट एवं आईपीएस आंकड़े

यह पाया गया कि महाप्रबंधक (लेखा)/पूरे के संदर्भ की प्रतिक्रिया में, रेलवे बोर्ड के वेतन आयोग निदेशालय ने भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के लिए एनपीए की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया (फरवरी 2023)। रेल मंत्रालय ने यह भी कहा (मार्च 2023) कि भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) अधिकारियों को एनपीए का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अलावा महत्वपूर्ण नैदानिक कार्य भी करते हैं।

रेल मंत्रालय की प्रतिक्रियाएं सितंबर 2018 के उसके अपने अनुदेशों से भिन्न हैं, जिसमें कुछ पदों को अलग सेवा शर्तों के साथ प्रशासनिक पदों के रूप में माना गया है। महत्वपूर्ण नैदानिक कार्य करने का तर्क सामान्य है एवं प्रशासनिक पदों से संबंधित अन्य सेवा शर्तों एवं निर्धारित कार्य सूचियों के विश्लेषण द्वारा समर्थित नहीं किया गया।

1.9.3.5 अवमानक दवाओं की आपूर्ति

दवा खरीद नीति (मार्च 2018) के अनुसार, किसी भी विनिर्माण इकाई द्वारा किसी भी जोनल रेलवे को दो से अधिक मामलों में अवमानक दवाओं की आपूर्ति किए जाने पर, डीजी/आरएचएस द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन की तीन साल की अवधि समाप्त होने तक उस विनिर्माण इकाई को इसके अतिरिक्त कोई अन्य क्रय आदेश न दिया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पमरे ने ₹ 0.86 लाख मूल्य की दवाओं की आपूर्ति के लिए उसी फर्म को क्रय आदेश दिए थे जिसने अन्य जोनल रेलवे (उरे एवं परे) में अवमानक दवाओं की आपूर्ति की थी, अवमानक दवाओं की आपूर्ति भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) पोर्टल पर काली सूची में डाली गई फर्मों या अवमानक दवाओं की आपूर्ति करने वाली फर्म का नाम अपलोड करने का कोई प्रावधान न होने के कारण हुई। 11 जोनल रेलवे (आरपीयू/एमआर सहित) के 27 अस्पतालों में अवमानक दवाओं की आपूर्ति की गई जैसा कि **अनुबंध-1.19** में दर्शाया गया है। यह भी पाया गया कि अवमानक दवाओं की आपूर्ति करने वाली फर्मों की सूची आरबी वेबसाइट/पोर्टल में समवर्ती रूप से अपडेट नहीं की जा रही थी। ऐसी अंतिम अपडेट सूची फरवरी, 2011 तक थी।

रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023) कि आवश्यक उपचारात्मक उपायों के लिए ज़ोनल रेलवे को निर्देश जारी किए गए थे। अवमानक दवाओं की आपूर्ति की संभावना को खत्म करने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों के संबंध में किसी भी समर्थित दस्तावेज़ के अभाव में मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है।

1.9.3.6 दवाओं के उपयोग की समाप्ति तिथि से पहले उनकी खपत न करना/हस्तांतरण न करना

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 411 में अधिशेष दवाओं/ड्रग्स को उसी जोन या अन्य जोन के अन्य स्वास्थ्य इकाइयों/अस्पतालों में स्थानांतरित करने का प्रावधान है।

13 ज़ोनल रेलवे³³ (आरपीयू/एमआर सहित) के 24 अस्पतालों में ₹ 48.63 लाख मूल्य की 935 दवाओं की मार्च 2022 तक न तो खपत हुई एवं न ही उन्हें अन्य मण्डल/ज़ोनल रेलवे को हस्तानांतरित किया गया, जैसा कि **अनुलग्नक-1.20** में दर्शाया गया है। अंततः उन दवाओं के उपयोग की तिथि समाप्त हो गई।

रेल मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2024) कि दवाओं/ड्रग्स को आवश्यकता एवं खपत के आधार पर रेलवे भंडारण में संग्रहित किया जाता है। रेल मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दवाओं की स्थानीय खरीद निर्धारित सीमा से अधिक की गई थी तथा अधिशेष दवाओं के उपयोग की तिथि समाप्त हो गई क्योंकि उन दवाओं की न तो खपत हुई और न ही उन दवाओं को उपयोग के लिए अन्य अस्पतालों में हस्तानांतरित किया गया था।

1.9.3.7 कोविड महामारी का प्रबंधन

भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में से एक है, जिसके एक करोड़ से अधिक सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी ज़ोनल रेलवे के 129 अस्पतालों एवं 586 स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं। 2020-22 में कोविड महामारी के दौरान, भारतीय रेल को कोविड महामारी के परिणामस्वरूप उभरी प्रतिकूलताओं को कम करने में चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। भारतीय

³³ मरे, पूमरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उरे, उपरे., दपूमरे, दपूरे, दरे, पमरे., परे एवं आरपीयू/एमआर।

रेल को अपने स्वयं के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा सामान्य नागरिकों की देखभाल के लिए भी सहायता प्रदान करनी पड़ी क्योंकि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ, बिस्तरों, उपकरणों आदि की भारी कमी का सामना करना पड़ा। कई रेल अस्पतालों को राज्य प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। भारतीय रेल ने संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्र के एकीकृत प्रयास में योगदान दिया था।

1.9.3.7.1 कोविड के दौरान भारतीय रेल का योगदान

- I. कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने में भारतीय रेल का प्रमुख योगदान था:
 - क) चरणबद्ध तरीके से 2500 चिकित्सकों एवं लगभग 35000 पैरा मेडिकल स्टाफ को जुटाना।
 - ख) अस्पताल के 50 प्रतिशत से अधिक बिस्तर कोविड रोगियों को समर्पित थे।
 - ग) सामुदायिक केंद्रों को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया।
 - घ) रेलवे कोचों को कोविड देखभाल केंद्रों (एकांतिक कक्ष) में परिवर्तित करना।
 - ड) पीपीई किट, स्ट्रेचर, अस्पताल के बिस्तर आदि के उत्पादन के लिए उत्पादन इकाइयों एवं कार्यशालाओं का उपयोग किया गया।
- II. भारतीय रेल के चयनित अस्पतालों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कोविड के दौरान निम्नलिखित अवसंरचना एवं सुविधाएं विकसित की गईं जैसा कि तालिका 1.13 में दिखाया गया है।

तालिका 1.13: चयनित अस्पतालों द्वारा विकसित की गई अवसंरचना एवं सुविधाएँ

| सुविधाएं/ अवसंरचना | कोविड पूर्व काल (दिनांक 31.12.19 तक) | कोविड महामारी के दौरान वृद्धि (01.01.2020 से 30.06.21) | अवसंरचना/भविष्य की महामारी के लिए आरक्षित सेवाएँ |
|--|--|--|---|
| गहन देखभाल कक्ष बिस्तरों की संख्या | 376 | 409 | 194 |
| इनवेसिव वेंटिलेटर की संख्या | 105 | 317 | 160 |
| ऑक्सीजन सांद्रक की संख्या | 131 | 1151 | 775 |
| ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या | 4 | 34 | 33 |

स्रोत: कोविड डेड स्टॉक रजिस्टर एवं एम एंड पी रजिस्टर।

1.10 निष्कर्ष

भारतीय रेल अपने लाभार्थियों को ज़ोनल रेलवे में 129 अस्पतालों एवं 586 स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। लेखापरीक्षा द्वारा गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति और परीक्षण में कमी पाई गई।

अस्पताल सेवाओं की उत्पादकता का सूचक, बिस्तर अधिभोग अनुपात (बीओआर) कई अस्पतालों में मानक मानदंडों से कम पाया गया। रोगियों द्वारा चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध अस्पताल छोड़ने (एलएएमए) के कई उदाहरण थे जो अवसंरचना एवं चिकित्सा उपचार सुविधाओं में अपर्याप्तता को दर्शाते हैं।

भारतीय रेल ने मरीजों को गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त अस्पतालों में परामर्श व चिकित्सा हेतु भेजने पर काफी खर्च किया। 98.72 प्रतिशत मामलों में रेफरल मामलों की चिकित्सा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा यह व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा है। प्रणालीगत दोष यह है कि मरीजों को गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त अस्पतालों में

परामर्श व चिकित्सा हेतु भेजने पर होने वाले खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए लगभग कोई प्रयास नहीं किया गया।

विभिन्न केंद्रीय अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सों की तैनाती में सुधार की गुंजाइश थी। आईपीएचएस मानदंडों के संदर्भ में उपलब्ध मशीनों/चिकित्सा उपकरणों में भी कमी थी। यहां तक कि नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के अनुसार मशीनों/चिकित्सा उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय रेल के कुल व्यय में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई थी लेकिन 2021-22 में इसमें भारी गिरावट आई थी।

1.11 सिफारिशें:

रेल मंत्रालय को आवश्यकता है कि-

- **आईपीएचएस मानदंडों एवं नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अनुसार आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए निधि एवं अन्य संसाधनों, जैसे मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, मशीनों/उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करे।**
- **अस्पतालों के संसाधनों एवं अवसंरचना की जरूरतों का आकलन करने के लिए समय-समय पर समीक्षा करे। निर्धारित मानकों एवं मौजूदा सेवा वितरण के बीच अंतराल की समीक्षा की जानी चाहिए एवं अंतराल को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह रेलवे चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रेलवे कर्मचारियों एवं परिवारों के अनुरूप होना चाहिए।**
- **गैर-रेलवे मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मरीजों को रेफर करने पर होने वाले परिहार्य व्यय, प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने में विलंब, दवाओं के उपयोग की समाप्ति तिथि आदि को रोकने के लिए निर्धारित मेडिकल लेखापरीक्षा सुनिश्चित करे एवं निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करे।**

- ज़ोनल रेलवे में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के कार्यान्वयन में तेजी लाए।
- प्रशासनिक पदों पर आसीन चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों को किए गए गैर-अभ्यास भत्ते के अनियमित भुगतान के लिए जवाबदेही तय करे एवं भुगतान की गई राशि की वसूली की जाए।

भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन

2.1 प्रस्तावना

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2(27) के अनुसार, 'पार्सल' को यात्री या पार्सल ट्रेन द्वारा परिवहन के लिए रेलवे प्रशासन को सौंपे गए माल के रूप में परिभाषित किया गया है। रेलवे द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पैक किए गए निजी सामान, सामान्य माल, खराब होने वाली वस्तुएं, स्कूटर एवं मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं को रेलवे द्वारा बुकिंग एवं परिवहन के लिए पार्सल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें खुदरा, तेजी से बढ़ती हुई उपभोक्ता वस्तुएँ (एफएमसीजी), संसाधित खाद्य, मशीनी पुर्जे आदि सम्मिलित हैं। भारतीय रेल यात्री गाड़ियों में अथवा इस प्रयोजनार्थ डिजाइन की गई विशेष बोगियों जैसे सीट-सह-सामान रिक (एसएलआर), पार्सल वैन (वीपी), विशेष पार्सल गाड़ियों - पट्टे पर ली गई अथवा पट्टे पर न ली गई में, विभिन्न प्रकार के पार्सल यातायात की ढुलाई करती है। भारतीय रेल में ट्रेन परिचालन के सामान्य नियमों/सहायक नियमों के अनुसार, ट्रेन की निश्चित संरचना में पीछे की तरफ कम से कम एक एसएलआर होना चाहिए। यात्री ट्रेनों एवं मिश्रित ट्रेनों में, व्युत्क्रमण से बचने के लिए ट्रेन में एक अन्य एसएलआर लगाया जा सकता है बशर्ते कि दोनों तरफ दो से अधिक एसएलआर न हों।

लिंगे हॉफमैन बुश (एलएचबी) एसएलआर कोच की तस्वीर



स्रोत: रेलवे स्टेशन से ली गई तस्वीर।

पट्टे पर या गैर-पट्टे पर एसएलआर एवं वीपी में यातायात मेल/एक्सप्रेस एवं यात्री ट्रेनों द्वारा किया जाता है। एसएलआर एवं वीपी में पट्टा यातायात व्यापक पार्सल पट्टा पॉलिसी" (सीपीएलपी) द्वारा नियंत्रित होता है एवं पार्सल ट्रेनों में पट्टा यातायात 'पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों' (पीसीईटी) पर पॉलिसी द्वारा नियंत्रित होता है। रेल मंत्रालय (रेम) द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य पार्सल दर पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर रेलवे द्वारा गैर-पट्टे वाले पार्सल यातायात को संबंधित स्टेशनों के पार्सल कार्यालयों से बुक किया जाता है

संसद में प्रस्तुत किए गए (दिसंबर 2009) "भारतीय रेल विज़न 2020 दस्तावेज़" के अनुसार, पार्सल सेवाओं को एक अलग व्यवसाय के रूप में प्रबंधित किया जाएगा एवं इसे स्टेशन प्लेटफार्मों के बजाय अलग पार्सल ट्रेनों के द्वारा विशेष टर्मिनलों से किया जाएगा।

2.2 संगठनात्मक संरचना

रेलवे बोर्ड स्तर

यातायात विभाग में चार वर्ग सम्मिलित हैं जैसे यातायात, वाणिज्यिक, कोचिंग, तथा खानपान एवं पर्यटन जिसका नेतृत्व सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास द्वारा किया जाता है। यात्री एवं पार्सल सेवाओं का प्रबंधन कोचिंग निदेशालय द्वारा किया जाता है। यातायात वाणिज्यिक एवं दर (टीसीआर) भारतीय रेल में विभिन्न प्रकार की यात्री ट्रेन सेवाओं में पार्सल एवं सामान दरों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

जोनल स्तर

जोनल रेलवे स्तर पर, यातायात विभाग में संबंधित जोनल रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) के अधीन क्रमशः प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (पीसीओएम) और प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (पीसीसीएम) की अध्यक्षता में दो विभाग अर्थात् परिचालन और वाणिज्यिक विभाग होते हैं। मंडलीय स्तर पर, परिचालन एवं वाणिज्यिक विभागों का नेतृत्व संबंधित मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के अधीन क्रमशः वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (वरिष्ठ डीओएम) एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (वरिष्ठ डीसीएम) करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि: -

- I क्या पार्सल यातायात के लिए व्यावसायिक विकास भारतीय रेल विजन 2020 के दस्तावेज़ में परिकल्पित अवसंरचना एवं अन्य सहायक सेवाओं के विकास के साथ किया गया था।
- II क्या जोनल रेलवे में एसएलआर/वीपी/पीसीईटी की पर्याप्त योजना, उत्पादन, आपूर्ति एवं तैनाती की गई थी।
- III क्या पार्सल व्यवसाय का प्रबंधन रेल मंत्रालय के मौजूदा निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

2.4 लेखापरीक्षा का दायरा एवं पद्धति

लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 तक पांच साल की अवधि को कवर किया गया। लेखापरीक्षा ने रेलवे बोर्ड (आरबी), जोनल/मंडल मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय रेल द्वारा तैयार की गई योजनाओं/नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की। एसएलआर/ब्रेक वैन/पार्सल वैन-पट्टे पर एवं पट्टे के अलावा तथा पार्सल कार्गो गाड़ियों में बुक किए गए यातायात एवं पार्सल कार्गो ट्रेनों में यातायात के संबंध में पार्सल स्टेशनों पर अनुरक्षित अभिलेखों की भी जांच की गई। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पार्सल/सामान लोडिंग के स्थान की चित्रों एवं उपयोगकर्ताओं की प्रश्नावली-आधारित प्रतिक्रिया का भी उपयोग किया गया।

नमूना चयन: सभी 16 जोनों के 39 मंडलों का नमूना उपरोक्त मानदंडों पर चुना गया था।

अनुलग्नक 2.1

2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के संबंध में भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई जिसमें निर्धारित प्रावधान निम्नलिखित में शामिल थे:

- i) भारतीय रेल विजन 2020 दस्तावेज़।
- ii) व्यापक पार्सल पट्टा पॉलिसी (सीपीएलपी) 1991, 2006, 2014 एवं इसके संशोधन।
- iii) पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनें (पीसीईटी) पट्टा पॉलिसी 2007, 2016 एवं इसके संशोधन।
- iv) लेखा विभाग के लिए भारतीय रेल कोड।
- v) भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली।
- vi) भारतीय रेल सम्मेलन संघ कोचिंग टैरिफ।
- vii) भारतीय रेल वार्षिक सांख्यिकीय विवरण।
- viii) पार्सल, एसएलआर एवं पार्सल वैन की बुकिंग के लिए सामान्य पार्सल बुकिंग नियम एवं विनियम।

2.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

2.6.1 पार्सल एवं सामान से आय की स्थिति

संसद में प्रस्तुत किए गए (दिसम्बर, 2009) भारतीय रेल विजन 2020 दस्तावेज़ के अनुसार पार्सल सेवाओं का प्रबंधन एक पृथक व्यवसाय के रूप में किया जाएगा और यह अनुमान लगाया गया कि पार्सल व्यवसाय से राजस्व 2011-12 में ₹ 1644 करोड़ से तीव्र गति से बढ़कर 2019-2020 में ₹ 8000 करोड़ हो जाएगा, अगर पार्सल व्यवसाय विकास के लिए नए अवसर तलाशे जाएं।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पार्सल एवं सामान से आय की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: पार्सल व्यवसाय से आय का विवरण (₹ करोड़ में)

| क्रम सं. | वर्ष | पार्सल से आय | सामान से आय |
|----------|---------|--------------|-------------|
| 1 | 2017-18 | 1749.23 | 147.69 |
| 2 | 2018-19 | 1619.03 | 138.57 |
| 3 | 2019-20 | 1448.06 | 130.69 |
| 4 | 2020-21 | 1037.06 | 27.51 |
| 5 | 2021-22 | 1808.28 | 115.97 |

स्रोत: भारतीय रेल की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि भारतीय रेल विजन 2020 दस्तावेज़ में परिकल्पित 2019-20 में ₹ 8000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, वास्तविक आय ₹ 1448 करोड़ थी, जो वास्तव में 2017-18 के स्तर से काफी कम हो गई थी।

2.6.2 भारतीय रेल द्वारा व्यवसाय विकास के प्रयास

(i) भारतीय रेल विजन 2020 दस्तावेज़ के पैरा 3.5 (बी) के अनुसार संगठनात्मक पुनर्गठन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण परिचालन से बुनियादी ढांचे को अलग करके संगठन को पुनः समनुरूप करना और व्यावसायिक लाइनों जैसे यात्री, माल और पार्सल व अन्य सहायक सेवाएँ पर पुनर्गठन करना हो सकता है ताकि प्रत्येक सेवा को लाभ-केंद्र के आधार पर प्रबंधित और मापा जा सके। इसके अलावा, इस दस्तावेज़ के पैरा 6.3 (ए) में कहा गया है कि 'पार्सल सेवाओं को एक अलग व्यवसाय के रूप में प्रबंधित किया जाएगा।

(ii) रेल मंत्रालय ने रेलवे द्वारा ढोए जाने वाले माल की मात्रा बढ़ाने के लिए जोनल और मंडल स्तर पर व्यवसाय विकास इकाइयों की स्थापना के संबंध में निर्देश जारी (जुलाई 2020) किए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न का प्रावधान था:

- जोनल मुख्यालयों और मंडल स्तरों पर एक बहु-विषयक व्यवसाय विकास इकाई (बीडीयू) स्थापित करना। ये समूह व्यापार और उद्योग के साथ

पार्सल यातायात का पता लगाने और उसे आकर्षित करने के लिए बारम्बार बातचीत करेंगे।

- इस तथ्य को प्रचारित करने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में बार-बार विज्ञापन जारी करना कि ऐसे बीडीयू उपलब्ध हैं और रेलवे यातायात के नए वर्गों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है।
- किसी भी प्राप्त प्रस्ताव का तुरंत विश्लेषण और विकास किया जाएगा और अन्य जोनल रेलवे और रेलवे बोर्ड से आवश्यक सहायता, यदि कोई हो, तुरंत मांगी जाएगी।

2.6.2.1 बहु-विभागीय व्यवसायिक विकास इकाई (बीडीयू) की स्थापना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 जोनल रेलवे³⁴ में कोई बीडीयू स्थापित नहीं किया गया था (मार्च 2022)।

रेल मंत्रालय ने कहा (मार्च 2023 और जनवरी 2024) कि बीडीयू स्थापित किए गए हैं और लेखापरीक्षा द्वारा बताया गए 10 जोनल रेलवे में से छह जोनल रेलवे (पूतरे, पूसीरे, उमरे, पूमरे, दपूमरे और उपरे) में संभावित ग्राहकों के साथ, उनके मुद्दों पर चर्चा करने और पार्सल व्यवसाय में सुधार करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं।

रेल मंत्रालय के उत्तर ने संकेत दिया कि लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद छह जोनल रेलवे में बीडीयू स्थापित किए गए (मार्च 2022) थे। लेकिन, चार जोनों में न तो बीडीयू स्थापित किए गए थे और न ही इन बीडीयू को स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई।

2.6.2.2 एसएलआर/वीपी को पट्टे पर देने के लिए अपर्याप्त विज्ञापन विधियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ जोनल रेलवे³⁵ में, एसएलआर/वीपी को पट्टे पर देने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के अलावा, जैसा कि पहले के वर्षों में किया जा रहा था, प्रचार के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था।

³⁴ पूरे, पूमरे, पूतरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दपूरे, दपूमरे और पमरे

³⁵ पूरे, पूमरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे., दपूरे, दपूमरे, दपरे और उरे

रेल मंत्रालय ने समेकित उत्तर नहीं दिया और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नौ जोनल रेलवे में से पांच जोनल रेलवे (उमरे, उरे, दपरे, दपूमरे और पूमरे) की टिप्पणियों को अग्रोषित (मार्च 2023 और जनवरी 2024) किया। उमरे और उरे ने कहा कि समाचार पत्र के माध्यम से पार्सल व्यवसाय में सुधार करने के लिए व्यापक प्रचार किया, लेकिन उस मीडिया संबंधी जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसमें विज्ञापन दिए गए थे। पूमरे, दपूमरे और दपरे की टिप्पणियों में विज्ञापन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

रेल मंत्रालय का उत्तर अन्य चार जोनों के बारे में मौन है।

2.6.2.3 पार्सल व्यवसाय और डोर-टू-डोर डिलीवरी/संग्रह को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास

“प्रेस सूचना ब्यूरो (भारत सरकार, रेल मंत्रालय) के अनुसार, भारतीय डाक और भारतीय रेल का एक “संयुक्त पार्सल उत्पाद” (सं.पा.उ.) विकसित किया जा रहा है, जिसमें डाक विभाग द्वारा आरंभ से अंत तक एवं भारतीय रेल द्वारा स्टेशन से स्टेशन तक मध्यवर्ती संबद्धता प्रदान की जाएगी।” जेपीपी का उद्देश्य पूर्ण पार्सल सेवा समाधान प्रदान करके व्यवसाय-से-व्यवसाय और व्यवसाय-से-ग्राहक बाजार को लक्षित करना है, अर्थात् प्रेषक के परिसर से सामान उठाना, बुकिंग करना और उसे प्राप्तकर्ता के घर तक पहुंचाना।

सभी जोनल रेलवे में स्थिति की जांच की गई और यह देखा गया कि 12 जोनल रेलवे³⁶ में, पूर्ण पार्सल हैंडलिंग समाधान प्रदान करके व्यवसाय-से-व्यवसाय और व्यवसाय-से-ग्राहक बाजार को लक्षित करने के प्रयास नहीं किए गए।

अपने उत्तर में (जनवरी 2024), रेल मंत्रालय ने कहा कि पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एक योजना को औपचारिक रूप दिया जा रहा है जिसे पार्सल एग्रीगेटर के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। ये एग्रीगेटर शुरू से अंत तक कनेक्टिविटी के लिए और खेपों के लोडिंग/अनलोडिंग के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

रेल मंत्रालय का उत्तर न तो इसके कार्यान्वयन की लक्ष्य तिथियों को इंगित करता है और न ही पूर्ण पार्सल हैंडलिंग समाधान प्रदान करके व्यवसाय-से-व्यवसाय और

³⁶ मरे, पूरे, पूमरे, उरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दपूमरे, दपरे और पमरे

व्यवसाय-से-ग्राहक बाजार को लक्षित करने के लिए जोनों में की गई विशिष्ट कार्यवाहियों का उल्लेख करता है।

2.6.2.4 भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान

कौशल विकास प्रशिक्षण, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान (आईआरआईटीएम), लखनऊ द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान सेवाकालीन अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे भारत में बदलते व्यवसाय परिदृश्य और परिवहन क्षेत्र में अनुवर्ती परिवर्तनों से निपटने के लिए उन्हें तैयार कर सकें। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, लोजिस्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, अवसंरचना विकास और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्रों में हैं।

इस संबंध में स्थिति की जांच की गई और लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 जोनल रेलवे³⁷ में, समीक्षा की अवधि के दौरान भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किसी भी वाणिज्यिक कर्मचारी को नामित नहीं किया गया था।

भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए वाणिज्यिक कर्मचारियों को नामित नहीं करने का विशिष्ट कारण दिए बिना, रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2023 और जनवरी 2024) में कहा कि पूतरे, पूसीरे, उमरे, मरे, दरे, परे, उरे, उपरे, पमरे और दपूमरे के अधिकारियों को समय-समय पर भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान प्रशिक्षण में नामित किया जा रहा है।

रेल मंत्रालय का जवाब सामान्य है। इसमें वाणिज्यिक कर्मचारियों को व्यवसाय विकास से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षित न करने संबंधी विशेष सवाल का जवाब नहीं दिया गया है।

³⁷ मरे, पूरे (2021-22 में एचडब्ल्यूएच को छोड़कर), पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, पूसीरे, उपरे, दपूरे, दपूमरे, दरे और परे

2.6.3 पार्सल व्यवसाय से आय बढ़ाने के लिए अवसंरचना और अन्य सहायक सेवाएं

भारतीय रेल विजन 2020 के दस्तावेज़ में, पार्सल व्यवसाय संबंधी निम्नलिखित अनेक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव था:

- i. पार्सल सेवाओं को स्टेशन प्लेटफॉर्म के बजाय अलग पार्सल ट्रेनों के माध्यम से निर्धारित टर्मिनलों से चलाया जाए।
- ii. इसके लिए विशेष पार्सल टर्मिनल स्थापित किए जाने थे और समय सारिणीबद्ध सुपर-फास्ट पार्सल सेवाएं चलाई जानी थीं।
- iii. शुरू से अंत तक माल परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी का गठन किया जाना था, जिसमें फलों, सब्जियों और खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन और ऑटोमोबाइल ले जाने के लिए विशेष-प्रयोजन रोलिंग स्टॉक शामिल होता।

इस संबंध में स्थिति की सभी जोनल रेलवे में जांच की गई और लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- i. 12 जोनल रेलवे³⁸ में पार्सल व्यवसाय को यात्री सेवा से अलग नहीं किया गया था।
- ii. किसी भी जोनल रेलवे में शुरू से अंत तक लॉजिस्टिक प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का गठन नहीं किया गया।
- iii. किसी भी जोनल रेलवे में ग्राहक को पार्सल की गारंटीकृत सुपुर्दगी के लिए सेवा स्तर समझौते भी निष्पादित नहीं किए गए।
- iv. 14 जोनल रेलवे (उरे और दमरे को छोड़कर) में ना ही कोई निर्धारित पार्सल टर्मिनल शेड स्थापित किया गया और ना नई सुविधाएं सृजित की गईं।

एक व्यापक प्रतिक्रिया देने के बजाय, रेल मंत्रालय ने केवल नौ जोनल रेलवे (पूतरे, पूसीरे, मरे, दरे, परे, दमरे, उपरे, पूमरे और दपरे) की टिप्पणियों को अग्रेषित किया, जिसमें पूतरे और पूसीरे, लेखापरीक्षा तर्कों से सहमत हुए।

³⁸ मरे, पूरे (एचडब्ल्यूएच को छोड़कर), पूतरे, उमरे, उपरे, उपरे, दपूमरे, दपरे, दरे, दमरे, पमरे और परे

रेल मंत्रालय का उत्तर विशेष तौर पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में नहीं है।

2.6.3.1 पार्सल स्टेशनों पर संयुक्त निरीक्षण

बुनियादी ढांचा निर्माण और अन्य सहायक सेवाओं की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए 16³⁹ जोनल रेलवे के 243 चयनित पार्सल स्टेशनों पर संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस संबंध में स्थिति की जांच की गई और लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया :

(i). **संपर्क मार्ग-** संयुक्त निरीक्षण दल ने पाया कि 13⁴⁰ जोनल रेलवे के 73 पार्सल स्टेशनों पर एक सुविधाजनक संपर्क मार्ग उपलब्ध नहीं था।



पश्चिम रेलवे का डॉ. अम्बेडकर नगर स्टेशन

(ii). **कवर्ड शेड -** 15⁴¹ जोनल रेलवे के 97 पार्सल स्टेशनों पर कवर्ड शेड उपलब्ध नहीं थे।

³⁹ मरे, पूरे, पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दपूमरे, दपरे, दरे, पमरे और परे


⁴⁰ मरे, पूतरे, पूमरे, पूरे, उमरे, उरे, उपूरे, पूसीरे, दपूरे, दपूमरे, दरे, दपरे और परे

⁴¹ मरे, पूरे, पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दपरे, दरे, पमरे और परे



पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का अगरतला स्टेशन

(iii). स्टैकिंग क्षेत्र - 16 जोनल रेलवे के 167 पार्सल स्टेशनों पर स्टैकिंग क्षेत्र उपलब्ध नहीं था।



पश्चिम रेलवे का सूरत स्टेशन

(iv) सुरक्षा व्यवस्था - 16 जोनल रेलवे के 225 पार्सल स्टेशनों पर स्कैनर/एक्स-रे मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। पार्सल की स्क्रीनिंग और समग्र सुरक्षा की निगरानी के लिए मौजूदा उपाय (अर्थात सीसीटीवी कैमरे, स्कैनर और विस्फोटक पहचान तंत्र) संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा अपर्याप्त पाए गए।



पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर स्टेशन

(v). पेयजल सुविधा - 14⁴² जोनल रेलवे के 100 पार्सल स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(vi). व्यापारी / पट्टेदार / कुली रूम -16 जोनल रेलवे के 212 पार्सल स्टेशनों पर व्यापारी/पट्टेदार/कुली रूम उपलब्ध नहीं था।

(vii). शौचालय - 15⁴³ जोनल रेलवे के 113 पार्सल स्टेशनों पर शौचालय उपलब्ध नहीं थे।

उपरोक्त टिप्पणियों ने चयनित पार्सल स्टेशनों पर अवसंरचना में उन कमियों, जो पार्सल व्यवसाय के विस्तार के लिए अनुकूल नहीं थी, पर प्रकाश डाला।

अनुलग्नक 2.2

रेल मंत्रालय ने (मार्च 2023 और जनवरी 2024) आठ जोनल रेलवे (पूतरे, उमरे, मरे, दरे, परे, दमरे, पूमरे और उपरे) के उत्तरों को अग्रेषित किया, जिसमें कहा गया था कि सभी बड़े पार्सल स्टेशनों पर सुविधाएं प्रदान की गई थीं और अन्य स्टेशनों पर सुविधाएं इन स्टेशनों पर पार्सल यातायात की क्षमता के आधार पर बढ़ाई जाएंगी। उपरे ने उत्तर दिया कि दो स्टेशनों (भिवानी और हिसार) को कवर्ड शेड की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

⁴² मरे, पूरे, पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, दमरे, दपूरे, दपरे, दरे, पमरे और परे

⁴³ मरे, पूरे, पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, दमरे, दपूरे, दपूमरे, दपरे, दरे, पमरे और परे

उत्तर में अवसंरचना और सहायक सेवाओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे विशिष्ट प्रयासों का उल्लेख नहीं किया गया।

2.6.3.2 पट्टेदारों से फीडबैक

अवसंरचना और सहायक सेवाओं की कमी का आकलन करने के लिए आठ जोनल रेलवे के एसएलआर/वीपी/पीसीईटी के पट्टेदारों से फीडबैक लिया गया था। प्रतिक्रियाओं से निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे सामने आए, जिनमें से कुछ ने पिछले पैरा में वर्णित संयुक्त निरीक्षण के निष्कर्षों के बारे में बताया:

- ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले सामग्री का ढेर लगाने के लिए कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया था- 13⁴⁴ पट्टेदार ।
- पट्टेदारों के सभी कर्मचारियों को सामान की लदाई/उतराई के लिए सुरक्षा उद्देश्य से परिचय पत्र प्रदान नहीं किए गए थे-13⁴⁵ पट्टेदार।
- लदान/उतराई में सुरक्षा उद्देश्य हेतु कोई आरपीएफ/जीआरपी प्रदान नहीं किया गया था- छह⁴⁶ पट्टेदार।
- एसएलआर, वीपी के लिए पर्याप्त लोडिंग लाइन उपलब्ध नहीं थी-13⁴⁷ पट्टेदार।
- खेप की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए संपर्क मार्ग उपयुक्त नहीं था- 13⁴⁸ पट्टेदार।
- विक्रेता कक्ष सुविधा, कवर्ड शेड, पानी की व्यवस्था, प्रकाश आदि उपलब्ध नहीं थे- 57⁴⁹ पट्टेदार।

⁴⁴ दपरे (1), उरे(एफजेडआर, एएसआर), दरे (एमएस-2, आरपीएम, सीएपीई, सीबीई, टीवीसी, केसीवीएल, केपीडी, टीबीएम), उपरे (बीकेएन)

⁴⁵ दपरे (1), दरे (एमएस, आरपीएम, टीबीएम, एलएलपी, टीवीसी, सीएपीई), उरे (डीएलआई, एनडीएलएस), उपरे (बीकेएन, बीएनडब्ल्यू, एचएसआर, एलजीएच)

⁴⁶ उरे (डीईई, डीएलआई, एनडीएलएस), दरे (आरपीएम), पमरे (कोटा), दपरे (1)

⁴⁷ दपरे (वीएसजी-2), पमरे (बीआईएनए, बीपीएल, जेबीपी), उरे (एसआर, जेएलसी), दरे (केपीडी, आरपीएम, टीवीसी, सीएपीई, टीबीएम, एनसीजे)

⁴⁸ पमरे (बीआईएनए), उरे (डीईई, एनजेडएम, पीटीएनआर, एएनवीटी), दरे (केपीडी, सीबीई, केसीवीएल, एलएलपी, टीवीसी, आरपीएम, टीबीएम, सीएपीई)

⁴⁹ पूरे (7), उरे (13), पूसीरे (4), उपरे (4), दपूमरे (1), दरे (14), पमरे (14)

2.6.3.3 पार्सल प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस)

पीएमएस का उद्देश्य भारतीय रेल में प्रौद्योगिकी संचालित पार्सल हैंडलिंग को लागू करना है। इसके लक्ष्य हैं-

- आईटी सक्षमता आधारित पार्सल आरक्षण एवं ट्रेकिंग प्रणाली।
- अल्प शुल्क, विलंब शुल्क, व्हारफेज और दंड या रियायत की स्वचालित गणना।
- इंटरनेट का उपयोग करके पार्सल बुकिंग गतिविधियों की सुविधा के लिए आम जनता तक ऑनलाइन पहुंच और
- बारकोड प्रौद्योगिकी और एसएमएस के माध्यम से पार्सल को ट्रैक करना।

पीएमएस की मुख्य विशेषताओं में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पार्सल का प्रत्यक्ष वजन करना, बुकिंग के लिए सभी गंतव्यों के लिए यूनिवर्सल विंडो, वजन और नकद भुगतान के लिए सिंगल विंडो और बारकोड प्रौद्योगिकी की मदद से ट्रेकिंग पार्सल शामिल हैं। पीएमएस का उपयोग प्राथमिकता के अनुसार लोडिंग को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे कदाचार और शिकायतों को कम किया जा सकता है और स्वचालित रूप से माल ढुलाई शुल्क की गणना करके मानवीय त्रुटियों को कम किया जा सकता है। यह वजन और बुकिंग प्रक्रिया में लगाने वाले समय को कम करता है और ग्राहक को पार्सल की नवीनतम स्थिति को ट्रैक करने में भी मदद करता है।

पीएमएस की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप वजन और बुकिंग के लिए अधिक समय लगता है और मानव त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, ग्राहक पार्सल के आगमन के लिए पूर्व सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं और पारगमन में अपने पार्सल की निगरानी या ट्रैक नहीं कर सकते हैं।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि 16 जोनल रेलवे के 243 पार्सल स्टेशनों में से, 16 जोनल रेलवे के 117 स्थानों पर पीएमएस स्थापित नहीं किया गया था। गुना स्टेशन पर पीएमएस की स्थापना न होने का उदाहरण नीचे चित्र में दिखाया गया है:



पश्चिम मध्य रेलवे के गुना स्टेशन पर पीएमएस नहीं लगाया गया था

रेल मंत्रालय ने नौ⁵⁰ जोनल रेलवे का उत्तर प्रस्तुत किया (मार्च 2023 और जनवरी 2024), जिसमें यह कहा गया था कि पीएमएस की स्थापना प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

रेल मंत्रालय ने पीएमएस स्थापना को पूरा करने और सभी स्थानों पर इसका उपयोग शुरू करने के लिए समय-सीमा का संकेत नहीं दिया।

2.6.4 एसएलआर/वीपी का उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग

रेलवे उत्पादन इकाइयाँ अर्थात् पेरंबूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) पार्सल सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले एसएलआर / वीपी सहित विभिन्न प्रकार के कोचिंग स्टॉक का निर्माण कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- (i) एसएलआर/वीपी की मांग के आंकड़े 14 जोनल रेलवे⁵¹ में नहीं रखे गए थे। इन इकाइयों के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा तदर्थ आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- (ii) रेल मंत्रालय द्वारा लक्ष्य के निर्धारण न करने के कारण एमसीएफ, रायबरेली द्वारा 2017-18 से 2020-21 के दौरान एसएलआर का कोई उत्पादन नहीं किया गया था।
- (iii) वर्ष 2018-19 के लिए 70 एसएलआर और 30 वीपी के लक्ष्य की तुलना में, केवल 10 एसएलआर और एक वीपी का निर्माण किया गया

⁵⁰ पूरे, पूतरे, उरे, उमरे, दमरे, दरे, मरे, परे और उपरे

⁵¹ मरे, पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, उपरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूरे, दपूमरे, दपरे, परे और पमरे

था। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः 60 एसएलआर और 29 वीपी के निर्माण में कमी आई। इसी तरह, 2019-20 के दौरान 10 एसएलआर और 27 वीपी के निर्माण में कमी आई थी।

(iv) निवारक रखरखाव की स्थिति अर्थात् एसएलआर/वीपी के आवधिक जांच और मरम्मत (पीओएच) की समीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- समीक्षा अवधि के दौरान, 1075 एसएलआर कार्यशालाओं में पीओएच के लिए भेजे गए थे। इनमें से, पीओएच 166 एसएलआर में समय सीमा (15 दिन) के भीतर पूरा किया गया था और 909 एसएलआर के पीओएच के लिए प्रति एसएलआर 30 दिनों का औसत अतिरिक्त समय लिया गया था।
- इसी तरह, समीक्षा अवधि के दौरान पीओएच के लिए भेजे गए 420 वीपी में से, 182 वीपी के पीओएच के लिए प्रति एसएलआर 14 दिनों का औसत अतिरिक्त समय लिया गया था।

(v) नमूना जांच किए गए सात जोनल रेलवे⁵² में आपूर्ति किए गए एसएलआर/वीपी को समय पर शामिल करना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

रेल मंत्रालय ने तीन जोनल रेलवे (पूतरे, उमरे और दरे) की टिप्पणियों को अग्रोषित किया (मार्च 2023 और जनवरी 2024), जिसमें पूतरे ने कहा कि एसएलआर/ वीपी के उत्पादन, इंडक्शन, आपूर्ति और तैनाती को रेलवे बोर्ड स्तर पर निपटाया जाता है। द.रे. ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने उनके द्वारा मांग के जवाब में वीपी की आपूर्ति शुरू कर दी थी। पार्सल वैन (एलवीपीएच) लगाने के लिए उपरे के प्रस्ताव के अनुसार, जुलाई 2020 में 25 ट्रेनें और सितंबर 2021 में 23 ट्रेनें रेलवे बोर्ड को भेजी गईं।

कोच फैक्ट्री के लिए लक्ष्यों का निर्धारण न करने, अभिलेखों का रखरखाव न करने और एसएलआर/वीपी के निवारक रखरखाव के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर रेल मंत्रालय का उत्तर मौन था।

⁵² पूरे, पूतरे, उमरे, उपरे, दपूरे, दरे और परे

2.6.4.1 एलएचबी रेकों के अनुरूप पार्सल वैन की अनुपलब्धता के कारण दरे में ₹ 9.37 करोड़ आय की हानि

उपयुक्त वीपी की उपलब्धता के लिए योजना बनाने में कमी का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

गाड़ी संख्या 15929/15930 टीबीएम-डीबीआरजी-टीबीएम में दोनों तरफ की यात्रा आधार पर पार्सल वैन में पार्सल स्थान पट्टे पर देने की संविदा को दरे द्वारा मेसर्स ऑन डॉट कूरियर एंड कार्गो सर्विस, चेन्नई को पांच साल की अवधि के लिए, ₹ 9.47 करोड़ के संविदा मूल्य पर प्रदान की गई।

पट्टा संविदाकार ने 7 मार्च 2019 को परिचालन शुरू किया और मार्च 2019 में तीन ट्रिप पूरी की गई। चूंकि पार्सल वैन एलएचबी रेकों (एलएचबी रेकों के निर्माण के प्रारंभिक चरण में) के अनुकूल नहीं थे, इसलिए पट्टेदार अप्रैल 2019 से कोई ट्रिप नहीं कर सके। दरे ने इस आधार पर संविदा को समाप्त कर दिया कि पारंपरिक उच्च क्षमता वाले पार्सल वैन (वीपीएच) को एलएचबी रेकों से नहीं जोड़ा जा सकता है।

उस संविदा की समाप्ति के कारण, ₹ 9.37 करोड़ की संविदात्मक आय की हानि हुई क्योंकि ₹ 9.47 करोड़ की संविदात्मक राशि से केवल ₹ 0.10 करोड़ अर्जित किया गया।

रेल मंत्रालय लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2023) के साथ सहमत था।

2.6.4.2 पट्टेदारों से फीडबैक

आठ जोनल रेलवे⁵³ के पट्टेदारों और पार्सल पर्यवेक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रिया ने एसएलआर/वीपी की अनुपलब्धता के मामलों को रेखांकित किया।

- 76 पट्टेदारों में से चार⁵⁴ पट्टेदारों ने उल्लेख किया कि पट्टे के दिन पर कोई एसएलआर/वीपी की आपूर्ति नहीं की गई थी।

⁵³ पूतरे, पूरे, उरे, उपरे, दपूमरे, दरे, दपरे और पमरे

⁵⁴ दरे (आरपीएम), उरे (डीडीएन, एचडब्ल्यू-2)

- एक⁵⁵ पार्सल पर्यवेक्षक ने उल्लेख किया था कि पट्टे के दिन पर नियमित रूप से एसएलआर/वीपी की आपूर्ति पट्टेदार को नहीं की गई थी।
- सात⁵⁶ पट्टेदारों ने उल्लेख किया था कि कम क्षमता वाले एसएलआर/वीपी की आपूर्ति की गई थी।

2.6.5 पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन (पट्टे पर दी हुई)

रेल मंत्रालय के 2007 के एफएम परिपत्र संख्या 02, के अनुसार, निजी ऑपरेटरों को पीसीईटी पट्टे पर देने की नीति प्रतिस्पर्धी मूल्य रखकर पट्टे के माध्यम से पार्सल वैन की उपयोग क्षमता में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी ताकि इस पार्सल आय में वृद्धि और योजना को प्रतिस्पर्धी दरों पर गारंटीकृत पारगमन समय के साथ मूल्य वर्धित सुनिश्चित सेवा प्रदान करके ग्राहक अनुकूल बनाया जा सके। यह सेवा शुरू-से-अंत आधार पर केवल दोनों तरफ की ट्रिप आधार पर प्रदान की गई है।

पीसीईटी के लिए पारगमन में विलंब की समस्या के निदान के साथ-साथ जोनल रेलवे द्वारा नए पीसीईटी सर्किट के लिए नई निविदाएं जारी करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तीव्र करने के लिए, रेल मंत्रालय (अक्टूबर 2018)⁵⁷ द्वारा अपने कोचिंग निदेशालय के परामर्श से एक संयुक्त प्रक्रिया आदेश (जेपीओ) जारी किया गया।

जेपीओ में निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित की गई:

- पीसीईटी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच एक स्थायी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित जोनल रेलवे के सीसीएम/एफएम और सीटीपीएम शामिल होंगे।

⁵⁵ उरे (आरएमयू)

⁵⁶ पमरे (आरईडब्ल्यूए, बीपीएल, आरकेएमपी), उरे (जेएटी), दरे (एमएसएस, एएलएलपी), दपूमरे (बीएसपी)

⁵⁷ रेल मंत्रालय का पत्र सं. 2018/टीसी/(एफएम)/10/23 दिनांक 31 अक्टूबर 2018।

- रेलवे बोर्ड स्तर पर, इन मुद्दों की जांच एक स्थायी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निदेशक (मालभाड़ा विपणन) और निदेशक (समय पालन) शामिल होंगे।

पीसीईटी का विश्लेषण सभी 16 जोनल रेलवे में किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नियोजित 109 पीसीईटी में से (08 अप्रैल 2020), 31 मार्च 2022 तक 79 (72 प्रतिशत) पीसीईटी संचालित नहीं की जा सकी।
- सभी 16 जोनल रेलवे में, राष्ट्रीय सीईपी (कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल) बाजार में भारतीय रेल के हिस्से को बढ़ाने के लिए पार्सल क्षेत्र को पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन/कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के लिए नहीं खोला गया था।
- विशेष रूप से ई-कॉमर्स जैसे बढ़ते क्षेत्रों के लिए पार्सल सेवा प्रस्ताव का विस्तार करने के लिए सभी 16 जोनल रेलवे में घर-घर संबद्धता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।
- परीक्षण जांच में शामिल 14 जोनल रेलवे⁵⁸ में पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पायलट परियोजना शुरू नहीं की गई।
- 12 जोनल रेलवे⁵⁹ में पीसीईटी के लिए सीसीएम/एफएम और सीटीपीएम से युक्त स्थायी समिति का गठन नहीं किया गया।

अनुलग्नक 2.3

2.6.6 पार्सल टैरिफ में संशोधन न करना

एसएलआर/वीपी की उत्पादन लागत के साथ-साथ रखरखाव, परिचालन और वित्तपोषण लागत जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखते पार्सल और सामान के टैरिफ का बजट बनाना और इसे तय किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि पार्सल दरों का अंतिम संशोधन अक्टूबर 2013 में किया गया था।

रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2023 और जनवरी 2024) में कहा कि राजस्व का प्रमुख हिस्सा माल सेवा से आता है जो लगभग 74 प्रतिशत है और 21 प्रतिशत

⁵⁸ मरे, पूतरे, पूमरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दपूरे, दमरे, दरे, दपरे, पमरे और परे

⁵⁹ मरे, पूतरे, पूमरे, पूरे, उमरे, उपूरे, दमरे, दपूमरे, दपूरे, दपरे, पमरे और परे

यात्री सेवाओं से, 4 प्रतिशत गैर किराया राजस्व और 1 प्रतिशत पार्सल और सामान सेवाओं से आता है। पार्सल दरों के युक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। पार्सल दरों में संशोधन का मामला रेल मंत्रालय का नीतिगत निर्णय था।

रेल मंत्रालय के उत्तर बताते हैं कि पार्सल व्यवसाय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं है और पार्सल दरों में संशोधन दस साल से अधिक की अवधि के लिए रेल मंत्रालय के नीतिगत निर्णयों का एक खुला पहलू बना हुआ है।

2.6.7 पार्सल की ओवर करींग के कारण ₹ 1.58 करोड़ के राजस्व की हानि

सामान और पार्सल जैसे कि वैयक्तिक सम्पत्ति, सामान्य सामान, नाशवान वस्तुएं, साइकिलें, स्कूटर और मोटरसाइकिल की लोडिंग और अनलोडिंग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली (आईआरसीएम), खंड 1 के पैरा 937 और 947 में निर्धारित हैं। इन पार्सलों (रेलवे द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पैक) को रेलवे कोचिंग वाहनों जैसे सामान /ब्रेक वैन, वेंटिलेटेड पार्सल इकाइयों आदि द्वारा बुकिंग/ढुलाई के लिए स्वीकार किया जाता है।

गंतव्य स्टेशनों से आगे ओवर कैरिड किए गए पार्सल के संबंध में, आईआरसीएम में 'फ्री पार्सल वे-बिल' के तहत स्टेशन मास्टर द्वारा ऐसे ओवर कैरिड किए गए पार्सल को सही गंतव्य स्टेशन पर लाने हेतु वापस बुक करने का प्रावधान है। हालांकि, अन्य रेलवे से ओवर कैरिड किए गए पार्सल को सामान्य टैरिफ दर पर 'जिसका भुगतान करना है' सही गंतव्य के लिए फिर से बुक किया जाना चाहिए एवं बकाया को प्रमाणित ओवरचार्ज शीट के माध्यम से क्लियर किया जाना चाहिए। अधिक दूरी के लिए कोई शुल्क जनता से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

विभिन्न मार्ग स्टेशनों पर सुपर्दगी के क्रम में पार्सल की लोडिंग की देखरेख और गंतव्य स्टेशनों पर पार्सल की सही अनलोडिंग के लिए आईआरसीएम में प्रावधान मौजूद हैं। भौगोलिक क्रम का पालन किए बिना अंधाधुंध लोडिंग से मध्यवर्ती स्टेशनों को ट्रेन के सीमित स्टॉपेज समय के भीतर उन स्टेशनों पर बुक किए गए पार्सल का पता लगाने और अनलोडिंग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

243 स्टेशनों में पार्सल कार्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि:

- i. मध्य रेलवे के चयनित 18 स्टेशनों में से किसी में भी ओवर कैरिड पार्सल के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
- ii. आठ⁶⁰ जोनल रेलवे के 39 स्टेशनों में ओवर कैरिड पार्सल हेतु रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया गया था।
- iii. रेलवे द्वारा सात⁶¹ जोनल रेलवे के 65 पार्सल कार्यालयों में ओवर कैरिड पार्सल के लिए पार्सल वे-बिल और ओवर कैरिड पार्सल के पुनः-बुकिंग के लिए अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे।

चयनित पार्सल कार्यालयों में 15 जोनल रेलवे (मरे को छोड़कर जहां अभिलेख उपलब्ध नहीं थे) में ओवर कैरिड पार्सल के अभिलेख की दो महीने (प्रत्येक वर्ष के जून और नवंबर) के लिए जांच की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी जोनल रेलवे को कुल 1,54,503 ओवर कैरिड पार्सल को अपने मूल गंतव्यों पर वापस भेजना पड़ा, जिसके लिए 15 जोनल रेलवे⁶² में ₹ 1.58 करोड़ का नुकसान हुआ।

अनुलग्नक 2.4

रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन में इंगित 15 जोनल रेलवे में से सात जोनल रेलवे (पूतरे, पूसीरे, दरे, उरे, दपरे, उपरे और परे) के उत्तर को अग्रेषित किया (मार्च 2023 और जनवरी 2024)। जोनल रेलवे ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया।

2.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय रेल द्वारा व्यवसाय विकास प्रयासों में भारतीय रेल विजन दस्तावेज, 2020 में परिकल्पित स्तर की पहल नहीं दिखाई। पार्सल टैरिफ को अक्टूबर 2013 से संशोधित नहीं किया गया है। पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं जैसे कि संपर्क सड़क, कवर्ड शेड, पेयजल, स्टैकिंग क्षेत्र, मर्चेंट रूम आदि की कमी थी। पार्सल कार्गो के कुशल पारगमन के लिए रोलिंग स्टॉक, पार्सल कार्यालयों और पार्सल प्रबंधन प्रणाली टर्मिनल की अवसंरचना क्षमता में वृद्धि नहीं की गई थी। वीपी की आपूर्ति न होने के कारण पार्सल आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

⁶⁰ पूतरे, पूरे, उरे, उपरे, दपूमरे, दरे, पमरे और परे

⁶¹ पूरे, उपूरे, उरे, उपरे, दपूमरे, दरे और पमरे

⁶² पूरे, पूमरे, पूतरे, उरे, उमरे, उपूरे, पूसीरे, उपरे, दमरे, दपूमरे, दरे, दपरे, परे और पमरे


सभी 16 जोनल रेलवे में, पार्सल सेक्टर को पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन (पीसीईटी) के लिए नहीं खोला गया था।

2.8 सिफारिशें

रेल मंत्रालय को आवश्यकता है कि-


- एक अलग व्यवसाय के रूप में पार्सल सेवाओं के प्रबंधन की व्यवहार्यता का पता लगायें, जैसा कि विज़न 2020 दस्तावेज़ में निहित है।
- पार्सल कार्गो के कुशल पारगमन के लिए रोलिंग स्टॉक, पार्सल कार्यालयों और टर्मिनलों की अवसंरचना क्षमता को बढ़ाएँ। पार्सल की सुरक्षा, निगरानी और स्क्रीनिंग के मौजूदा उपायों को मजबूत किया जाए।
- पार्सल टैरिफ की नियमित अंतराल पर समीक्षा करें।

नई दिल्ली
दिनांक: 20 मार्च 2024


(सुबीर मल्लिक)
उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 मार्च 2024


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



अनुलग्नक

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------|---|--|---|---|--|
| वर्ग | नमूना मानदंड | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे |
| सेंट्रल हॉस्पिटल एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल | 100% | सेंट्रल हॉस्पिटल/बा इकुला | सेंट्रल हॉस्पिटल- बीआर सिंह- कोलकाता | पटना. | सेंट्रल हॉस्पिटल, मंचेश्वर, भुवनेश्वर। | उरे सेंट्रल अस्पताल, मंडलीय अस्पताल/डीएलआई | सेंट्रल हॉस्पिटल, उमरे, प्रयागराज। | सेंट्रल हॉस्पिटल/ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल, गोरखपुर | सेंट्रल हॉस्पिटल, मालीगांव, गुवाहाटी |
| मंडलीय अस्पताल | 100% (जहां केंद्रीय और मंडलीय अस्पताल दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | मंडलीय अस्पताल/डीएलआई | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | शून्य | मंडल रेलवे अस्पताल (आर्थोपेडिक अस्पताल), हावड़ा | दानापुर और सोनपुर | रेलवे अस्पताल, विशाखापत्तनम | शून्य | मंडलीय अस्पताल, उमरे, आगरा कैंट। | मंडल रेलवे अस्पताल, इज्जतनगर | शून्य |
| | | कल्याण और पुणे | | | शून्य | 1. मंडलीय अस्पताल/एलकेओ 2. मंडलीय अस्पताल/एएमबी | शून्य | शून्य | कटिहार एवं लुमडिंग |

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| वर्ग | नमूना मानदंड | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे |
| उप मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। | शून्य | उपमंडलीय रेलवे अस्पताल-अंडाल | गया | शून्य | शून्य | उप-मंडलीय अस्पताल, उमरे, कानपुर। | उपमंडलीय अस्पताल, गोंडा | शून्य |
| | 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | मनमाड और इगतपुरी | | | शून्य | 1 उपमंडल. अस्पताल/ एसआरई 2. आरडीएसओ/एलकेओ | शून्य | शून्य | न्य जलपाईगुडी और बदरपुरे |
| उत्पादन इकाइयाँ अस्पताल/ वर्कशॉप | प्रत्येक जोन से एक, जहां भी उपलब्ध हो। | शून्य | वर्कशॉप रेलवे अस्पताल, कांचरापाड़ा | वर्कशॉप हॉस्पिटल/ हरनौत | शून्य | आरसीएफ/ कपूरथला | शून्य | शून्य | शून्य |

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|
| वर्ग | नमूना मानदंड | मरे | पूरे | पूमरे | पूररे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे |
| इकाईयाँ/औषधालय/सीएचआई कार्यालय | चयनित मंडल से 3 स्वास्थ्य इकाईयाँ और 3 सीएचआई कार्यालय। | मुंबई मंडल - मुंबई सीएसएमटी, ठाणे और कर्ला में स्वास्थ्य इकाईयाँ पुणे मंडल - 3 स्वास्थ्य इकाईयाँ (घोरपुरी, मिराज और सतारा) मुंबई मंडल - मुंबई सीएसएमटी में 3 | स्वास्थ्य इकाईयाँ- बर्दवान (मुख्य), कम्प्लेक्स और सीएचआई कार्यालय- एचडब्ल्यूएच स्टेशन। पुराना, बीडीसी एव बीडब्ल्यूएन | स्वास्थ्य इकाईयाँ- बख्तियारपुर, बक्सर, मोकामा, इमली रोड, ब्रह्मपुरा/एमजेडपी, बरौनी सीएचआई इकाईयाँ- बख्तियारपुर, बक्सर, मोकामा, सोनपुर, एमजेडपी, बरौनी | स्वास्थ्य इकाईयाँ: 1. बीएन1टीएन/विशाखापतनम, 2. अराकू और 3. विजयनगरम। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (सीएचआई) कार्यालय 1 सीएचआई/सिन्हाचलम 2. सीएचआई/काँ लोनी/जल क्षेत्र/वीएसकेपी 3. सीएचआई/स्टेश न/विशाखापतनम | डीएलआई मण्डल . एचयू=एसएसबी, टीकेडी, पीएनपीची=एएनवीटी ,जेएचआई, एमटीसी एलकेओ डीएन. एचयू=डीजल शेड/एलकेओ, उन्नाव, बाराबंकीसीए चआई=उन्नाव, चारबा ग/एलकेओ, बाराबंकीयू एमबी डीएन, एचयू=सीडीजी, केएलके, बीटीची=सीडी जी, केएलके, बीटीआई | स्वास्थ्य इकाईयाँ:- 1. ईदगाह 2. आगरा किला 3. मथुरा सीएचआई के कार्यालय: 1. आगरा स्टेशन 2. ईदगाह कॉलोनी 3. मथुरा स्टेशन | एचयू/केजीएम, एचयू/पीबीई और एचयू/केएसजे सीएचआई/एलकेयू. सीएचआई/केएसजे, सीएचआई/बीसी, | 1. कटिहार मंडल. स्वास्थ्य इकाईयाँ सिलीगुड़ी टाउन, सिलीगुड़ी कॉलोनी और सिलीगुड़ी जीआर.- आई.सीएचआई कार्यालय: केआईआर कॉलोनी, एनजेपी कॉलोनी और एसजीयूजे, जक्शन कॉलोनी। 2. लुमाडिंग डिविजन, स्वास्थ्य इकाईयाँ/एचवाई। रेलवे. स्टेशन, एलएमजी साउथ और जगीरोड. सीएचआई कार्यालय: एलएमजी कॉलोनी, जगीरोड कॉलोनी और बटारपुर कॉलोनी। |
| मेट्रो अस्पताल | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| वर्ग | नमूना मानदंड | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूमरे |
| सेंट्रल हॉस्पिटल एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल | 100% | सेंट्रल हॉस्पिटल/जयपुर | सेंट्रल हॉस्पिटल /पेरंबूर (आरएच/पीपूर) | सेंट्रल हॉस्पिटल /लालागुड़ा | सेंट्रल हॉस्पिटल/गार्डन ग्रीक/कोल। | सेंट्रल हॉस्पिटल बिलासपुर |
| मंडलीय अस्पताल | 100% (जहां सेंट्रल और मंडलीय अस्पताल दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | 01 मंडलीय अस्पताल, अजमेर | 1. पलक्कड़ (आरएच/पीजी टी) 2. गोल्डन रॉक (आरएच/जीओ सी) | 1. विजयवाड़ा 2. गुटूर | केजीपी, आद्रा | मंडलीय अस्पताल -रायपुर |
| | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|-----------------|---------------|
| वर्ग | नमूना मानदंड | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूमेरे |
| उपमंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। | शून्य | शून्य | 1. काजीपेट | टाटानगर, एसडीएच | बीएमवाय/भिलाई |
| | 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | (i) उपमंडलीय अस्पताल/रेवाड़ी (ii) उपमंडलीय अस्पताल/आबू रोड | 1. विल्लुपुरम (एसडीआरएच/ वीएम) 2. शोरानूर (एसडीआरएच/ दरेआर) | शून्य | शून्य | शून्य |
| उत्पादन इकाईयाँ अस्पताल/ कार्यशालाएँ | प्रत्येक जोन से एक, जहां भी उपलब्ध हो। | शून्य | 1. रेलवे अस्पताल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आरएच/आई सीएफ) | 1. रायनापाडु | शून्य | शून्य |

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| वर्ग | नमूना मानदंड | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूमेरे |
| स्वास्थ्य इकाईयाँ/औष धालय/सीएच आई कार्यालय | चयनित मण्डल से 3 स्वास्थ्य इकाईयाँ और 3 सीएचआई कार्यालय। | 03 i जीएलओ डिस्प., ए ii. एस.टी.एन. डिस्प./ए।।। iii. एचयू/बीएचएल स्टेशन। 03 i. सीएचआई/डीआरएच/ए।।। ii. आई-सीएचआई/बीएचएल रेलवे कॉलोनी iii. सीएचआई/एमजे स्टेशन। | चेन्नई मण्डल स्वास्थ्य इकाईयाँ (एचयू): 1. अवदी2. चेन्नई एचमोर3. तांबरम सीएचआई कार्यालय:1. सीएचआई/आरएच/पीपूरे 2. सीएचआई/रेलवे कॉलोनी/एवीडी 3. सीएचआई/एमजीआर चेन्नई सेंट्रल (एमएएस) रेलवे स्टेशन। प्लककड मंडल:- स्वास्थ्य इकाईयाँ (एचयू): 1. कोझिकोड (सीएलटी) 2. कन्नूर (सीएएन) 3. एमएनईगलोर सेंट्रल (एमएचयू)सीएचआई कार्यालय: 1. सीएचआई/स्टेशन/पीजीटी 2. सीएचआई/स्टेशन/दरेआर 3. सीएचआई/कॉलोनी/पीजीटी | स्वास्थ्य इकाई 1.राजमुंदरी 2.एलुरु 3.सत्यनारायणपुरम 1.चिल्कलगुडा 2.नादिकुडी 3.नंदयालसी एचआई 1.रायनपाडु 2.एलुरु 3.सत्यनारायणपुरम 1.काचीगुडा स्टेशन 2.गुंटर स्टेशन-। 3.गुंटर कॉलोनी | स्वास्थ्य इकाई-संतारागाछी, शालीमार, साउथ साइड/केजीपी, बांकुरा, पुरुलिया, अनारा/आद्रा सीएचआई इकाईयाँ-संतारागांची, शालीमार, दक्षिण पूर्व-केजीपी, आद्रा एसटीएन, आद्रा अस्पताल, नॉर्थ कॉलोनी/आद्रा | स्वास्थ्य इकाईयाँ- भिलाई, दल्लीरज़ाहा और सीएचआई इकाईयाँ, भाटापारा, टीडा, दुर्ग |
| मेट्रो अस्पताल | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| अनुलग्नक -1.1 सभी 16 ज़ोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| वर्ग | नमूना मानदंड | दपरे | परे | पमरे | रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो | | |
| | | | | | सीएलडब्ल्यू | बीएलडब्ल्यू | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल | 100% | सेंट्रल हॉस्पिटल हुबली (यूबीएल) | सेंट्रल हॉस्पिटल /जगजीवन राम अस्पताल/मुंबई | सेंट्रल हॉस्पिटल /जबलपुर | सेंट्रल हॉस्पिटल /कस्तूरबा गांधी अस्पताल सीएलडब्ल्यू | बीएलडब्ल्यू सेंट्रल हॉस्पिटल | टीएसएम एच/टॉली गंज मेट्रो |
| मंडलीय अस्पताल | 100% (जहां सेंट्रल और मंडलीय अस्पताल दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| अन्य मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। | एमवायएस मंडलीय अस्पताल | शून्य | भोपाल मंडलीय अस्पताल | शून्य | शून्य | शून्य |
| | 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | शून्य | (1) प्रतापनगर (2) रतलाम | | शून्य | शून्य | शून्य |
| उप मंडलीय अस्पताल | 1) एक, जहां अस्पतालों की संख्या तीन से कम या उसके बराबर है। | दक्षिण पश्चिम रेलवे में कोई उपमंडलीय अस्पताल नहीं | वलसाड | बीना, इटारसी | शून्य* | शून्य* | शून्य |

| अनुलग्नक -1.1 | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--------|
| सभी 16 जोनल रेलवे और रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो रेलवे के नमूना चयन की स्थिति (संदर्भ पैरा- 1.8) | | | | | | | |
| वर्ग | नमूना मानदंड | दपरे | परे | पमरे | रेलवे उत्पादन इकाई/मेट्रो | सीएलडब्ल्यू | |
| | | | | | | बीएलडब्ल्यू | मेट्रो |
| | 2) दो, जहां संख्या तीन से अधिक है। | दक्षिण पश्चिम रेलवे में कोई उपमंडलीय अस्पताल नहीं | शून्य | | | शून्य | शून्य |
| उत्पादन इकाइयाँ अस्पताल/कार्यशालाएँ | प्रत्येक जोन से एक, जहां भी उपलब्ध हो। | आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके | दाहोद | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| स्वास्थ्य इकाइयाँ/औषधालय/सीएचआई कार्यालय | चयनित मण्डल से 3 स्वास्थ्य इकाइयाँ और 3 सीएचआई कार्यालय। | स्वास्थ्य इकाइयाँ-एपी, एचआरआर, एसकेएलआर, सीएचआई यूनिट-एमवाईएस कॉलोनी, एपी, एसएमईटी | स्वास्थ्य इकाइयाँ एवं सीएचआई कार्यालय-03 (वडोदरा मण्डल)- 01. बीआरसी स्टेशन 02. रेलवे स्टाफ कॉलेज 03 भरूच, रतलाम मण्डल 01, उज्जनिन 02 आरटीएम स्टेशन, घाटला कॉलोनी | स्वास्थ्य इकाई- शाजापुर, हबीबगंज, इटारसी एवं 03 सीएचआई कार्यालय- भोपाल, बीना, इटारसी | 03 एचयू एवं 1 सीएचआई (सीएचआई) | स्वास्थ्य इकाई- शून्य, सीएचआई-01 | शून्य |
| मेट्रो अस्पताल | 1 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

| अनुलग्नक - 1.2 क | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|--------------|---------------|--|-------------------------------|-------------|------------------|
| 2017-18 से 2021-22 के दौरान मंडिसिन/सजिकल (उपशीर्ष 230 के तहत) निर्देश पर बजटीय राजस्व व्यय दर्शाने वाला विवरण | | | | | | | | | |
| (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.1) | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | रेलवे | बजट अनुमान | बजट अनुदान | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय | एफजी और ईई के बीच भिन्नता (बचत/अतिरिक्त) | एफजी पर ईई का प्रतिशत भिन्नता | बचत प्रतिशत | अतिरिक्त प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | मरे | 1608543 | 1481089 | 1470799 | 1467015 | -3784 | -0.3 | -0.26 | |
| 2 | पूतरे | 923115 | 629692 | 687713 | 846195 | 158482 | 23.0 | | 23.04 |
| 3 | पूमरे | 0 | 805703 | 768694 | 750443 | -18251 | -2.4 | -2.37 | |
| 4 | पूरे | 2644200 | 2140251 | 2140251 | 1877395 | -262856 | -12.3 | -12.28 | |
| 5 | उमरे | 1391734 | 753490 | 1108516 | 1063254 | -45262 | -4.1 | -4.08 | |
| 6 | उपूरे | 491755 | 723323 | 670836 | 706595 | 35759 | 5.3 | | 5.33 |
| 7 | पूसीरे | 1409941 | 1061990 | 1007701 | 978277 | -29424 | -2.9 | -2.92 | |
| 8 | उरे | 4339623 | 4324959 | 5130011 | 5076215 | -53796 | -1.0 | -1.51 | |
| 9 | उपरे | 0 | 1262268 | 928369 | 1282164 | 353795 | 38.1 | | 38.11 |
| 10 | दमरे | 2608000 | 2121500 | 2264800 | 2217400 | -47400 | -2.1 | -2.09 | |
| 11 | दपूमरे | 0 | 197518 | 209399 | 221132 | 11733 | 5.6 | | 5.60 |
| 12 | दपूरे | 0 | 1249796 | 1288392 | 1267552 | -20840 | -1.6 | -1.62 | |
| 13 | दरे | 1952418 | 2476425 | 1562121 | 1387770 | -174351 | -11.2 | -11.2 | |
| 14 | दपरे | 826236 | 641036 | 561219 | 575842 | 14623 | 2.6 | | 2.61 |
| 15 | पमरे | 954310 | 774771 | 748269 | 720824 | -27445 | -3.7 | -3.67 | |
| 16 | परे | 2111059 | 1873547 | 1823266 | 1827276 | 4010 | 0.2 | | 0.22 |
| 17 | आरपीयू | 906570 | 1807218 | 1763958 | 1399535 | -364423 | -20.7 | -12.52 | |
| | कुल | 21260934 | 24324576 | 24134314 | 23664884 | -469430 | | | |

| अनुलग्नक - 1.2ख | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|--------------|---------------|--|-------------------------------|-------------|------------------|
| 2017-18 से 2021-22 के दौरान वेतन, आहार शुल्क, रेफरल व्यय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपकरणों के खरखाव (उप-शीर्ष 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 310 और 350 के तहत) पर किए गए बजटीय राजस्व व्यय को दर्शाने वाला विवरण (₹ '000 में) (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.1) | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | रेलवे | बजट अनुमान | बजट अनुदान | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय | एफजी और ईई के बीच भिन्नता (बचत/अतिरिक्त) | एफजी पर ईई का प्रतिशत भिन्नता | बचत प्रतिशत | अतिरिक्त प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | मरे | 17470737 | 16076117 | 15754269 | 15711849 | -42420 | -0.27 | -0.27 | |
| 2 | पूतरे | 6447280 | 5648679 | 6002420 | 6355888 | 353468 | 5.89 | | 5.89 |
| 3 | पूमरे | एनएमए | 9591730 | 9470071 | 9369168 | -100903 | -1.07 | -1.07 | |
| 4 | पूरे | 16167819 | 15285876 | 16560007 | 14928940 | -1631067 | -9.85 | -9.85 | |
| 5 | उमरे | 8645971 | 6584271 | 8778180 | 8608277 | -169903 | -1.94 | -1.94 | |
| 6 | उपूरे | 5554803 | 7491803 | 6958786 | 7345421 | 386635 | 5.56 | | 5.56 |
| 7 | पूसीरे | 13858681 | 12932957 | 11369111 | 11391877 | 22766 | 0.20 | | 0.20 |
| 8 | उरे | 17351162 | 22660640 | 22614433 | 22495089 | -119344 | -0.53 | -0.53 | |
| 9 | उपरे | एनएमए | 9131899 | 13554667 | 8822974 | -4731693 | -34.91 | -34.91 | |
| 10 | दमरे | 15239800 | 14798200 | 14262900 | 14136800 | -126100 | -0.88 | -0.88 | |
| 11 | दपूमरे | 2623790 | 1920128 | 2356551 | 2319107 | -37444 | -1.59 | -1.59 | |
| 12 | दपूरे | एनएमए | 12842237 | 13104622 | 12923576 | 181046 | 1.38 | | 1.38 |
| 13 | दरे | 10566723 | 14976546 | 9398820 | 9708965 | 310145 | 3.30 | | 3.30 |
| 14 | दपरे | 6062427 | 5148714 | 5928111 | 4942503 | -985608 | -16.63 | -16.63 | |

| अनुलग्नक - 1.2ख | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|--------------|---------------|--|-------------------------------|-------------|------------------|
| 2017-18 से 2021-22 के दौरान वेतन, आहार शुल्क, रेफरल व्यय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपकरणों के रखरखाव (उप-शीर्ष 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 310 और 350 के तहत) पर किए गए बजटीय राजस्व व्यय को दर्शाने वाला विवरण (₹ '000 में) | | | | | | | | | |
| (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.1) | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | रेलवे | बजट अनुमान | बजट अनुदान | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय | एफजी और ईई के बीच भिन्नता (बचत/अतिरिक्त) | एफजी पर ईई का प्रतिशत भिन्नता | बचत प्रतिशत | अतिरिक्त प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | पमरे | 5959618 | 5976907 | 6659197 | 6458879 | -200318 | -3.01 | -3.01 | |
| 16 | परे | 19531652 | 18158221 | 18656936 | 27776099 | -9119163 | -48.88 | -48.88 | |
| 17 | आरपीयू | 164965 | 127242 | 354293.81 | 383927 | 29633.19 | 8.36 | | 8.36 |

| अनुलग्नक - 1.2 ग 2017-18 से 2021-22 के दौरान एम एंड पी (योजना शीर्ष 4100 के तहत) की खरीद पर किए गए बजटीय पूंजीगत व्यय को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.1) (₹ '000 में) | | | | | | | |
|---|--------|------------|--------------|---------------|--|-------------|------------------|
| क्र.सं. | रेलवे | बजट अनुमान | अंतिम अनुदान | वास्तविक व्यय | एफजी और ईई के बीच भिन्नता (बचत/अतिरिक्त) | बचत प्रतिशत | अतिरिक्त प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मरे | एनएमए | 276697 | 291395 | 14698 | | 5.31 |
| 2 | पूतरे | 1760094 | 901993 | 868810 | -33183 | -3.68 | |
| 3 | पूमरे | एनएमए | एनएमए | एनएमए | | | |
| 4 | पूरे | 1547044 | 1016677 | 1215967 | 199290 | | 19.60 |
| 5 | उमरे | एनएमए | एनएमए | 4569 | | | |
| 6 | उपूरे | 0 | 86614 | 49788 | -36826 | -42.52 | |
| 7 | पूसीरे | 843130 | 577090 | 569134 | -7956 | -1.38 | |
| 8 | उरे | एनएमए | एनएमए | एनएमए | | | |
| 9 | उपरे | | 959727 | 893148 | -66579 | -6.94 | |
| 10 | दमरे | 45401 | 122333 | 126829 | 4496 | | 3.68 |
| 11 | दपूमरे | 5201 | 26725 | 20494 | -6231 | -23.32 | |
| 12 | दपूरे | 1868310 | 1647004 | 1831069 | 184065 | | 11.18 |
| 13 | दरे | 356249 | 294341 | 280226 | 24261 | -4.80 | |
| 14 | दपरे | 46921 | 46234 | 32802 | -13432 | -29.05 | |
| 15 | पमरे | एनएमए | 92390 | 60123 | -32267 | -34.92 | |
| 16 | परे | एनएमए | एनएमए | एनएमए | | | |
| 17 | आरपीयू | 590223 | 449492 | 400901 | -48591 | -10.81 | |

एनएमए: उपलब्ध नहीं कराया गया

| अनुलग्नक -1.3 रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2) | | | | | | | |
|--|---------------|---------|---|--|--|--|--|
| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | मरे | 2017-18 | 40931.40 | 4871.50 | 135652.22 | 477326.96 | |
| 2 | पूतरे | 2017-18 | 8932.00 | 4088.00 | 88376.00 | 247835.00 | |
| 3 | पूमरे | 2017-18 | 5487.00 | 4110.00 | 75228.00 | 15131.00 | |
| 4 | पूरे | 2017-18 | 6007.00 | 865.00 | 18407.00 | 1331.00 | |
| 5 | उमरे | 2017-18 | 4305.00 | 3772.58 | 140349.20 | 155348.14 | |
| 6 | उपूरे | 2017-18 | 6790.071 | 12417.78 | 100993.975 | 60283.885 | |
| 7 | पूसीरे | 2017-18 | 27131 | 28955 | 50648 | 184145 | |
| 8 | उरे | 2017-18 | 1312.00 | 16258.00 | 137523.00 | 95351.00 | |
| 9 | उपरे | 2017-18 | 13775.00 | 2528.00 | 135534.00 | 311103.00 | |
| 10 | दमरे | 2017-18 | 11079.73 | 812.40 | 376285.68 | 707321.77 | |
| 11 | दपूमरे | 2017-18 | 2113 | 11352 | 53904 | 245375 | |
| 12 | दपूरे | 2017-18 | 30914.00 | 9749.00 | 118316.00 | 140650.00 | |
| 13 | दरे | 2017-18 | 65080.00 | 7173.00 | 459553.00 | 128689.00 | |
| 14 | दपरे | 2017-18 | 4675.00 | 2921.00 | 70700.00 | 83757.00 | |
| 15 | पमरे | 2017-18 | 8764.54 | 10218.60 | 53598.82 | 75822.08 | |
| 16 | परे | 2017-18 | 19577.09 | 12497.40 | 271368.45 | 142146.26 | |
| 17 | आरपीयू/मेट्रो | 2017-18 | 10668.00 | 3310.00 | 82678.00 | 68144.00 | |
| | कुल | | 267541.83 | 135899.26 | 2369115.35 | 3139759.66 | |

| अनुलग्नक -1.3 | | | | | | | |
|--|--------|---------|---|--|--|--|--|
| रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2) | | | | | | | |
| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | मरे | 2018-19 | 67213.04 | 4775.60 | 103444.32 | 705679.89 | |
| 2 | पूतरे | 2018-19 | 13824.00 | 4858.00 | 87236.00 | 230410.00 | |
| 3 | पूमरे | 2018-19 | 25349.00 | 4746.00 | 86595.00 | 33401.00 | |
| 4 | पूरे | 2018-19 | 12341.00 | 750.00 | 43799.00 | 5191.00 | |
| 5 | उमरे | 2018-19 | 2248.00 | 6040.10 | 157121.07 | 464538.63 | |
| 6 | उपूरे | 2018-19 | 18653.01 | 16294.94 | 101892.84 | 73806.29 | |
| 7 | पूसीरे | 2018-19 | 8414 | 32423 | 53668 | 209656.996 | |
| 8 | उरे | 2018-19 | 4104.00 | 21822.00 | 587618.00 | 155199.00 | |
| 9 | उपरे | 2018-19 | 13716.00 | 4655.00 | 185980.00 | 456314.00 | |
| 10 | दमरे | 2018-19 | 25351.60 | 812.40 | 499984.37 | 951623.93 | |
| 11 | दपूमरे | 2018-19 | 6538 | 17218 | 48671 | 294377 | |
| 12 | दपूरे | 2018-19 | 52911.00 | 21595.00 | 75608.00 | 187873.00 | |
| 13 | दरे | 2018-19 | 63255.00 | 4692.00 | 430611.00 | 159126.00 | |
| 14 | दपरे | 2018-19 | 9882.00 | 4376.00 | 75630.00 | 170863.00 | |
| 15 | पमरे | 2018-19 | 7209.32 | 16960.04 | 92999.50 | 220029.00 | |
| 16 | परे | 2018-19 | 19727.57 | 20510.62 | 207263.87 | 216315.19 | |

अनुलग्नक -1.3

रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2)

| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) |
|---------|---------------|---------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | आरपीयू/मेट्रो | 2018-19 | 23830.00 | 6527.00 | 149638.00 | 70395.00 |
| | कुल | | 374566.54 | 189055.70 | 2987759.97 | 4604798.92 |

अनुलग्नक -1.3

रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2)

| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) |
|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मरे | 2019-20 | 60847.00 | 2324.25 | 131251.18 | 850569.00 |
| 2 | पूतरे | 2019-20 | 16724.00 | 9578.00 | 118042.00 | 246314.00 |
| 3 | पूमरे | 2019-20 | 19558.00 | 5766.00 | 99803.00 | 98615.00 |
| 4 | पूरे | 2019-20 | 1222.00 | 5400.00 | 34649.00 | 16796.00 |
| 5 | उमरे | 2019-20 | 10954.98 | 7415.00 | 156687.92 | 557727.03 |
| 6 | उपूरे | 2019-20 | 8531.03 | 15278.55 | 107065.99 | 95851.58 |
| 7 | पूसीरे | 2019-20 | 6714 | 37296 | 45646 | 219782.991 |
| 8 | उरे | 2019-20 | 16245.00 | 22012.00 | 737413.00 | 199275.00 |
| 9 | उपरे | 2019-20 | 13798.00 | 6690.00 | 209249.00 | 506597.00 |
| 10 | दमरे | 2019-20 | 12526.91 | 812.40 | 414076.71 | 928479.98 |
| 11 | दपूमरे | 2019-20 | 16099 | 25738 | 66054 | 371360 |
| 12 | दपूरे | 2019-20 | 57000.00 | 23488.00 | 178013.00 | 218591.00 |
| 13 | दरे | 2019-20 | 105349.00 | 5875.00 | 543553.00 | 179621.00 |
| 14 | दपरे | 2019-20 | 7682.00 | 6640.00 | 83199.00 | 162899.00 |
| 15 | पमरे | 2019-20 | 18652.00 | 19234.57 | 101918.64 | 237908.82 |
| 16 | परे | 2019-20 | 61264.48 | 30108.42 | 125196.41 | 992973.27 |

| अनुलग्नक -1.3 रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2) | | | | | | |
|---|---------------|---------|---|--|--|--|
| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | आरपीयू/मेट्रो | 2019-20 | 27948.00 | 5928.00 | 166441.00 | 108558.00 |
| | कुल | | 461115.40 | 229584.19 | 3318258.85 | 5991918.68 |

| अनुलग्नक -1.3 रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2) | | | | | | | |
|---|--------|---------|---|--|--|--|--|
| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | मरे | 2020-21 | 26152.73 | 1642.29 | 136636.36 | 700438.18 | |
| 2 | पूतरे | 2020-21 | 27643.00 | 16655.00 | 119282.00 | 244635.00 | |
| 3 | पूमरे | 2020-21 | 32205.00 | 5716.00 | 89310.00 | 100704.00 | |
| 4 | पूरे | 2020-21 | 8178.00 | 7638.00 | 20609.00 | 20596.00 | |
| 5 | उमरे | 2020-21 | 7726.12 | 9698.13 | 181447.02 | 606885.89 | |
| 6 | उपूरे | 2020-21 | 10253.16 | 20996.02 | 91600.01 | 84086.72 | |
| 7 | पूसीरे | 2020-21 | 2991 | 34702 | 52312 | 270500.458 | |
| 8 | उरे | 2020-21 | 27503.00 | 27853.00 | 871629.00 | 209180.00 | |
| 9 | उपरे | 2020-21 | 32597.00 | 10726.00 | 204743.00 | 490178.00 | |
| 10 | दमरे | 2020-21 | 11481.71 | 49425.00 | 330917.79 | 1072001.76 | |
| 11 | दपूमरे | 2020-21 | 46131 | 41675 | 101149 | 589347 | |
| 12 | दपूरे | 2020-21 | 71788.00 | 23464.00 | 129982.00 | 234129.00 | |
| 13 | दरे | 2020-21 | 75375.00 | 30843.00 | 446605.00 | 188317.00 | |
| 14 | दपरे | 2020-21 | 4008.00 | 9923.00 | 79830.00 | 197833.00 | |
| 15 | पमरे | 2020-21 | 19769.80 | 22847.25 | 92899.37 | 208747.76 | |

अनुलग्नक -1.3

रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2)

| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) |
|---------|---------------|---------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | परे | 2020-21 | 228213.70 | 43301.40 | 138206.92 | 234895.94 |
| 17 | आरपीयू/मेट्रो | 2020-21 | 42629.00 | 7031.00 | 152990.00 | 151648.00 |
| | कुल | | 674645.21 | 364136.09 | 3240148.47 | 5604123.70 |

अनुलग्नक -1.3

रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2)

| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) |
|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मरे | 2021-22 | 120413.01 | 3772.00 | 171092.30 | 559646.65 |
| 2 | पूतरे | 2021-22 | 894.00 | 16804.00 | 124320.00 | 280140.00 |
| 3 | पूमरे | 2021-22 | 30134.00 | 3743.00 | 78940.00 | 117994.00 |
| 4 | पूरे | 2021-22 | 21397.00 | 31619.00 | 60788.00 | 40869.00 |
| 5 | उमरे | 2021-22 | 6901.00 | 12029.09 | 182347.83 | 481419.74 |
| 6 | उपूरे | 2021-22 | 13284.53 | 19457 | 87985.38 | 122637.8 |
| 7 | पूसीरे | 2021-22 | 16107 | 33913 | 40362 | 358082.794 |
| 8 | उरे | 2021-22 | 13661.00 | 27596.00 | 788187.00 | 305551.00 |
| 9 | उपरे | 2021-22 | 17717.00 | 9085.00 | 187968.00 | 552168.00 |
| 10 | दमरे | 2021-22 | 25548.42 | 73480.00 | 333031.55 | 894744.82 |
| 11 | दपूमरे | 2021-22 | 52007 | 47287 | 73948 | 793297 |
| 12 | दपूरे | 2021-22 | 112223.00 | 50060.00 | 167679.00 | 269835.00 |
| 13 | दरे | 2021-22 | 101068.00 | 47652.00 | 612549.00 | 193768.00 |
| 14 | दपरे | 2021-22 | 14627.00 | 11224.00 | 90350.00 | 199118.00 |
| 15 | पमरे | 2021-22 | 26531.55 | 21435.38 | 78856.60 | 310769.23 |

| अनुलग्नक -1.3 रोगी को रेफर करने, चिकित्सा उपकरण, दवा की खरीद और सीएमपी एवं एचवीएस को किराये पर लेने पर व्यय की वर्षवार प्रवृत्ति का विवरण दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ- 1.9.1.2) | | | | | | |
|---|---------------|---------|---|--|--|--|
| क्र.सं. | रेलवे | वर्ष | चिकित्सा उपकरणों पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | सीएमपी एवं एचवीएस पर वर्षवार व्यय (₹ हजार में) | चिकित्सा पर वर्षवार व्यय (केन्द्रीकृत एवं एल.पी.) (₹ हजार में) | रोगी के रेफरल पर वर्षवार व्यय (सरकारी/सरकारी अस्पताल से अन्य) (₹ हजार में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | परे | 2021-22 | 86708.95 | 41200.15 | 329286.67 | 334553.72 |
| 17 | आरपीयू/मेट्रो | 2021-22 | 40163.664 | 14969 | 136207.439 | 139462.384 |
| कुल योग | | | 699386 | 465326 | 3543899 | 5954057 |

अनुलग्नक - 1.4

सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ोनल रेलवेवार डॉक्टरों की कमी को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.क)

| ज़ोनल रेलवे | 2017-18 | | | | | 2018-19 | | | | | 2019-20 | | | | |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या | रोल स्थिति पर | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार स्वीकृत शक्ति | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | |
| मरे | 58 | एनएवी | 34 | 24 | एनएवी | 58 | 34 | 24 | एनएवी | 58 | एनएवी | 36 | 22 | एनएवी | |
| पूमरे | 34 | 36 | 25 | 9 | 11 | 34 | 27 | 7 | 9 | 34 | 36 | 26 | 8 | 10 | |
| पूतरे | 29 | 16 | 16 | 13 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0 | 29 | 19 | 19 | 10 | 0 | |
| पूरे | 68 | 58 | 53 | 15 | 5 | 68 | 52 | 16 | 6 | 68 | 58 | 54 | 14 | 4 | |
| उमरे | 34 | 17 | 13 | 21 | 4 | 34 | 15 | 19 | 2 | 34 | 17 | 16 | 18 | 1 | |
| उपूरे | 58 | 33 | 29 | 29 | 4 | 58 | 32 | 26 | 1 | 58 | 33 | 32 | 26 | 1 | |
| पूसीरे | 50 | 48 | 45 | 5 | 3 | 48 | 42 | 6 | 6 | 48 | 48 | 43 | 5 | 5 | |
| उरे | 68 | एनएवी | 75 | -7 | एनएवी | 68 | 73 | -5 | एनएवी | 68 | एनएवी | 73 | -5 | एनएवी | |
| उपरे | 34 | 24 | 20 | 14 | 4 | 34 | 22 | 12 | 2 | 34 | 24 | 22 | 12 | 2 | |
| आरपीयू | 34 | 14 | 14 | 20 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0 | 34 | 14 | 12 | 22 | 2 | |
| दमरे | 58 | 41 | 35 | 23 | 6 | 58 | 40 | 18 | 1 | 58 | 41 | 39 | 19 | 2 | |
| दपूमरे | 34 | 39 | 29 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 10 | 34 | 39 | 29 | 5 | 10 | |
| दपूरे | 58 | 36 | 34 | 24 | 2 | 58 | 33 | 25 | 3 | 58 | 36 | 33 | 25 | 3 | |
| दरे | 68 | 67 | 66 | 2 | 1 | 68 | 66 | 2 | 1 | 68 | 67 | 67 | 1 | 0 | |

| अनुलग्नक - 1.4 सेंट्रल हॉस्पिटल में जोनल रेलवेवार डॉक्टरों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.क) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| जोनल रेलवे | 2017-18 | | | | | 2018-19 | | | | | 2019-20 | | | | |
| | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | रोल स्थिति पर | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार स्वीकृत शक्ति | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी |
| दपरे | 34 | 20 | 23 | 11 | -3 | 34 | 20 | 22 | 12 | -2 | 34 | 20 | 20 | 14 | 0 |
| पमरे | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 | 34 | 17 | 15 | 19 | 2 | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| परे | 58 | 43 | 42 | 16 | 1 | 58 | 43 | 42 | 16 | 1 | 58 | 43 | 42 | 16 | 1 |

एनएवी: उपलब्ध नहीं है, एनएस: कोई कमी नहीं

| अनुलग्नक - 1.4 केंद्रीय अस्पताल में क्षेत्रीय रेलवेवार डॉक्टरों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.क) | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| जोनल रेलवे | 2020-21 | | | | | 2021-22 | | | | |
| | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचएस के अनुसार मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी |
| मरे | 58 | एनएवी | 36 | 22 | एनएवी | 58 | एनएवी | 33 | 25 | एनएवी |
| पूमरे | 34 | 36 | 26 | 8 | 10 | 34 | 36 | 28 | 6 | 8 |
| पूतरे | 34 | 19 | 19 | 15 | 0 | 34 | 18 | 18 | 16 | 0 |
| पूरे | 68 | 58 | 55 | 13 | 3 | 68 | 57 | 51 | 17 | 6 |
| उमरे | 34 | 17 | 16 | 18 | 1 | 34 | 17 | 15 | 19 | 2 |
| उपूरे | 58 | 33 | 43 | 15 | -10 | 58 | 33 | 41 | 17 | -8 |
| पूसीरे | 48 | 48 | 44 | 4 | 4 | 48 | 48 | 40 | 8 | 8 |
| उरे | 68 | एनएवी | 74 | -6 | एनएवी | 68 | एनएवी | 72 | -4 | एनएवी |
| उपरे | 34 | 24 | 23 | 11 | 1 | 34 | 24 | 24 | 10 | 0 |
| आरपीयू | 34 | 14 | 14 | 20 | 0 | 34 | 14 | 12 | 22 | 2 |
| दमरे | 58 | 41 | 37 | 21 | 4 | 58 | 41 | 39 | 19 | 2 |
| दपूमरे | 34 | 43 | 29 | 5 | 14 | 34 | 43 | 29 | 5 | 14 |
| दपूरे | 58 | 36 | 26 | 32 | 10 | 58 | 36 | 25 | 33 | 11 |
| दरे | 68 | 67 | 64 | 4 | 3 | 68 | 67 | 63 | 5 | 4 |
| दपरे | 34 | 20 | 23 | 11 | -3 | 34 | 20 | 21 | 13 | -1 |
| पमरे | 34 | 17 | 16 | 18 | 1 | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| परे | 58 | 45 | 44 | 14 | 1 | 58 | 45 | 49 | 9 | -4 |

| अनुलग्नक- 1.4 सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ोनल रेलवेवार डॉक्टरों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.क) | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| 31-03-2022 तक डॉक्टरों की स्थिति | | | | | | |
| अस्पताल का नाम (ज़ोनल रेलवे) | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | सीएमपी सहित ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | स्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल बायकुला (मरे) | 58 | 41 | 33 | 25 | 8 | |
| सीएच/सीएसएसएच/पीएनबीई/पूमरे | 34 | 36 | 28 | 6 | 8 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल, मंचेश्वर (पूतरे) | 34 | 18 | 18 | 16 | 0 | |
| बीआर सिंह अस्पताल सियालदह (पूरे) | 68 | 57 | 51 | 17 | 6 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल (उमरे) | 34 | 17 | 15 | 19 | 2 | |
| एलएनएमआरएच गोरखपुर (उपूरे) | 58 | 33 | 41 | 17 | -8 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल मालीगांव (पूसीरे) | 50 | 48 | 40 | 10 | 8 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल (उरे) | 68 | एनएवी | 72 | -4 | एनएवी | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल (उपरे) | 34 | 24 | 24 | 10 | 0 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल, बीएलडब्ल्यू (आरपीयू) | 34 | 14 | 12 | 22 | 2 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल /एलजीडी (दमरे) | 58 | 41 | 39 | 19 | 2 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल /बीएसपी (दपूमरे) | 34 | 43 | 29 | 5 | 14 | |

| अनुलग्नक- 1.4 सेंट्रल हॉस्पिटल में जोनल रेलवेवार डॉक्टरों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.क) | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| 31-03-2022 तक डॉक्टरों की स्थिति | | | | | | |
| अस्पताल का नाम (जोनल रेलवे) | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | सीएमपी सहित ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | स्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल गार्डन रिच/दपूरे | 58 | 36 | 25 | 33 | 11 | |
| रेलवे अस्पताल पेरम्बूर (दरे) | 68 | 67 | 63 | 5 | 4 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल /यूबीएल (दपरे) | 34 | 20 | 21 | 13 | -1 | |
| सीएच जबलपुर (पमरे) | 34 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
| जगजीवन राम अस्पताल (परे) | 58 | 45 | 49 | 9 | -4 | |

| अनुलग्नक - 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ोनल रेलवेवार नर्सों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.ख) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ज़ोनल रेलवे | 2017-18 | | | | | | 2018-19 | | | | | | 2019-20 | | | | |
| | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार स्वीकृत शक्ति | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | | |
| मरे | 180 | एनएवी | 111 | 69 | एनएवी | 180 | एनएवी | 111 | 69 | एनएवी | 180 | एनएवी | 148 | 32 | एनएवी | | |
| पूम्परे | 90 | 73 | 64 | 26 | 9 | 90 | 73 | 64 | 26 | 9 | 90 | 81 | 79 | 11 | 2 | | |
| पूतरे | 45 | 35 | 35 | 10 | 0 | 45 | 35 | 35 | 10 | 0 | 45 | 35 | 35 | 10 | 0 | | |
| पूरे | 225 | 196 | 170 | 55 | 26 | 225 | 212 | 163 | 62 | 49 | 225 | 212 | 197 | 28 | 15 | | |
| उमरे | 90 | 42 | 33 | 57 | 9 | 90 | 42 | 32 | 58 | 10 | 90 | 42 | 39 | 51 | 3 | | |
| उपूरे | 180 | 96 | 78 | 102 | 18 | 180 | 96 | 74 | 106 | 22 | 180 | 96 | 92 | 88 | 4 | | |
| पूसीरे | 135 | 97 | 89 | 46 | 8 | 135 | 97 | 88 | 47 | 9 | 135 | 97 | 88 | 47 | 9 | | |
| उरे | 225 | 173 | 161 | 64 | 12 | 225 | 263 | 159 | 66 | 104 | 225 | 263 | 261 | -36 | 2 | | |
| उपरे | 90 | 43 | 41 | 49 | 2 | 90 | 43 | 52 | 38 | -9 | 90 | एनएवी | 56 | 34 | एनएवी | | |
| आरपीयू | 90 | 71 | 42 | 48 | 29 | 90 | 71 | 42 | 48 | 29 | 90 | 71 | 56 | 34 | 15 | | |
| दमरे | 180 | 132 | 129 | 51 | 3 | 180 | 132 | 115 | 65 | 17 | 180 | 132 | 123 | 57 | 9 | | |
| दपूमरे | 90 | 53 | 48 | 42 | 5 | 90 | 54 | 53 | 37 | 1 | 90 | 54 | 51 | 39 | 3 | | |
| दपूरे | 180 | 141 | 125 | 55 | 16 | 180 | 141 | 122 | 58 | 19 | 180 | 141 | 136 | 44 | 5 | | |

| अनुलग्नक - 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|---|---|--|--|
| सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ोनल रेलवेवार नर्सों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.ख) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ज़ोनल रेलवे | 2017-18 | | | | | | 2018-19 | | | | | | 2019-20 | | | | |
| | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार स्वीकृत शक्ति | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | | |
| दरे | 225 | 291 | 252 | -27 | 39 | 225 | 291 | 253 | -28 | 38 | 225 | 291 | 284 | -59 | 7 | | |
| दपरे | 90 | 72 | 57 | 33 | 15 | 90 | 72 | 68 | 22 | 4 | 90 | 72 | 75 | 15 | -3 | | |
| पमरे | 90 | 45 | 45 | 45 | 0 | 90 | 45 | 41 | 49 | 4 | 90 | 42 | 41 | 49 | 1 | | |
| परे | 180 | 140 | 120 | 60 | 20 | 180 | 152 | 108 | 72 | 44 | 180 | 152 | 147 | 33 | 5 | | |
| कुल योग | 2385 | 1700 | 1600 | 785 | 211 | 2385 | 1819 | 1580 | 805 | 350 | 2385 | 1781 | 1908 | 477 | 77 | | |

| अनुलग्नक - 1.5 सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ोनल रेलवेवार नर्सों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.ख) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|--|---|---|---------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| ज़ोनल रेलवे | 2020-21 | | | | | | 2021-22 | | | | |
| | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीए चएस मानदंडों के अनुसार कमी। | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार स्वीकृत शक्ति। | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | |
| मरे | 180 | एनएवी | 174 | 6 | एनएवी | 180 | एनएवी | 172 | 8 | एनएवी | |
| पूमरे | 90 | 81 | 79 | 11 | 2 | 90 | 81 | 79 | 11 | 2 | |
| पूतरे | 90 | 35 | 35 | 55 | 0 | 90 | 35 | 34 | 56 | 1 | |
| पूरे | 225 | 212 | 199 | 26 | 13 | 225 | 212 | 194 | 31 | 18 | |
| उमरे | 90 | 42 | 42 | 48 | 0 | 90 | 42 | 42 | 48 | 0 | |
| उपूरे | 180 | 96 | 93 | 87 | 3 | 180 | 96 | 106 | 74 | -10 | |
| पूसीरे | 135 | 97 | 86 | 49 | 11 | 135 | 97 | 81 | 54 | 16 | |
| उरे | 225 | 263 | 253 | -28 | 10 | 225 | 263 | 256 | -31 | 7 | |
| उपरे | 90 | एनएवी | 58 | 32 | एनएवी | 90 | एनएवी | 52 | 38 | एनएवी | |
| आरपीयू | 90 | 71 | 54 | 36 | 17 | 90 | 71 | 45 | 45 | 26 | |
| दमरे | 180 | 132 | 0 | 180 | 132 | 180 | 132 | 124 | 56 | 8 | |
| दपूमरे | 90 | 54 | 49 | 41 | 5 | 90 | 54 | 52 | 38 | 2 | |

| अनुलग्नक - 1.5 | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|--|---|---|---------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| सेंट्रल हॉस्पिटल में ज़ोनल रेलवेवार नर्सों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.ख) | | | | | | | | | | |
| ज़ोनल रेलवे | 2020-21 | | | | | 2021-22 | | | | |
| | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीए चएस मानदंडों के अनुसार कमी। | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | आईपीएचए स मानदंडों के अनुसार स्वीकृत शक्ति। | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी |
| दपूरे | 180 | 141 | 134 | 46 | 7 | 180 | 141 | 123 | 57 | 18 |
| दरे | 225 | 291 | 273 | -48 | 18 | 225 | 291 | 268 | -43 | 23 |
| दपरे | 90 | 72 | 74 | 16 | -2 | 90 | 72 | 71 | 19 | 1 |
| पमरे | 90 | 42 | 42 | 48 | 0 | 90 | 42 | 40 | 50 | 2 |
| परे | 180 | 152 | 139 | 41 | 13 | 180 | 152 | 139 | 41 | 13 |
| कुल योग | 2430 | 1781 | 1784 | 646 | 229 | 2430 | 1781 | 1878 | 552 | 127 |

| अनुलग्नक - 1.5 रेलवेवार नर्सों की कमी को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.3.ख) | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 31-03-2022 तक स्टाफ नर्सों की स्थिति | | | | | | |
| अस्पताल का नाम | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार संस्वीकृत संख्या | संस्वीकृत संख्या | ऑन रोल स्थिति | आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार कमी | संस्वीकृत संख्या के अनुसार कमी | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल बायकुला (मरे) | 180 | एनएमए | 172 | 8 | एनएमए | |
| सीएच/सीएसएसएच/पीएनबीई/एमरे | 90 | 81 | 79 | 11 | 2 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल, मंचेश्वर (पूतरे) | 90 | 35 | 34 | 56 | 1 | |
| बीआर सिंह अस्पताल सियालदह (पूरे) | 225 | 212 | 194 | 31 | 18 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल (उमरे) | 90 | 42 | 42 | 48 | 0 | |
| एलएनएमआरएच गोरखपुर (उपूरे) | 180 | 96 | 106 | 74 | -10 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल मालीगांव (पूसीरे) | 135 | 97 | 81 | 54 | 16 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल (उरे) | 225 | 263 | 256 | -31 | 7 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल (उपरे) | 90 | एनएवी | 52 | 38 | एनएवी | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल, बीएलडब्ल्यू (आरपीय) | 90 | 38 | 34 | 56 | 4 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल, सीएलडब्ल्यू | 90 | 71 | 45 | 45 | 26 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल /एलजीडी (दमरे) | 180 | 132 | 124 | 56 | 8 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल /बीएसपी (दपूमरे) | 90 | 54 | 52 | 38 | 2 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल गार्डन रिच/दपूरे | 180 | 141 | 123 | 57 | 18 | |
| रेलवे अस्पताल पेरम्बर (दरे) | 225 | 291 | 268 | -43 | 23 | |
| सेंट्रल हॉस्पिटल /यबीएल (दपरे) | 90 | 72 | 71 | 19 | 1 | |
| सीएच जबलपुर (एमरे) | 90 | 42 | 40 | 50 | 2 | |
| जगजीवन राम अस्पताल (परे) | 180 | 152 | 139 | 41 | 13 | |

| अनुलग्नक - 1.6 सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख कमियाँ (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.1 एवं 1.9.1.4.4) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------|----------------|--|
| ज़ोन | अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर्याप्त नहीं हैं | अस्पताल में पंजीकरण क्षेत्र/ओपीडी काउंटर पर बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है | सेवानिवृत्त लोगों की आसान पहुंच के लिए सभी विभागों और उपयोगिताओं (शौचालय, पेयजल आदि) के लिए दिशात्मक और लेआउट साइनेज उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। | अस्पताल में पर्याप्त मैनुअल सहित विभिन्न प्रकार की ओटी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं | अस्पताल ने घर में ब्लड बैंक विकसित नहीं किया है या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय गठजोड़ की व्यवस्था नहीं की है | 6 | 7 | 8 | वैधता तिथि समाप्त हो चुकी दवाओं को अलग से संग्रहित नहीं किया जाता है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| मरे | डीआरएच/केवाईएन | डीआरएच/केवाईएन, एसडीआरएच/एमएमआर | एसडीआरएम/एमएमआर, | डीआरएच/आईजीपी, एसडीआरएच/एमएमआर, | डीआरएच/आईजीपी, एसडीआरएच/एमएमआर, | सीएच/बीवाई | एसडीआरएच/एमएमआर | डीआरएच/केवाईएन | |
| पूतरे | एनए | एनए | डीआरएच/डब्ल्यूएटी | एनए | सीएच/एमसीएच, डीआरएच/डब्ल्यूएटी | सीएच/एमसीएच, डीआरएच/डब्ल्यूएटी | एनए | एनए | एनए |
| पूमरे | एनए | एनए | एनए | एनए | डीआरएच/सोनपुर, डीआरएच/डीएनआर | एनए | एनए | एनए | एनए |
| पूरे | डीआरएच/एच डब्ल्यूएच, परेएच/केपी | एनए | एनए | परेएच/केपी | डीआरएच/एच डब्ल्यूएच, परेएच/केपी | एनए | सीएच/बीआर सिंह एच/एसडीएच | एनए | एनए |
| उमरे | एनए | एनए | एनए | एनए | डीआरएच/आगरा, एसडीआरएच/पीआरवाईजे | एनए | एसडीआरएच/प्रीजे | डीआरएच/आगरा | डीआरएच/आगरा |
| उपूरे | एनए | एनए | एनए | एसडीआरएच/गोंडा | सीएच/जीकेपी | एनए | डीआरएच/आईजेएन | एनए | एनए |
| पूसीरे | 0 | एसडीआरएच/एनजेपी | डीआरएच/एलएमजी | एसडीआरएच/एनजेपी, डीआरएच/एलएमजी, एसडीआरएच/बीपीबी | डीआरएच/केआईआर, एसडीआरएच/एनजेपी | एसडीआरएच/एनजेपी, डीआरएच/एलएमजी, एसडीआरएच/बीपीबी | एसडीआरएच/बीएमबी | 0 | |
| उरे | 0 | आरडीएसओ/एलकेओ | 0 | 0 | आरडीएसओ/एलकेओ | 0 | 0 | 0 | 0 |

अनुलग्नक - 1.6

सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख कमियाँ
(संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.1 एवं 1.9.1.4.4)

| जोन | अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर्याप्त नहीं हैं | अस्पताल में पंजीकरण क्षेत्र/ओपीडी काउंटर पर बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है | सेवानिवृत्त लोगों की आसान पहुंच के लिए सभी विभागों और उपयोगिताओं (शौचालय, पेयजल आदि) के लिए दिशात्मक और लेआउट साइनेज उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। | अस्पताल में पर्याप्त मैनुअल सहित विभिन्न प्रकार की ओटी सेवाएं उपलब्ध नहीं है | अस्पताल ने घर में ब्लड बैंक विकसित नहीं किया है या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय गठजोड़ की व्यवस्था नहीं की है | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|--|--|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|---|
| उपरे | डीआरएच/एआईआई | डीआरएच/एआईआई | 0 | एसडीआरएच/आरई | सीएच/जेपी, एसडीआरएच/आरई | सीएच/जेपी, एसडीआरएच/एआईआई | 0 | 0 | 0 |
| दमरे | डीआरएच/जीएनटी | 0 | 0 | एसडीआरएच/आरवाईपी, डीआरएच/जीएनटी, सीएच/एलजीडी, सीएच/एलजीडी | एसडीआरएच/आरवाईपी, डीआरएच/जीएनटी, सीएच/एलजीडी, डीआरएच/बीजेडए | डीआरएच/जीएनटी | 0 | 0 | एसडीआरएच/आरवाईपी, डीआरएच/जीएनटी, सीएच/एलजीडी, डीआरएच/बीजेडए |
| दपूमे | डीआरएच/आर | 0 | 0 | डीआरएच/आर, डीआरएच/बीएमवाई | डीआरएच/आर, डीआरएच/बीएमवाई | डीआरएच/आर | डीआरएच/आर, डीआरएच/बीएमवाई | डीआरएच/आर, डीआरएच/बीएमवाई | डीआरएच/आर, डीआरएच/बीएमवाई |
| दपूरे | डीआरएच/आर | सीएच/उद्यान पहुंच | एसडीआरएच/टाटा, डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/केजीपी | एसडीआरएच/टाटा, डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/केजीपी | एसडीआरएच/टाटा, डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/केजीपी | डीआरएच/केजीपी | डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/केजीपी | डीआरएच/आद्रा | डीआरएच/आद्रा |
| दरे | 0 | एसडीआरएच/दरे आर | डीआरएच/गोल्डन रॉक | एसडीआरएच/दरे आर, एसडीआरएच/बीएम | एसडीआरएच/दरे आर, एसडीआरएच/बीएम, डीआरएच/पीजीटी, आरएच/आईसीएफ | डीआरएच/पीजीटी, दरेडीएच/दरे आर | सीएच/पीपूरे, एसडीआरएच/बीएम, आरएच/आईसीएफ | 0 | 0 |
| दपरे | डीआरएच/एमवाईएस | 0 | 0 | 0 | डीआरएच/एमवाईएस, आरएच/वाईएलके | 0 | 0 | 0 | डीआरएच/एमवाईएस, आरएच/वाईएलके |

| अनुलग्नक - 1.6 सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख कमियाँ (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.1 एवं 1.9.1.4.4) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|---------------------------------|---------------|--|
| ज़ोन | अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर्याप्त नहीं हैं | अस्पताल में पंजीकरण क्षेत्र/ओपीडी काउंटर पर बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है | सेवानिवृत्त लोगों की आसान पहुंच के लिए सभी विभागों और उपयोगिताओं (शौचालय, पेयजल आदि) के लिए दिशात्मक और लेआउट साइनेज उचित रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं। | अस्पताल में पर्याप्त मैनुअल सहित विभिन्न प्रकार की ओटी सेवाएं उपलब्ध नहीं है | अस्पताल ने घर में ब्लड बैंक विकसित नहीं किया है या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय गठजोड़ की व्यवस्था नहीं की है | 6 | 7 | 8 | वैधता तिथि समाप्त हो चुकी दवाओं को अलग से संग्रहित नहीं किया जाता है |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| पमरे | एसडीआरएच/बीना | एसडीआरएच/बीना | 0 | एसडीआरएच/बीना, एसडीआरएच/ईटी | सीएच/जेबीपी, डीआरएच/बीपीएल, एसडीआरएच/बीना, एसडीआरएच/ईटी | सीएच/जेबीपी | सीएच/जेबीपी | 0 | 0 |
| परे | 0 | 0 | डीआरएच/आरटीएम | 0 | 0 | डीआरएच/आरटीएम | 0 | सीएच/एमएमसीटी | |
| आरपी चू/मेट्रो | 0 | 0 | सीएच/बीएलडब्ल्यू | 0 | सीएच/टीएसएमएच | 0 | सीएच/बीएलडब्ल्यू, सीएच/टीएसएमएच | 0 | 0 |

| अनुलग्नक - 1.7 अस्पतालवार चिकित्सा उपकरणों की कमी दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.2) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| क्र.सं. | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम | बिस्तर की संख्या | ऑपरेशन टेबल हाइड्रोलिक माइजर | ऑपरेशन टेबल हाइड्रोलिक मेजर | नेत्रदर्शी - प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष | बीपी उपकरण स्टैंड मॉडल | मैमोग्राफी यूनिट | अल्ट्रासाउंड मशीन | डेंटल एक्स-रे मशीन | 500 एमए/300एमए/100एमए/60एमए एक्स-रे मशीन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | मरे | सेंट्रल हॉस्पिटल बाइकूला | 366 | 4 | एनएस | एनएस | 25 | 1 | एनएस | एनएस | एनएस |
| 2 | पूतरे | सेंट्रल हॉस्पिटल, मचेश्वर | 110 | 2 | 2 | एनएस | 11 | एनएस | 1 | 1 | एनएस |
| 3 | पुमरे | सीएसएसएच, पटना | 200 | 1 | एनएस | एनएस | 15 | एनएस | 2 | एनएस | 2 |
| 4 | उमरे | उमरे/केंद्रीय अस्पताल | 177 | एनएस | एनएस | एनएस | 6 | एनएस | एनएस | 1 | एनएस |
| 5 | उपूरे | एलएनएमआरएच गोरखपुर | 366 | एनएस | 3 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | एनएस |
| 6 | उरें | एनआरसीएच | 419 | 3 | एनएस | एनएस | 21 | 1 | 2 | एनएस | एनएस |
| 7 | उपरे | सेंट्रल हॉस्पिटल/जयपुर | 150 | 2 | 2 | एनएस | 14 | एनएस | एनएस | एनएस | एनएस |
| 8 | आरपीयू | सेंट्रल हॉस्पिटल, बीएलडब्ल्यू | 105 | 1 | 1 | एनएस | 4 | एनएस | 1 | एनएस | एनएस |
| 9 | आरपीयू | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू | 192 | 1 | एनएस | 2 | 15 | एनएस | 2 | एनएस | एनएस |
| 10 | दमरे | सीएच/एलजीडी | 303 | 4 | एनएस | एनएस | 25 | 1 | 3 | 1 | एनएस |
| 11 | दपुमरे | सीएच/बीएसपी | 150 | 2 | 1 | 2 | एनएस | एनएस | एनएस | एनएस | एनएस |
| 12 | दरे | रेलवे अस्पताल पैम्बूर | 505 | 2 | 4 | एनएस | 25 | 1 | 4 | एनएस | एनएस |
| 13 | दपरे | सीएच/यूबीएल | 149 | 1 | 1 | 1 | 15 | एनएस | एनएस | एनएस | एनएस |
| 14 | पमरे | सीएच जबलपुर | 155 | 1 | एनएस | 2 | एनएस | एनएस | एनएस | एनएस | एनएस |
| 15 | परे | जगजीवन राम अस्पताल /परे | 361 | एनएस | एनएस | 3 | 22 | 1 | एनएस | एनएस | 4 |

एनएस: कोई कमी नहीं

| अनुलग्नक- 1.8 नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.3) | | | |
|---|---|--|--|
| क्र.सं. | नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अनुसार उपकरण और दवा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों का अभाव | ओपीडी/आईपीडी/ओटी/आईसीयू/लैब आदि में संक्रमण को नियंत्रित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्टेराइल और आपूर्ति विभाग की गैर-मौजूदगी/अपर्याप्त कार्य | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति का न होना |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | मरे | मरे | मरे |
| | उपमंडलीय अस्पताल मनमाड | मंडलीय अस्पताल कल्याण | उप मंडलीय अस्पताल मनमाड |
| | सेंट्रल हॉस्पिटल भायखला | उप मंडलीय अस्पताल मनमाड | उप मंडलीय अस्पताल/आई.जी.पी |
| | मंडलीय अस्पताल कल्याण | उप मंडलीय अस्पताल/आई.जी.पी | |
| | उप मंडलीय हॉस्पिटल /आई.जी.पी | | |
| | मंडलीय हॉस्पिटल पुणे | | |
| 2 | पूतरे | | पूतरे |
| | सीएच/बीबीएस | | डीआरएच/डब्ल्यूएटी |
| | डीआरएच/डब्ल्यूएटी | | सीएच/बीबीएस |
| 3 | पूमरे | पूमरे | पूमरे |
| | सीएसएसएच/पीएनबीई | सीएसएसएच/पीएनबीई | सीएसएसएच/पीएनबीई |
| | एसडीआरएच गया | डीआरएच/दानापुर | डीआरएच/दानापुर |
| | डीआरएच/दानापुर | डीआरएच/ सोनपुर | डीआरएच/ सोनपुर |
| | डब्ल्यूएच हरनौत | एसडीआरएच गया | एसडीआरएच गया |
| | डीआरएच/ सोनपुर | डब्ल्यूएच हरनौत | डब्ल्यूएच हरनौत |
| 4 | पूरे | | पूरे |
| | उपमंडलीय रेलवे अस्पताल-अंजाल | | डीआरएच/एचडब्ल्यूएच |

| अनुलग्नक- 1.8 नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.3) | | | |
|---|--|--|--|
| क्र.सं. | नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अनुसार उपकरण और दवा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों का अभाव | ओपीडी/आईपीडी/ओटी/आईसीयू/लैब आदि में संक्रमण को नियंत्रित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्ट्रेटाइल और आपूर्ति विभाग की गैर-मौजूदगी/अपर्याप्त कार्य | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति का न होना |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | मंडल रेलवे अस्पताल-एचडब्ल्यूएच बीआर सिंह अस्पताल, एसडीएच वर्कशॉप रेलवे अस्पताल- केपीए | | वर्कशॉप रेलवे अस्पताल- केपीए |
| 5 | उमरे डीआरएच/एजीसी सीएच/पीआरवाईजे एसडीएच, सीएनबी | | उमरे डीआरएचआगरा एसडीएच, सीएनबी |
| 6 | उपूरे एलएनएमआरएच गोरखपुर डीआरएच इज्जतनगर स्वास्थ्य इकाई आईजेएन कार्यशाला एसडीआरएच गोण्डा | उपूरे एलएनएमआरएच/जीकेपी | उपूरे डीआरएच, आईजेएन एलएनएमआरएच, जीकेपी एसडीआरएच/गोंडा |
| 7 | पूसीरे सीएच/मालीगांव डीआरएच/केआईआर एसडीआरएच/एनजेपी डीआरएच/एलएमजी | पूसीरे एसडीआरएच/बीपीबी | पूसीरे सीएच/एमएलजी डीआरएच/एलएमजी एसडीआरएच/बीपीबी एसडीआरएच/एनजेपी |

| अनुलग्नक- 1.8 नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.3) | | | |
|---|---|--|--|
| क्र.सं. | नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अनुसार उपकरण और दवा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों का अभाव | ओपीडी/आईपीडी/ओटी/आईसीयू/लैब आदि में संक्रमण को नियंत्रित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्टेराइल और आपूर्ति विभाग की गैर-मौजूदगी/अपर्याप्त कार्य | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति का न होना |
| 1 | 2 एसडीआरएच/बीपीबी | 3 | 4 |
| 8 | उपरे एनआरडीएच/डीएलआई एनआरसीएच/दिल्ली एनआरडीएच/एलकेओ एनआरडीएच/यूपमबी आरसीएफ/एचएसक्यू आरडीएसओ/एलकेओ | उपरे एनआरडीएच/डीएलआई एनआरडीएच/यूपमबी एसडीएच/एसआरई आरडीएसओ/एलकेओ आरसीएफ/एचएसक्यू | उपरे एनआरडीएच/डीएलआई एनआरडीएच/यूपमबी एसडीएच/एसआरई आरसीएफ/एचएसक्यू आरडीएसओ/एलकेओ |
| 9 | उपरे डीआरएच/अजमेर एसडीआरएच/एबीआर सेंट्रल हॉस्पिटल/जयपुर एसडीआरएच/आरई | उपरे एसडीआरएच/आरई | उपरे सीएच/जयपुर डीआरएच/अजमेर एसडीआरएच/एबीआर एसडीआरएच/आरई |
| 10 | दमरे डीआरएच/बीजेडए एसडीएच/आरवाईपीएस डीआरएच/जीएनटी | दमरे सीएच/एलजीडी डीएच/बीजेडए डीएच/जीएनटी | दमरे सीएच/एलजीडी डीएच/बीजेडए डीएच/जीएनटी |

| अनुलग्नक- 1.8 नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.3) | | | |
|---|--|--|--|
| क्र.सं. | नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अनुसार उपकरण और दवा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों का अभाव | ओपीडी/आईपीडी/ओटी/आईसीयू/लैब आदि में संक्रमण को नियंत्रित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्टेराइल और आपूर्ति विभाग की गैर-मौजूदगी/अपर्याप्त कार्य | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति का न होना |
| 1 | 2 सीएच/एलजीडी | 3 एसडीएच/केजेडजे | 4 एसडीएच/केजेडजे |
| 11 | दपूमेरे सीएच/बीएसपी डीआरएच/रायपुर एसडीआरएच/भिलाई | एसडीएच/आरवाईपीएस दपूमेरे डीआरएच/आर एसडीआरएच बीएमवाई | एसडीएच/आरवाईपीएस |
| 12 | दपूरे डीआरएच/खड़गपुर एसडीआरएच/टाटा सीएच/जीआरसी | दपूरे डीआरएच/आद्रा एसडीआरएच/टाटा | दपूरे डीआरएच/आद्रा |
| 13 | दरे रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ उप- मंडलीय अस्पताल/शोरानूर मंडलीय अस्पताल/पोनमलाई उप- मंडलीय अस्पताल/विल्लुपुरम रेलवे अस्पताल/इंटीग्रल कोच फैक्ट्री/पेरम्बूर | दरे मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ रेलवे अस्पताल/इंटीग्रल कोच फैक्ट्री/पेरम्बूर उप- मंडलीय अस्पताल/शोरानूर उप- मंडलीय अस्पताल/विल्लुपुरम | दरे मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ उप- मंडलीय अस्पताल/विल्लुपुरम |

| अनुलग्नक- 1.8 नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.3) | | | |
|---|---|--|---|
| क्र.सं. | नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अनुसार उपकरण और दवा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों का अभाव | ओपीडी/आईपीडी/ओटी/आईसीयू/लैब आदि में संक्रमण को नियंत्रित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्टेराइल और आपूर्ति विभाग की गैर-मौजूदगी/अपर्याप्त कार्य | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति का न होना |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | दपरे आरएच/एमवाईएस सीएच/यूबीएल आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके | | दपरे आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके |
| 15 | पमरे गरीबी रेखा से नीचे डीआरएच बीपीएल एसडीआरएच बीना एसडीआरएच इटारसी सीएच जबलपुर | पमरे एसडीआरएच/इटारसी | पमरे सीएच जबलपुर डीआरएच भोपाल एसडीआरएच बीना एसडीआरएच इटारसी |
| 16 | परे डीआरएच पीआरटीएन जगजीवन राम अस्पताल/परे एसडीएच/बीएल डीआरएच/आरटीएम कार्यशाला दाहोद | परे दाहोद कार्यशाला जगजीवन राम अस्पताल/परे | |
| 17 | आरपीयू | आरपीयू | आरपीयू |

| अनुलग्नक- 1.8 नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा- 1.9.1.4.3) | | | |
|---|---|--|--|
| क्र.सं. | नैदानिक स्थापना अधिनियम 2010 के अनुसार उपकरण और दवा के मूल्यांकन के लिए मानदंडों/मानकों का अभाव | ओपीडी/आईपीडी/ओटी/आईसीयू/लैब आदि में संक्रमण को नियंत्रित करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्टेराइल और आपूर्ति विभाग की गैर-मौजूदगी/अपर्याप्त कार्य | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति का न होना |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | सीएच/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी | सीएच/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी | बीएलडब्ल्यू/वाराणसी |
| | केजी अस्पताल, /सीएलडब्ल्यू | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू | टीएसएमएच/मेट्रो |
| | एमआर | | |
| | टीएसएमएच | | |

| अनुलग्नक - 1.9 सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4) | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| अस्पतालों का नाम जहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आउटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच/डीआरएच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहाँ आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मरे | मरे | मरे | मरे | मरे | मरे |
| उप-मंडलीय अस्पताल मनमाड | एसडीआरएच मनमाड | एसडीआरएच/मनमाड | एसडीआरएच/आईजीपी | सेंट्रल हॉस्पिटल भायखला | सेंट्रल हॉस्पिटल भायखला |
| स्वास्थ्य इकाई/घोरपुरी | एसडीआरएच/आईजीपी | | एसडीआरएच/मनमाड | मंडलीय अस्पताल कल्याण | मंडलीय अस्पताल कल्याण |
| स्वास्थ्य इकाई/सतारा | पूरमे | उरे | पूरमे | एसडीआरएच मनमाड | एसडीआरएच मनमाड |
| पूरमे | एसडीआरएच गया | एनआरडीएच/यूएमबी | डीआरएच/दानापुर | एसडीआरएच/आईजीपी | एसडीआरएच/आईजीपी |
| एचयू बख्तियारपुर | 0 | एसडीएच/एसआरई | डीआरएच/ सोनपुर | डीआरएच/पुणे | पूरमे |
| एचयू बक्सर | पूरमे | | | पूरमे | डीआरएच/दानापुर |
| एचयू/ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर | एसडीआरएच- अंडाल | दमरे | उपूरमे | सीएच/एमसीएस | डीआरएच/ सोनपुर |
| एचयू/बीजेयू | पूरमे | एसडीएच/केजेडजे | एलएनएमआरएच जीकेपी | डीआरएच/डब्ल्यूएटी | एसडीआरएच गया |
| एचयू/एमकेए | डीआरएच/एलएमजी | | | पूरमे | डब्ल्यूएच हरनौत |
| पूरमे | एसडीआरएच/बीपीबी | | पूरमे | डीआरएच/दानापुर | |
| एचयू-बीडब्ल्यूएन | उरे | | सीएच/एमएलजी | डीआरएच/ सोनपुर | पूरमे |

| अनुलग्नक - 1.9 सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| अस्पतालों का नाम जहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आउटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच/डीआरएच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने अग्निशमन विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहाँ आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एचयू-केन्क्यू | एनआरडीएच/एलकेओ | | एसडीआरएच गया | मंडल रेलवे अस्पताल-एचडब्ल्यूएच | |
| उमरे | एनआरडीएच/यूएमबी | | उरे | डब्ल्यूएच हरनौत | एसडीआरएच- अंडाल |
| आगरा किला एचयू | एसडीएच/एसआरई | | एनआरडीएच/यूएमबी | पूरे | उमरे |
| एचयू/ईदगाह- आगरा | | | एसडीएच/एसआरई | मंडल रेलवे अस्पताल-एचडब्ल्यूएच | डीआरएच |
| उपूरे | उपूरे | | उपूरे | | एसडीएच, सीएनबी |
| एचयू केजीएम | सेंट्रल हॉस्पिटल, जयपुर | | एसडीआरएच/आरई | | उपूरे |
| एचयू केएसजे | डीआरएच/अजमेर | | | | डीआरएच आईजेडएन |
| एचयू पीबीई | एसडीआरएच/एबीआर | | | | एलएनएमआरएच जीकेपी |
| | एसडीआरएच/आरई | | दमरे | उमरे | एसडीआरएच गोण्डा |
| पूसीरे | दमरे | | एसडीएच/केजेडजे | डीआरएच/आगरा | |
| एचयू/जीएचवाई | डीआरएच/बीजेडए | | | सीएच/प्रयागराज | पूसीरे |
| एचयू/जेआईडी | डीआरएच/जीएनटी | | पमरे | एसडीएच, सीएनबी | सीएच/एमएलजी |
| एचयू/एलएमजी साउथ | एसडीएच/आरवाईपीएस | | एसडीआरएच बीना | उपूरे | डीआरएच/केआईआर |

| अनुलग्नक - 1.9 सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| अस्पतालों का नाम जहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आडटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच/डीआरएच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने अग्निशमन विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहाँ आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एचयू/एसजीयूजे कॉलोनी | दपूमे | | | डीआरएच आईजेडएन | एसडीआरएच/बीपीबी |
| एचयू/एसजीयूजे ग्रेड-1 | एसडीआरएच/बीएमवाई | | परे | एलएनएमआरएच जीकेपी | एसडीआरएच/एनजेपी |
| एचयू/एसजीयूजे टाउन | | | डीएचडी/डब्ल्यूशॉप | एसडीआरएच गोण्डा | |
| उपरे | दपूरे | | | पूसीरे | उरे |
| एचयू/अजमेर स्टेशन | डीआरएच/आद्रा | | | सीएच/एमएलजी | एनआरडीएच/एलकेओ |
| एचयू/शीलवाड़ा | दपूरे | | | डीआरएच/केआईआर | एनआरडीएच/यूएमबी |
| एचयू/कैरिज | आरएच/एमवाईएस | | | डीआरएच/एलएमजी | एसडीएच/एसआरई |
| वर्कशॉप/अजमेर | | | | एसडीआरएच/बीपीबी | आरसीएफ/एचएसक्यू |
| एचयू/जीएलओ/अजमेर | आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके | | | एसडीआरएच/एनजेपी | आरडीएसओ/एलकेओ |
| एसडीआरएच/आरई | पमरे | | | | |
| | एसडीआरएच/बीना | | | | |
| दमरे | परे | | | उरे | उपरे |
| एचयू/सीकेएल | डब्ल्यूएच/डीएचडी | | | एनआरसीएच | सेंट्रल हॉस्पिटल, जयपुर |
| एचयू/ईई | डीआरएच/पीआरटीएन/बीआरसी | | | एनआरडीएच/डीएलआई | डीआरएच/अजमेर |
| एचयू/एनडीकेडी | | | | एनआरडीएच/एलकेओ | एसडीआरएच/एबीआर |
| एचयू/एनडीएल | | | | एनआरडीएच/यूएमबी | एसडीआरएच/आरई |

| अनुलग्नक - 1.9 सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| अस्पतालों का नाम जहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आडटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने अग्निशमन विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहाँ आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एचयू/आरजेवाई | | | | एसडीएच/एसआरई | |
| एचयू/एसटीपीएम | | | | आरसीएफ/एचएसक्यू | दमरे |
| दपूरे | | | | आरडीएसओ/एलकेओ | सीएच/एलजीडी |
| | | | | उपरे | डीएच/बीजेडए |
| | | | | डीआरएच/अजमेर | डीएच/जीएनटी |
| एचयू/अनारा | | | | एसडीआरएच/एबीआर | एसडीएच/केजेडजे |
| एचयू/बीक्यूए | | | | एसडीआरएच/आरवाईपीएस | |
| एचयू/पीआरआर | | | | | दपूमेरे |
| एचयू/दक्षिण दिशा | | | | एसडीआरएच/बीएमवाई | |
| दरे | | | | डीआरएच/रायपुर | |
| स्वास्थ्य इकाई/चेन्नई एगमोर | | | | सीएच/बिलासपुर | |
| स्वास्थ्य इकाई/कन्नूर | | | | दमरे | दपूरे |
| स्वास्थ्य इकाई/कोझिकोड | | | | सीएच/एलजीडी | सीएच/जीआरसी |
| स्वास्थ्य इकाई/मंगलुरु | | | | डीएच/बीजेडए | डीआरएच/खड़गपुर |

| अनुलग्नक - 1.9 सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| अस्पतालों का नाम जहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आउटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच/डीआरएच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने अग्निशमन विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहाँ आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| उप-मंडलीय अस्पताल/शोरानूर | | | | डीएच/जीएनटी | एसडीआरएच/टाटा |
| उप-मंडलीय अस्पताल/विल्लुपुरम | | | | एसडीएच/केजेडजे | डीआरएच/आद्रा |
| | | | | एसडीएच/आरवाईपीएस | |
| | | | | दपूमेरे | दरे |
| | | | | सीएच/बीएसपी | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ |
| पमरे | | | | डीआरएच/रायपुर | रेलवे अस्पताल/इंटीग्रल कोच फैक्ट्री/पेरम्बूर |
| एचयू इटारसी | | | | एसडीआरएच/बीएमवाई | मंडलीय अस्पताल/पोनमलाई |
| एचयू शाजापुर | | | | दपूरे | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर |
| परे | | | | सीएच/जीआरसी | एसडीआरएच/शोरानूर |
| बीआरसी बीएच | | | | डीआरएच/आद्रा | एसडीआरएच/विल्लुपुरम |
| बीआरसी एनएआईआर | | | | एसडीआरएच/टाटा | |
| बीआरसी(पी) | | | | | दपरे |

| अनुलग्नक - 1.9 सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| अस्पतालों का नाम जहाँ कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आडटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने अग्निशमन विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहाँ आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आरटीएम स्टेशन एचयू | | | | | सीएच/यूबीएल |
| आरटीएम/एचयू/यूजेएन | | | | दरे मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | आरएच/एमवाईएस |
| | | | | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके |
| | | | | एसडीआरएच/शोरानूर | पमरे |
| | | | | एसडीआरएच/विल्लुपुरम | सीएच जबलपुर |
| | | | | रेलवे अस्पताल/इंटीगल कोच फेक्ट्री/पेरम्बूर | डीआरएच भोपाल |
| | | | | दपरे | |
| | | | | सीएच/यूबीएल | एसडीआरएच बीना |
| | | | | आरएच/एमवाईएस | एसडीआरएच इटारसी |
| | | | | आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके | परे |
| | | | | पमरे | बीआरसीपी |
| | | | | सीएच/जबलपुर | मानव संसाधन निदेशक |
| | | | | डीआरएच/भोपाल | जगजीवन राम अस्पताल/परे |

| <p style="text-align: center;">अनुलग्नक - 1.9</p> <p style="text-align: center;">सुरक्षा सेवाओं, वाई-फाई सुविधा और फायर एनओसी और अग्निशमन सुविधा की अनुपलब्धता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ 1.9.1.4.4)</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| अस्पतालों का नाम जहां कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई | अस्पताल का नाम जिसमें विभागीय/आरपीएफ/आउटसोर्स सुरक्षा सेवा सीएच/डीआरएच/एसडीआरएच उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच/डीआरएच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है | अस्पताल का नाम जिसमें सीएच और डीआरएच में कोई वाई-फाई सुविधा उपलब्ध नहीं है | अस्पताल का नाम जिसने अग्निशमन विभाग/नगर निगम से एनओसी प्राप्त नहीं की है | अस्पताल का नाम जहां आग लगने की स्थिति में भूमिगत बैकअप पानी और फायर अलार्म की सुविधा मौजूद नहीं है |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | एसडीआर/बीना | आरपीयू |
| | | | | एसडीआरएच/इटारसी | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू |
| | | | | परें | |
| | | | | डीआरएच/आरटीएम | परें |
| | | | | जगजीवन राम अस्पताल/परें | कार्यशाला अस्पताल/डीएचडी |
| | | | | आरपीयू | डीआरएच/आरटीएम |
| | | | | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू | |
| | | | | टीएसएमएच | |

| अनुलग्नक 1.10 क सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | |
| | | अस्पताल का नाम | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला | एलएएमए दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| मरे | मरे | मंडलीय अस्पताल कल्याण | 69.68 | सेंट्रल हॉस्पिटल भायखला | 30540 | 182 | 5.96 |
| पूतरे | | मंडलीय अस्पताल पुणे | 67.85 | मंडलीय अस्पताल कल्याण | 23434 | 235 | 10.03 |
| पूमरे | | उप-मंडलीय अस्पताल/आई.जी.पी | 1.75 | मंडलीय अस्पताल पुणे | 13100 | 49 | 3.74 |
| उमरे | | | | उप-मंडलीय अस्पताल/आई.जी.पी | 467 | 6 | 12.85 |
| उपूरे | पूतरे | सीएच/एमसीएस | 63.49 | सीएच/एमसीएस | 12713 | 39 | 3.07 |
| पूसीरे | | डीआरएच/डब्ल्यूएटी | 63.81 | डीआरएच/डब्ल्यूएटी | 31792 | 192 | 6.04 |
| उपरे | पूमरे | डीआरएच/दानापुर | 48.26 | सीएसएसएच/पीएनबीई | 30558 | 11 | 0.36 |
| दमरे | | डीआरएच/ सोनपुर | 49.41 | डीआरएच/दानापुर | 15124 | 344 | 22.75 |

| अनुलग्नक 1.10 क सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | | | |
| | | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | अस्पताल का नाम | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| दपरे | | एसडीआरएच गया | 25.87 | डीआरएच/ सोनपुर | 14262 | 1394 | 97.74 |
| पमरे | | | | एसडीआरएच गया | 3200 | 5 | 1.56 |
| | पूरे | बीआर सिंह हॉस्पिटल | 72.41 | बीआर सिंह हॉस्पिटल | 72813 | 526 | 7.22 |
| | | एसडीआरएच- अंडाल | 40.00 | मंडल रेलवे अस्पताल-एचडब्ल्यूएच | 19136 | 227 | 11.86 |
| | | वर्कशॉप रेलवे अस्पताल-केपीए | 39.37 | उपमंडलीय रेलवे अस्पताल-अंडाल | 7528 | 495 | 65.75 |
| | उमरे | सीएच/पीआरवाईजे | 59.77 | डीआरएच/आगरा | 9759 | 239 | 24.49 |
| | | डीआरएच/आगरा | 42.16 | | | | |
| | | एसडीएच, सीएनबी | 56.40 | | | | |
| | उपूरे | मंडलीय अस्पताल/आईजेडएन | 63.00 | मंडलीय हॉस्पिटल/आईजेडएन | 20878 | 96 | 4.60 |

| अनुलग्नक 1.10 क सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | |
| | | अस्पताल का नाम | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला | एलएएमए दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | एलएनएमआरएच गोरखपुर | 45.80 | एलएनएमआरएच गोरखपुर | 270538 | 494 | 1.83 |
| | | एसडीआरएच गोण्डा | 34.00 | | | | |
| | पूसीरे | सीएच/एमएलजी | 60.57 | सीएच/एमएलजी | 41693 | 260 | 6.24 |
| | | डीआरएच/केआईआर | 40.44 | डीआरएच/केआईआर | 11105 | 535 | 48.18 |
| | | डीआरएच/एलएमजी | 45.90 | | | | |
| | | एसडीआरएच/बीपीबी | 3.31 | एसडीआरएच/बीपीबी | 3017 | 5 | 1.66 |
| | | एसडीआरएच/एनजेपी | 45.03 | एसडीआरएच/एनजेपी | 20500 | 671 | 32.73 |
| | उरे | एनआरडीएच/डीएलआई | 50.96 | एनआरडीएच/डीएलआई | 6288 | 78 | 12.40 |
| | | एनआरडीएच/एलकेओ | 50.67 | एनआरडीएच/एलकेओ | 27600 | 815 | 29.53 |
| | | एनआरडीएच/यूएमबी | 20.50 | एनआरडीएच/एलकेओ | 68232 | 49 | 0.72 |
| | | एसडीएच/एसआरई | 4.95 | आरसीएफ/एचएसक्यू | 7127 | 217 | 30.45 |
| | | आरसीएफ/एचएसक्यू | 18.05 | आरडीएसओ/एलकेओ | 4674 | 457 | 97.77 |

| अनुलग्नक 1.10 क सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
|---|------------|--|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | | |
| | | | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला | एलएएमए दर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | आरडीएसओ/एलकेओ | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | | | | |
| | उपरे | डीआरएच/अजमेर | 69.00 | | | | |
| | | एसडीआरएच/एबीआर | 50.51 | मंडलीय अस्पताल, अजमेर | 33126 | 422 | 12.74 |
| | | | 39.22 | एसडीआरएच/एबीआर | 3067 | 13 | 4.24 |
| | | डीआरएच/बीजेडए | 8.53 | एसडीआरएच/आरई | 4287 | 329 | 76.74 |
| | दमरे | डीआरएच/जीएनटी | 3.77 | सीएच/एलजीडी | 121262 | 895 | 7.38 |
| | | एसडीएच/आरवाईपीएस | 9.64 | डीआरएच/बीजेडए | 29044 | 77 | 2.65 |
| | | सीएच | 12.43 | एसडीएच/आरवाईपीएस | 1357 | 96 | 70.74 |
| | दपूमे | डीआरएच/आर | 38.10 | सीएच/रायपुर | 29776 | 132 | 4.43 |
| | | एसडीआरएच/बीएमवाई | 9.09 | एसडीआरएच/बीएमवाई | 4640 | 160 | 34.48 |
| | दपूरे | सीएच/जीआरसी | 75.33 | सीएच/जीआरसी | 23047 | 87 | 3.77 |
| | | डीआरएच/आद्रा | 31.86 | एसडीआरएच/टाटा | 23565 | 105 | 4.46 |

| अनुलग्नक 1.10 क | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|------------------|-----------|-------|
| सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | | |
| | | | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला | एलएएमए दर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | डीआरएच/केजीपी | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | डीआरएच/आद्रा | 12928 | 373 | 28.85 |
| | दरे | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | 31.33 | डीआरएच/खड़गपुर | 39581 | 559 | 14.12 |
| | | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | 55.45 | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | 10859 | 17 | 1.57 |
| | | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 74.33 | मंडलीय अस्पताल/पोनमलाई | 28111 | 170 | 6.05 |
| | | उप-मंडलीय अस्पताल/शोरानूर | 15.00 | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 79181 | 352 | 4.45 |
| | | उप-मंडलीय अस्पताल/विल्लुपुरम | 10.50 | उप-मंडलीय अस्पताल/विल्लुपुरम | 1878 | 103 | 54.85 |
| | | रेलवे अस्पताल/इटीग्राल कोच फैक्ट्री/पेरम्बूर | 71.64 | रेलवे अस्पताल/इटीग्राल कोच फैक्ट्री/पेरम्बूर | 20941 | 290 | 13.85 |
| | दपरे | सीएच/यूबीएल | 46.33 | सीएच/यूबीएल | 26950 | 277 | 10.28 |

| अनुलग्नक 1.10 क सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
|---|------------|--|--|----------------------------|------------------|-----------|-------|
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | | |
| | | | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला | एलएएमए दर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | आरएच/एमवाईएस | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | आरएच/एमवाईएस | 13192 | 82 | 6.22 |
| | | आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईए नके | 33.33 | | | | |
| | पमरे | सेंट्रल हॉस्पिटल | 73.60 | सेंट्रल हॉस्पिटल /जेजेबीपी | 33812 | 12 | 0.35 |
| | | एसडीआरएच बीना | 31.55 | डीआरएच बीपीएल | 19297 | 111 | 5.75 |
| | | एसडीआरएच इटारसी | 24.65 | एसडीआरएच बीना | 4104 | 185 | 45.08 |
| | | | | एसडीआरएच इटारसी | 2828 | 208 | 73.55 |
| | परे | डीआरएच/रतलाम | 79.79 | दाहोद कार्यशाला | 12385 | 29 | 2.34 |
| | | कार्यशाला दाहोद | 31.24 | डीआरएच/आरटीएम | 32221 | 293 | 9.09 |
| | | | | डीआरएच/प्रतापनगर | 22939 | 54 | 2.35 |

| अनुलग्नक 1.10 क सीटीएसई योजना के तहत सेवानिवृत्त लोगों के नामांकन न होने, खराब बीओआर, एलएएमए की उच्च दर और मेडिकल लेखापरीक्षा के आरबी के निर्देशों का पालन न करने का विवरण दिखाने वाला विवरण। (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1.क) | | | | | | | |
|---|------------|--|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| उस जोन का नाम जिसमें सीटीएसई योजना के तहत किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है | जोनल रेलवे | अस्पताल का नाम जिसमें खराब व्यवस्था अनुपात आईपीएचएस मानदंडों (80%) से काफी नीचे है | रेलवे अस्पताल में एलएएमए की स्थिति | | | | |
| | | | अस्पताल का नाम | अस्पताल का नाम | कुल आईपीडी मामला | कुल एलएएमए मामला | एलएएमए दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | बीओआर (3 वर्ष 2017-18 से 2019-20 का औसत) | उप-मंडलीय अस्पताल, वलसाड | 7506 | 84 | 11.19 |
| | आरपीयू | सेंट्रल हॉस्पिटल , बीएलडब्ल्यू | 61.05 | सेंट्रल हॉस्पिटल | 20008 | 57 | 2.85 |
| | | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू | 26.70 | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू | 34104 | 29 | 0.85 |
| | | टीएसएमएच | 52.24 | टीएसएमएच | 3559 | 1476 | 414.72 |

| अनुलग्नक 1.10 ख चयनित अस्पतालों में कम बिस्तर अधिभोग अनुपात (बीओआर) दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1. क) | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | अस्पताल का नाम | बिस्तर अधिभोग अनुपात का औसत (बीओआर) |
| 1 | मरे | एसडीआरएच/आईजीपी | 2 |
| 2 | पू.मरे | एसडीआरएच गया डीआरएच/दानापुर डीआरएच/ सोनपुर | 26 48 49 |
| 3 | पू. | डब्ल्यूआरएच केपीए एसडीआरएच अंडाल | 39 40 |
| 4 | उपू. | डीआरएच/इज्जतनगर एसडीआरएच गोण्डा एलएनएमआरएच जीकेपी | 42 34 46 |
| 5 | पू.सीरे | एसडीआरएच/बीपीबी डीआरएच/केआईआर एसडीआरएच/एनजेपी डीआरएच/एलएमजी | 3 40 45 46 |
| 6 | उरे | एसडीएच/एसआरई एनआरडीएच/यूएमबी | 5 21 |
| 7 | उपरे | एसडीआरएच/एबीआर आरसीएफ/एचएसक्यू | 39 18 |
| 8 | आरपीयू | केजी अस्पताल, सीएलडब्ल्यू | 27 |
| 9 | दमरे | डीआरएच/जीएनटी डीआरएच/बीजेडए | 4 9 |

| अनुलग्नक 1.10 ख चयनित अस्पतालों में कम बिस्तर अधिभोग अनुपात (बीओआर) दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.1. क) | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | अस्पताल का नाम | बिस्तर अधिभोग अनुपात का औसत (बीओआर) |
| | | एसडीएच/आरवाईपीएस | 10 |
| 10 | दपूमेरे | एसडीआरएच/बीएमवाई | 9 |
| | | सीएच बीएसपी | 12 |
| | | डीआरएच/आर | 38 |
| 11 | दपूरे | डीआरएच/आद्रा | 32 |
| | | एसडीआरएच/विल्लुपुरम | 11 |
| 12 | दरे | एसडीआरएच/शोरानूर | 15 |
| | | डीआरएच/पलक्कड़ | 31 |
| 13 | दपूरे | आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके | 33 |
| | | सीएच/यूबीएल | 46 |
| 14 | पमूमेरे | एसडीआरएच इटारसी | 25 |
| | | एसडीआरएच बीना | 32 |
| 15 | पूरे | डीआरएच/दाहोद | 31 |

| अनुलग्नक - 1.11 अस्पताल की रसाई और भोजन स्टाल से पानी और खाद्य पदार्थों के परीक्षण का विवरण दिखाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.2.2.क) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| क्र.सं. | वर्ष | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के स्थान | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार | परीक्षण के प्रकार |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | | | | | | |

अनुलग्नक - 1.11
अस्पताल की रसाई और भोजन स्टाल से पानी और खाद्य पदार्थों के परीक्षण का विवरण दिखाने वाला विवरण
(सदर्थ पैरा: 1.9.2.2.क)

| क्र.सं. | वर्ष | परीक्षण के प्रकार | दि. 4 | दि. 5 | दि. 6 | दि. 7 | दि. 8 | दि. 9 | दि. 10 | दि. 11 | दि. 12 | दि. 13 | दि. 14 | दि. 15 | दि. 16 | दि. 17 | दि. 18 | दि. 19 | दि. 20 | दि. 21 |
|---------|--------|--|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | उपरो | सीएच/एमएनएम आरएच/वीरखपुर (2019-20 से 2021-22 के दौरान) | दरे | डीएच पोनमलाई | 1725 | 100 | 1825 | | एसडीआर च बीना | 426 | 174 | 600 | पूसीरे | सीएच/एमएलजी | 77079 | 14478 | | डीआरएच/के आईआर | 596 | 6 |
| | | | | एसडीआर एच शोरान्दर | 212 | 1613 | 1825 | पमरे | एसडीआर च एट | 431 | 49 | 480 | | डीआरएच/के आईआर | 38794 | 193 | | एसडीआरएच/बीपीबी | 307 | 16 |
| | | | | डीआरएच भोपाल | 15720 | 3000 | 18720 | | | | | | | डीआरएच/एलएमजी | 57608 | 176 | 3रे | एनआरसीएच | 447 | 25 |
| 5 | पूसीरे | सीएच/एमएलजी | | एसडीआर एच बीना | 5020 | 1220 | 6240 | | | | | | | एसडीआर च/बीपीबी | 10308 | 410 | | एनआरडीएच/डीएलआई | 11344 | 595 |
| | | | | | | | | | | | | | | एसडीआर च/एनजेपी | 17812 | 8467 | | एनआरडीएच/यूएमबी | 1129 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | 3रे | एनआरसीएच | 5478 | 179 | | आरसीएफ/ए चएसक्यू | 1435 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | एनआरडीएच/डीएलआई | 131883 | 18154 | | आरडीएसओ/एलकेओ | 113 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | एनआरडीएच/यूएमबी | 5144 | 30 | | एसडीएच/एसआई | 576 | 8 |

| अनुलग्नक - 1.12 आईआर में वार्षिक कल्याण जांच में कमी दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ: 1.9.2.2 ख) | | | | |
|---|------------|---|--------------|----------------------|
| क्र.सं. | जोनल रेलवे | 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान वार्षिक वेलनेस जांच में कमी | | |
| | | कुल संख्या सेवारत कर्मचारी का | जांच में कमी | जांच में प्रतिशत कमी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मरे | 643505 | 490157 | 76.17 |
| 2 | पूतरे | 125744 | 71393 | 56.78 |
| 3 | पूमरे | 213335 | 122230 | 57.29 |
| 4 | पूरे | 341684 | 142570 | 41.73 |
| 5 | उमरे | 255567 | 230222 | 90.08 |
| 6 | उपूरे | 164802 | 128190 | 77.78 |
| 7 | पूसीरे | 224293 | 114220 | 50.92 |
| 8 | उरे | 609371 | 499398 | 81.95 |
| 9 | उपरे | 89768 | 39126 | 43.59 |
| 10 | दमरे | 226055 | 107474 | 47.54 |
| 11 | दपूमरे | 190341 | 168928 | 88.75 |
| 12 | दपूरे | 373095 | 248426 | 66.59 |
| 13 | दरे | 263347 | 105061 | 39.89 |
| 14 | दपरे | 65822 | 21158 | 32.14 |
| 15 | पमरे | 179525 | 98635 | 54.94 |
| 16 | परे | 280834 | 50627 | 18.03 |
| 17 | आरपीयू | 103953 | 33201 | 31.94 |

| अनुलग्नक - 1.13क यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए औसत निपटान समय दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.2.3) | | | | | | | |
|--|--------|---|--|------------------------|---------------------------------------|--|---|
| क्र.सं. | रेलवे | चयनित मंडल | निस्तारण समय के लिए बेंचमार्क तय नहीं है | कुल प्रकरण प्राप्त हुआ | रोगी की पूर्णतः असंतोषजनक प्रतिक्रिया | औसत निपटान समय 2 घंटे से अधिक | |
| | | | | | | मंडल का नाम | औसत निपटान का समय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मरे | भुसावल मुंबई पुणे | भुसावल मुंबई पुणे | 1640 414 188 | 48 13 7 | भुसावल (2019-20 के दौरान) पुणे (2019-20 के दौरान) मुंबई (2020-21 के दौरान) | 2 घंटा 19 मीटर 2 घंटा 19 मीटर 2 घंटा 31 मीटर |
| 2 | पूतरे | वाल्टेयर, दानापूर सोनपूर | वाल्टेयर, दानापूर सोनपूर | 530 806 507 | 0 76 8 | वाल्टेयर (2019-20 के दौरान) 2019-20 के दौरान दानापूर | 3 घंटा 21 मीटर 3 घंटा 05 मिनट |
| 4 | पूरे | एचडब्ल्यूएच सियाल्दा आगरा कैंट | एचडब्ल्यूएच सियाल्दा एजीसी | 165 136 499 | 0 0 11 | | |
| 6 | उपूरे | इज्जत नगर | इज्जत नगर | 0 | 0 | | |
| 7 | पूसीरे | कटिहार (केआईआर) लुमडिंग (एलएमजी) | कटिहार (केआईआर) लुमडिंग (एलएमजी) | 532 194 | 0 0 | 2020-21 और 2021-22 के दौरान कटिहार लुमडिंग (2019-20 और 2021-22 के दौरान) | 2 घंटे 45 मीटर और 2 घंटे 30 मीटर 4 घंटे 9 मीटर और 2 घंटे 18 मीटर |

| अनुलग्नक - 1.13क यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए औसत निपटान समय दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.2.3) | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| क्र.सं. | रेलवे | चयनित मंडल | निस्तारण समय के लिए बेंचमार्क तय नहीं है | कुल प्रकरण प्राप्त हुआ | रोगी की पूर्णतः असंतोषजनक प्रतिक्रिया | औसत निपटान समय 2 घंटे से अधिक | |
| | | | | | | मंडल का नाम | औसत निपटान का समय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | उरे | डीएलआई डीएन एलकेओ डीएन | डीएलआई डीएन एलकेओ डीएन | 1531 | 16 | डीएलआई (2019-20 के दौरान) | 6 घंटे 42 मीटर |
| 9 | उपरे | यूएमबी डीएन अजमेर | यूएमबी डीएन अजमेर | 297 | 0 | 2019-20 के दौरान लखनऊ | 2 घंटे 35 मीटर |
| 10 | दमरे | बीजेडए जीएनटी | बीजेडए जीएनटी | 1017 | 25 | | |
| 11 | दपूमेरे | रायपुर | डीआरएच/रायपुर | 238 | 1 | | |
| 12 | दपूरे | आद्रा केजीपी | आद्रा केजीपी | 121 248 | 4 5 | आद्रा (2019-20 के दौरान) | 5 घंटे 12 मीटर |
| 13 | दरे | एमएस | एमएस | 447 | 5 | पलक्कड़ जंक्शन (2019-20 के दौरान) | 2 बजे 05 मिनट |
| 14 | दपूरे | पीजीटी मैसूर | पीजीटी एमवाईएस | 95 372 | 0 11 | | |
| 15 | पमरे | भोपाल | भोपाल | 1907 | 38 | भोपाल (2019-20 के दौरान) | 2 घंटे 2 मिनट |
| 16 | परे | बीआरसी | बीआरसी | 335 | 1 | | |

| अनुलग्नक- 1.13 ख स्टेशन पर यात्रियों से लिया गया फीडबैक (संदर्भ पैरा: 1.9.2.3) | | | | | |
|--|-------------|---------------|--|---|--|
| रेलवे | मंडल का नाम | स्टेशन का नाम | यात्री द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार नहीं देखा गया | प्राथमिक चिकित्सा बक्सों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता | प्राइवेट/सरकारी अस्पताल के पड़ोसी डॉक्टर के संपर्क नंबर की सूची |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| मरे | मुंबई | कल्याण | एनए | लागू नहीं (एनए) | एनए |
| | मुंबई | सीएसएमटी | | एनए | एनए |
| | भुसावल | मनमाड | मनमाड | एनए | एनए |
| | मुंबई | इगतपुरी | इगतपुरी | एनए | एनए |
| पूतरे | पुणे | पुणे | एनए | एनए | एनए |
| | वीएसकेपी | वीएसकेपी | एनए | एनए | एनए |
| पूमरे | डीएनआर | बीकेपी | बीकेपी | एनए | एनए |
| | डीडीयू | गया | एनए | एनए | एनए |
| | डीएनआर | बीएक्सआर | एनए | एनए | एनए |
| | डीएनआर | एमकेए | एमकेए | एनए | एनए |
| | हावड़ा | हावड़ा | एनए | एनए | एनए |
| पूरे | सियालदह | सियालदह | एनए | सियालदह | एनए |
| | सियालदह | कांचरापाड़ा | एनए | एनए | एनए |
| | आसनसोल | अंदल | एनए | एनए | एनए |

| अनुलग्नक- 1.13 ख स्टेशन पर यात्रियों से लिया गया फीडबैक (संदर्भ पैरा: 1.9.2.3) | | | | | |
|--|-------------|------------------|--|---|--|
| रेलवे | मंडल का नाम | स्टेशन का नाम | यात्री द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार नहीं देखा गया | प्राथमिक चिकित्सा बक्सों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता | प्राइवेट/सरकारी अस्पताल के पड़ोसी डॉक्टर के संपर्क नंबर की सूची |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| उरे | अंबाला | अम्बाला कैंट | एनए | एनए | एनए |
| | दिल्ली | शकूरबस्ती | एनए | एनए | एनए |
| | लखनऊ | लखनऊ | एनए | एनए | एनए |
| उमरे | प्रयागराज | प्रयागराज जंक्शन | एनए | प्रयागराज जंक्शन | एनए |
| | आगरा मंडल | आगरा कैंट | एनए | एनए | एनए |
| | प्रयागराज | कानपुर सेंट्रल | एनए | एनए | एनए |

| अनुलग्नक- 1.13 ख स्टेशन पर यात्रियों से लिया गया फीडबैक (संदर्भ पैरा: 1.9.2.3) | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--|--|---|
| ज़ोन | मंडल का नाम | स्टेशन का नाम | यात्री द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं देखा गया | प्राथमिक चिकित्सा बक्सों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता | प्राइवेट/सरकारी अस्पताल के पड़ोसी डॉक्टर के संपर्क नंबर की सूची |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| उपरे | लखनऊ मंडल | गोंडा | एनए | एनए | एनए |
| | इज्जतनगर | इज्जतनगर | एनए | एनए | एनए |
| | एलजेएन | गोरखपुर | एनए | एनए | एनए |
| | कटिहार | कटिहार | एनए | एनए | एनए |
| पूरीरे | कटिहार | न्यू जलपाईगुड़ी | एनए | एनए | एनए |
| | लुमडिंग | कामाख्या | एनए | एनए | एनए |
| | लुमडिंग | लुमडिंग | एनए | एनए | एनए |
| | लुमडिंग | बदरपुर | एनए | एनए | एनए |

| अनुलग्नक- 1.13 ख स्टेशन पर यात्रियों से लिया गया फीडबैक (संदर्भ पैरा: 1.9.2.3) | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|---|--|
| ज़ोन | मंडल का नाम | स्टेशन का नाम | यात्री द्वारा व्यापक प्रचार- प्रसार नहीं देखा गया | प्राथमिक चिकित्सा बक्सों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता | प्राइवेट/सरकारी अस्पताल के पड़ोसी डॉक्टर के संपर्क नंबर की सूची |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| दमरे | विजयवाड़ा | राजमुंदरी | राजमुंदरी | एनए | एनए |
| | विजयवाड़ा | एलुरु | एलुरु | एनए | एनए |
| | गुंटूर | नांदयाल | नांदयाल | एनए | एनए |
| | गुंटूर | नांदयाल | एनए | एनए | एनए |
| | गुंटूर | नदीकुडी | एनए | एनए | एनए |
| | बीजेडए/शाखा | बीजेडए/शाखा | बीजेडए/शाखा | एनए | एनए |
| | एससी | काजीपेट(केजेडजे) | एनए | एनए | एनए |
| | जीएनटी | गुंटूर | एनए | एनए | एनए |
| | सिकंदराबाद | सिकंदराबाद | एनए | एनए | एनए |
| | बिलासपुर | बिलासपुर | एनए | बिलासपुर | एनए |
| दपूमरे | रायपुर संभाग | रायपुर | एनए | एनए | |
| दपूरे | आद्रा | आद्रा | आद्रा | आद्रा | एनए |
| | केजीपी | खड़गपुर | खड़गपुर | खड़गपुर | खड़गपुर |

| अनुलग्नक- 1.13 ख स्टेशन पर यात्रियों से लिया गया फीडबैक (संदर्भ पैरा: 1.9.2.3) | | | | | |
|--|-------------|----------------|--|--|---|
| ज़ोन | मंडल का नाम | स्टेशन का नाम | यात्री द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं देखा गया | प्राथमिक चिकित्सा बक्सों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता | प्राइवेट/सरकारी अस्पताल के पड़ोसी डॉक्टर के संपर्क नंबर की सूची |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| दूरे | टीपीजे | तिरुचिरापल्ली | | एनए | एनए |
| | एमएएस | चेन्नई सेंट्रल | चेन्नई सेंट्रल | एनए | एनए |
| | पीजीटी | पीजीटी | पीजीटी | पीजीटी | |
| दपरे | पीजीटी | शोरानूर | शोरानूर | एनए | एनए |
| | हुबली | हुबली | हुबली | एनए | एनए |
| | मैसूर | मैसूर | मैसूर | एनए | एनए |
| पमरे | भोपाल | भोपाल | भोपाल | एनए | एनए |
| | भोपाल | इटारसी | इटारसी | एनए | एनए |
| | भोपाल | बीना | बीना | एनए | एनए |
| परे | जबलपुर | जबलपुर | | एनए | एनए |
| | रतलाम | डीआरएच/आरटीएम | | एनए | एनए |
| | रतलाम | रतलाम | रतलाम | एनए | एनए |

| अनुलग्नक - 1.14 रेलवे अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.2.4) | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|---|--|
| क्र.सं. | रेलवे | अस्पताल को आयुष्मान योजना के लिए नामांकित किया गया | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आरबी द्वारा नामांकन के बाद भी आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू होने के बाद भी किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ | उस अस्पताल का नाम जिसमें डॉक्टरों और कर्मचारियों को नामांकित नहीं किया गया/प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया | उस अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू है लेकिन अपेक्षित हार्डवेयर और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मरे | (03) सीएच/बाइकुला, डीआरएच/कल्याण, डीआरएच/पुणे, | एनए | (03) सीएच/बाइकुला, डीआरएच/कल्याण, डीआरएच/पुणे, | एनए | |
| 2 | पूतरे | (02) सीएच/मंचेश्वर, डीएचआर/वाल्टेयर | एनए | (02) सीएच/मंचेश्वर, डीएचआर/वाल्टेयर | एनए | (02) सीएच/मंचेश्वर, डीएचआर/वाल्टेयर |
| 3 | पूमरे | (04) सीएसएसएच/पटना, डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर, एसडीआरएच/गया | एनए | (04) सीएसएसएच/पटना, डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनपुर, एसडीआरएच/गया | एनए | एनए |
| 4 | पूरे | (04) बीआरसिंह अस्पताल/कोलकाता, डीआरएच/हावड़ा, एसडीआरएच/अंडाल और डब्ल्यूएच/कचरापारा | (02) एसडीआरएच/अंडाल एवं डब्ल्यूएच/कचरापारा | (02) बीआरसिंह अस्पताल/कोलकाता, डीआरएच/हावड़ा, | (02) एसडीआरएच/अंडाल एवं डब्ल्यूएच/कचरापारा | (01) डीआरएच/हावड़ा, |
| 5 | उमरे | (03) सीएच/प्रयागराज, डीआरएच/आगरा और एसडीआरएच/कानपुर | (02) डीआरएच/आगरा एवं एसडीआरएच/कानपुर | (01) सीएच/प्रयागराज, | (02) डीआरएच/आगरा एवं एसडीआरएच/कानपुर | 0 |

| अनुलग्नक - 1.14 रेलवे अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.2.4) | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|---|--|
| क्र.सं. | रेलवे | अस्पताल को आयुष्मान योजना के लिए नामांकित किया गया | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आरबी द्वारा नामांकन के बाद भी आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू होने के बाद भी किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ | उस अस्पताल का नाम जिसमें डॉक्टरों और कर्मचारियों को नामांकित नहीं किया गया/प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया | उस अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू है लेकिन अपेक्षित हार्डवेयर और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | उपूरे | (03) सीएच/एलएनएमआरएच/गोरखपुर, डीआरएच/इज्जतनगर, एसडीआरएच/गोंडा, | 0 | (03) सीएच/एनएमआरएच/गोरखपुर, डीआरएच/इज्जतनगर, एसडीआरएच/गोंडा, | 0 | (03) सीएच/एनएमआरएच/गोरखपुर, डीआरएच/इज्जतनगर, एसडीआरएच/गोंडा, |
| 7 | पूसीरे | (05) सीएच/मालीगांव, डीआरएच/कटिहार, डीआरएच/लमडिंग, एसडीआरएच/न्युजलपाईगुड़ी और एसडीआरएच/बदरपुर | (02) एसडीआरएच/न्युजलपाईगुड़ी और एसडीआरएच/बदरपुर | (01) डीआरएच/कटिहार, | (02) एसडीआरएच/न्युजलपाईगुड़ी और एसडीआरएच/बदरपुर | (01) डीआरएच/कटिहार, |
| 8 | उरे | (05) एनआरसीएच/दिल्ली, एनआरडीएच/डीएलआई, एनआरडीएच/उम्बाला, एनआरडीएच/लखनऊ, आरडीएसओ/लखनऊ | (01) एनआरडीएच/उम्बाला, | (04) एनआरसीएच/दिल्ली, एनआरडीएच/डीएलआई, एनआरडीएच/लखनऊ, आरडीएसओ/लखनऊ | (01) एनआरडीएच/उम्बाला | (01) आरडीएसओ/लखनऊ |

| अनुलग्नक - 1.14 रेलवे अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.2.4) | | | | | | |
|---|----------|--|--|--|---|--|
| क्र.सं. | रेलवे | अस्पताल को आयुष्मान योजना के लिए नामांकित किया गया | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आरबी द्वारा नामांकन के बाद भी आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू होने के बाद भी किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ | उस अस्पताल का नाम जिसमें डॉक्टरों और कर्मचारियों को नामांकित नहीं किया गया/प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया | उस अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू है लेकिन अपेक्षित हार्डवेयर और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | उपरें | (02) सीएच/जयपुर, डीआरएच/अजमेर, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | दमरें | (03) सीएच/लालगुड़ा, डीआरएच/विजयवाड़ा, डीआरएच/गुंटकल | 0 | (02) सीएच/लालगुड़ा, डीआरएच/विजयवाड़ा, | 0 | 0 |
| 11 | दप्पूरें | (02) सीएच/बिलासपुर, डीआरएच/रायपुर | (02) सीएच/बिलासपुर, डीआरएच/रायपुर | 0 | (02) सीएच/बिलासपुर, डीआरएच/रायपुर | 0 |
| 12 | दप्पूरें | (04) सीएच/गार्डन रिच, डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/खड़गपुर एसडीआरएच/टाटा | (02) डीआरएच/आद्रा, एसडीआरएच/टाटा | (02) सीएच/गार्डन रिच, डीआरएच/खड़गपुर | (01) डीआरएच/आद्रा, | (04) सीएच/गार्डन रिच, डीआरएच/खड़गपुर, डीआरएच/आद्रा, एसडीआरएच/टाटा |
| 13 | दरें | (02) सीएच/पेरम्बूर, डीआरएच/पलक्कलड | (01) डीआरएच/पलक्कलड | 0 | (01) डीआरएच/पलक्कलड | 0 |

| अनुलग्नक - 1.14 रेलवे अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.2.4) | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|--|
| क्र.सं. | रेलवे | अस्पताल को आयुष्मान योजना के लिए नामांकित किया गया | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आरबी द्वारा नामांकन के बाद भी आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है | नामांकित अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू होने के बाद भी किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ | उस अस्पताल का नाम जिसमें डॉक्टरों और कर्मचारियों को नामांकित नहीं किया गया/प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया | उस अस्पताल का नाम जिसमें आयुष्मान योजना लागू है लेकिन अपेक्षित हार्डवेयर और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | दपरे | (02) सीएच/हबली, डीआरएच/मैसूर | 0 | (02) सीएच/हबली, डीआरएच/मैसूर | 0 | 0 |
| 15 | पमरे | (04) सीएच/जबलपुर, डीआरएच/भोपाल, एसडीआरएच/बीना, एसडीआरएच/इटारसी | 0 | (04) सीएच/जबलपुर, डीआरएच/भोपाल, एसडीआरएच/बीना, एसडीआरएच/इटारसी | 0 | (01) सीएच/जबलपुर, |
| 16 | परे | (04) सीएच/जेआरएच/मंबई सेंट्रल, डीआरएच/प्रतापनगर/वडोदरा, डीआरएच/रतलाम, डब्ल्यूएच/दाहोद | (01) डब्ल्यूएच/दाहोद | (02), डीआरएच/प्रतापनगर/वडोदरा, डब्ल्यूएच/दाहोद | (01) डब्ल्यूएच/दाहोद | 0 |
| 17 | आरपीयू/मे ट्रो/कोलका ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| अनुलग्नक - 1.15 मेडिकल ऑडिट में आरबी के निर्देशों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.1) | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---|
| क्र.सं. | रेलवे | 2019-20 से 2021-22 के दौरान रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट के आरबी के निर्देशों का पालन न करना) | इंटर जोनल ऑडिट मेडिकल ऑडिट नहीं किया गया | रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट का मासिक रिटर्न जमान करना | रोगी को उस विशेषज्ञ/सेवा के लिए रेफर किया गया जो उपलब्ध था | | | ऐसे रेफरल मामलों पर किया गया कुल व्यय (₹) |
| | | | | | अस्पताल का नाम जिसके द्वारा रेफर किया गया | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | मरे | डीआरएच/कल्याण, डीआरएच/पुणे, एसडीआरएच/मनमाड, एसडीआरएच/इगतपुरी | डीआरएच/कल्याण, डीआरएच/पुणे, एसडीआरएच/मनमाड, एसडीआरएच/इगतपुरी | सीएच/बाइकुला, डीआरएच/कल्याण, डीआरएच/पुणे, एसडीआरएच/मनमाड, एसडीआरएच/इगतपुरी | एनए | एनए | एनए | |
| 2 | पूतरे | डीआरएच/वाल्टेयर | सीएच/एमसीडब्ल्यू/बीबीएस, डीआरएच/वाल्टेयर | सीएच/एमसीएस/बीबीएस, डीआरएच/वाल्टेयर | डीआरएच/विशाखा पत्तनम | 106 | 11381408 | |
| 3 | पूमरे | 2019-20 और 2020-21 के दौरान सीएसएसएच/पटना, डीआरएच/दानापुर, एसडीआरजी/गया, डब्ल्यूएच/हरनौत, डीआरएच/सोनेपुर | सीएसएसएच/पटना, डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनेपुर, डब्ल्यूएच/हरनौत, एसडीआरएच/गया | सीएसएसएच/पटना, डीआरएच/दानापुर, डीआरएच/सोनेपुर, डब्ल्यूएच/हरनौत, एसडीआरएच/गया | सीएच/मंचेश्वर | 63 | 10116449 | |
| | | | | | डीआरएच/ डीएनआर | 47 | 1210190 | |

| अनुलग्नक - 1.15 मेडिकल ऑडिट में आरबी के निर्देशों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.1) | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|--|---|------------------------------|---|
| क्र.सं. | रैलवे | 2019-20 से 2021-22 के दौरान रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट के आरबी के निर्देशों का पालन न करना) | इंटर जोनल ऑडिट मेडिकल ऑडिट नहीं किया गया | रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट का मासिक रिटर्न जमान करना | रोगी को उस विशेषज्ञ/सेवा के लिए रेफर किया गया जो उपलब्ध था | अस्पताल का नाम जिसके द्वारा रेफर किया गया | | ऐसे रेफरल मामलों पर किया गया कुल व्यय (₹) |
| | | | | | | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | पूरे | डीआरएच/हावड़ा, बीआरसिंह/सियालदह | डीआरएच/हावड़ा, बीआरसिंह/सियालदह | डीआरएच/हावड़ा, बीआरसिंह/सियालदह | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 5 | उमरे | 2020-21 और 2021-22 के दौरान एसडीआरएच/कानपुर। एसडीआरएच/गोंडा | सीएच/प्रयागराज, डीआरएच/आगरा, एसडीआरएच/कानपुर | सीएच/प्रयागराज, डीआरएच/आगरा, एसडीआरएच/कानपुर | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 6 | उपूरे | एलएनएमआरएच/गोरखपुर 2019-20 और 2020-21 के दौरान, डीआरएच/इज्जतनगर (2020-21 और 2021-22 के दौरान) | एलएनएमआरएच/गोरखपुर र डीआरएच/इज्जतनगर एसडीआरएच/गोंडा | एलएनएमआरएच/गोरखपुर, डीआरएच/इज्जतनगर एसडीआरएच/गोंडा | | | | |
| 7 | पूसीरे | सीएच/मालीगांव, डीआरएच/लुमडिंग, एसडीआरएच/बदरपुर, एसडीआरएच/न्यूजलपाईगुड़ी | सीएच/मालीगांव, डीआरएच/लुमडिंग, एसडीआरएच/बदरपुर, एसडीआरएच/न्यूजलपाईगुड़ी | सीएच/मालीगांव, डीआरएच/लुमडिंग, एसडीआरएच/बदरपुर, एसडीआरएच/न्यूजलपाईगुड़ी | सीएच/मालीगांव | 7 | 1742997 | |

| अनुलग्नक - 1.15 मेडिकल ऑडिट में आरबी के निर्देशों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.1) | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|--|------------------------------|---|
| क्र.सं. | रेलवे | 2019-20 से 2021-22 के दौरान रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट के आरबी के निर्देशों का पालन न करना) | इंटर जोनल ऑडिट मेडिकल ऑडिट नहीं किया गया | रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट का मासिक रिटर्न जमान करना | रोगी को उस विशेषज्ञ/सेवा के लिए रेफर किया गया जो उपलब्ध था | | |
| | | | | | अस्पताल का नाम जिसके द्वारा रेफर किया गया | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | ऐसे रेफरल मामलों पर किया गया कुल व्यय (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | उरे | 2021-22 के दौरान एनआरडीएच/लखनऊ, एनआरडीएच/उम्बाला, आरसीएफ/हसैनपुर, आरडीएसओ/लखनऊ | एनआरसीएच/दिल्ली, एनआरडीएच/लखनऊ, एनआरडीएच/उम्बाला, आरसीएफ/हसैनपुर, आरडीएसओ/लखनऊ | 2021-22 के दौरान एनआरसीएच/दिल्ली, एनआरडीएच/लखनऊ, एनआरडीएच/उम्बाला, आरडीएसओ/लखनऊ, आरसीएफ/हसैनपुर | एनए | एनए | एनए |
| 9 | उपरे | 2020-21 के दौरान सीएच/जयपुर, डीआरएच/अजमेर, एसडीआरएच/आबरोड, एसडीआरएच/रेवीड़ी | 2019-20 और 2020-21 के दौरान सीएच/जयपुर, 2019-20 और 2020-21 के दौरान डीआरएच/अजमेर, एसडीआरएच/आबरोड, एसडीआरएच/रेवीड़ी | 2020-21 के दौरान सीएच/जयपुर, डीआरएच/अजमेर, एसडीआरएच/आबरोड, एसडीआरएच/रेवीड़ी | एनए | एनए | एनए |
| 10 | दमरे | सीएच/लालगुडा, डीआरएच/विजयवाड़ा, डीआरएच/गुंतकल | सीएच/लालगुडा, डीआरएच/विजयवाड़ा, डीआरएच/गुंतकल | सीएच/लालगुडा, डीआरएच/विजयवाड़ा, डीआरएच/गुंतकल | सीएच/एलजीडी | 65 | 13468176 |
| 11 | दपूमरे | सीएच/रायपुर, एसडीआरएच/भिलाई | सीएच/रायपुर, डीआरएच/रायपुर, एसडीआरएच/भिलाई | सीएच/रायपुर, डीआरएच/रायपुर, एसडीआरएच/भिलाई | एनए | 5 | 345221 |

| अनुलग्नक - 1.15 मेडिकल ऑडिट में आरबी के निर्देशों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.1) | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|---|
| क्र.सं. | रेलवे | 2019-20 से 2021-22 के दौरान रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट के आरबी के निर्देशों का पालन न करना) | इंटर जोनल ऑडिट मेडिकल ऑडिट नहीं किया गया | रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट का मासिक रिटर्न जमान करना | रोगी को उस विशेषज्ञ/सेवा के लिए रेफर किया गया जो उपलब्ध था | | | ऐसे रेफरल मामलों पर किया गया कुल व्यय (₹) |
| | | | | | अस्पताल का नाम जिसके द्वारा रेफर किया गया | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | दूरे | सीएच/गार्डन रिच, डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/खड़गपुर, एसडीआरएच/टाटा | 2020-21 और 2021-22 के दौरान सीएच/गार्डन रिच, डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/खड़गपुर, एसडीआरएच/टाटा | सीएच/गार्डन रिच डीआरएच/आद्रा, डीआरएच/खड़गपुर, एसडीआरएच/टाटा | एनए | एनए | एनए | एनए |
| 13 | दूरे | 2019-20 और 2020-21 के दौरान सीएच/पेरंबूर, डीआरएच/पोनमलाई, एसडीआरएच/शोरानपुर, एसडीआरएच/विल्लपुरम, आरएच/आईसीएफ/पेरंबूर | सीएच/पेरंबूर, डीआरएच/पोनमलाई, डीआरएच/पल्लकड़ एसडीआरएच/शोरानपुर, एसडीआरएच/विल्लपुरम, आरएच/आईसीएफ/पेरंबूर | सीएच/पेरंबूर, डीआरएच/पोनमलाई, डीआरएच/पल्लकड़ एसडीआरएच/शोरानपुर, एसडीआरएच/विल्लपुरम, आरएच/आईसीएफ/पेरंबूर | एनए | एनए | एनए | एनए |

| अनुलग्नक - 1.15 मेडिकल ऑडिट में आरबी के निर्देशों का पालन न करने को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.1) | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|---|
| क्र.सं. | रेलवे | 2019-20 से 2021-22 के दौरान रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट के आरबी के निर्देशों का पालन न करना) | इंटर जोनल ऑडिट मेडिकल ऑडिट नहीं किया गया | रेफरल मामलों के मेडिकल ऑडिट का मासिक रिटर्न जमान करना | रोगी को उस विशेषज्ञ/सेवा के लिए रेफर किया गया जो उपलब्ध था | अस्पताल का नाम जिसके द्वारा रेफर किया गया | | ऐसे रेफरल मामलों पर किया गया कुल व्यय (₹) |
| | | | | | | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | रेफर किए गए मरीजों की संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 14 | दपरे | सीएच/हुबली, आरएच/मैसूर, आरडब्ल्यूएफ/येलहांका | सीएच/हुबली, आरएच/मैसूर, आरडब्ल्यूएफ/येलहांका | सीएच/हुबली, आरएच/मैसूर, आरडब्ल्यूएफ/येलहांका | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | पमरे | 2021-22 के दौरान सीएच/जबलपुर | सीएच/जबलपुर, डीआरएच/भोपाल, एसडीआरएच/इटारसी | सीएच/जबलपुर, डीआरएच/भोपाल, एसडीआरएच/इटारसी | सीएच/जेबीपी | 2509 | 1021884 | |
| 16 | परे | एसडीआरएच/वलसाड, | जेआरएच/मुंबई सेंट्रल डीआरएच/रतलाम, एसडीआरएच/वलसाड, डब्ल्यूएच/दाहोद | जेआरएच/मुंबई सेंट्रल डीआरएच/रतलाम, एसडीआरएच/वलसाड, डब्ल्यूएच/दाहोद | डीआरएच/बीपीएल | 52 | 2924144 | |
| 17 | आरपीचू/मेट्रो/कोलकाता | 2020-21 और 2021-22 के दौरान सीएलडब्ल्यू/चितरंजन, टीएसएच/मेट्रो/कोलकाता, | सीएलडब्ल्यू/चितरंजन, बीएलडब्ल्यू/वाराणसी टीएसएच/मेट्रो/कोलकाता, | सीएलडब्ल्यू/चितरंजन, बीएलडब्ल्यू/वाराणसी टीएसएच/मेट्रो/कोलकाता, | सीएच/बीएलडब्ल्यू | 3004 | 98519060 | |

अनुलग्नक - 1.16

31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2)

| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
|----------|----------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | मरे | | | | | | | | | | | | |
| | सीएच/बाइकुला | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | डीआरएच/पुणे | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 7 |
| | डीआरएच/कल्याण | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | एसडीआरएच/मन माड | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एसडीआरएच/एल/ आईजीपी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | 7 |
| | स्वास्थ्य इकाई/सीएसएमटी | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | स्वास्थ्य इकाई/ठाणे | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | स्वास्थ्य इकाई/कुर्ला | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | स्वास्थ्य इकाई/घोरपुरी | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | स्वास्थ्य इकाई/मिरज | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | स्वास्थ्य इकाई/सतारा | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| 2 | पूम्परे | | | | | | | | | | | | |
| | डीआरएच/डीएनआ र | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | 4 |
| | एसडीआरएच/गया | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | सीएसएसएच/पीएन बीई | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | 5 |
| | डीआरएच/एसईई | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |

अनुलग्नक - 1.16

31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2)

| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
|----------|------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | एचयू/इमली रोड, मुजफ्फरपुर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| 3 | पूरे | | | | | | | | | | | | |
| | सीएच/एमसीएस | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | डीआरएच/डब्लूएटी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एचयू/बीएन1टीएन | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | एचयू/एआरके | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | एचयू/वीजेडएम | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| 4 | पूरे | | | | | | | | | | | | |
| | सियाल्दा | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एचडब्ल्यूएच | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एसएन (यूडीएल) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | एसडीएच/किपीए | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | उमरे | | | | | | | | | | | | |
| | सीएच पीआरवाईजे | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | 5 |
| | डीआरएच आगरा | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | एसडीआरएच सीएनबी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | 7 |
| 6 | उपूरे | | | | | | | | | | | | |
| | एलएनएमआरएच गोरखपुर | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | 7 |
| | डीआरएच आईजेडएन | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | 4 |
| | एसडीआरएच गोंडा | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | 5 |
| 7 | पूसीरे | | | | | | | | | | | | |
| | सीएच/एमएलजी | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | 5 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | डीआरएच/केआईआ र | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एसडीआरएच/एनजे पी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | डीआरएच/एलएम जी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | 4 |
| | एसडीआरएच/बीपी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | 3 |
| 8 | उरे | | | | | | | | | | | | |
| | एनआरसीएच | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | 4 |
| | एनआरडीएच/डीएल आई | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | 7 |
| | एनआरडीएच/एलके ओ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | 5 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | एनआरडीएच/यूएम बी | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | 6 |
| | आरडीएसओ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | 1 |
| | आरसीएफ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | 4 |
| 9 | उपरे | | | | | | | | | | | | |
| | सीएच जयपुर | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | डीआरएच अजमेर | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | एसडीआरएच आरई | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | एसडीआरएच एबीआर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| 10 | दमरे | | | | | | | | | | | | |
| | सीएच/एलजीडी | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |

अनुलग्नक - 1.16

31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2)

| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
|----------|----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | डीएच/बीजेडए | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | एसडीएच/आरवाई पीएस | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एचयू/आरजेवाई | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एचयू/ईई | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | एचयू/एसटीपीएम | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | डीएच/जीएनटी | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एचयू/एनडीकेडी | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एचयू/एनडीएल | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एचयू/सीकेएल | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| 11 | दपूमे | | | | | | | | | | | | |
| | बीएसपी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं | 3 |
| | डीआरएच/रायपुर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 5 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | एसडीआरएच/बीए मवाई | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | 6 |
| | एचयू-बीआईए | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एचयू-डीआरजेड | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एचयूजी | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | 7 |
| 12 | आरपीयू | | | | | | | | | | | | |
| | सीएलडब्ल्यू | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 7 |
| | बीएलडब्ल्यू | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 6 |
| | मेट्रो | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| 13 | दपूरे | | | | | | | | | | | | |
| | आद्रा/पीआरआर/ए चयू | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | आद्रा/एचयू/बीक्यूए | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | एचयू/एसएचएम | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | एचयू/एसआरसी | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | एचयू/साउथ साइड | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| 14 | दरे | | | | | | | | | | | | |
| | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | मंडलीय अस्पताल/ पोनमलाई | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | उप-मंडलीय अस्पताल/ विल्लुपुरम | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | उप-मंडलीय अस्पताल/शोरानूर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | स्वास्थ्य इकाई/चेन्नई एममोर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | स्वास्थ्य इकाई/अवडी | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | स्वास्थ्य इकाई/तांबरम | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | स्वास्थ्य इकाई/कोझिकोड | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | स्वास्थ्य इकाई/कन्नूर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | स्वास्थ्य इकाई/मंगलुरु | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | रेलवे अस्पताल/इंदियल कोच फेक्ट्री/पेरम्बूर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| 15 | दुपरे | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 9 |
| | यूबीएल | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 9 |
| | आरएच/एमवाईएस | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 9 |
| | आरडब्ल्यूएफ/वाई एनके | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | 9 |
| 16 | पमरे | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | जबलपुर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ : 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओपीडी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | फार्मसी मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | प्रयोगशाला मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | रेफरल मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | क्यू सिस्टम मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | आईपीडी+ एनेस्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | सिक एंड फिट मॉड्यूल क्रियान्वि त एवं क्रियाशील है | सेवा क्षेत्र मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | ओटी+एने स्थीसिया मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | स्थानीय खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | कुल संख्या लागू नहीं किया गया |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | भोपाल (डीआरएच भोपाल) | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | भोपाल (एसडीआरएच इटारसी) | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | भोपाल (एसडीआरएच बीना) | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एचयू शाजापुर | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एचयू इटारसी | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | एचयू रानीकमलापति | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |

| अनुलग्नक - 1.16 31.03.2022 तक भारतीय रेलवे पर एचएमआईएस के अस्पतालवार कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| क्र. सं. | रेलवे | पंजीकरण | ओपीडी | फार्मसी | प्रयोगशाला | रेफरल | क्यू सिस्टम | आईपीडी+ | सिक एंड | सेवा क्षेत्र | ओटी+एने | स्थानीय | कुल संख्या |
| | | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित और कार्यात्मक है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित एवं क्रियाशील है | मॉड्यूल कार्यान्वित और क्रियाशील है | खरीद मॉड्यूल कार्यान्वित त और कार्यात्मक है | लागू नहीं किया गया |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | परे | | | | | | | | | | | | |
| | मुख्यालय अस्पताल- जेआरएच, मुंबई सेंट्रल | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | डीआरएच पीआरटीएन | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | डीआरएच/आरटीएम | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | एमएमसीटी/वलसाड | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 9 |
| | रतलाम/डीएचडी कार्यशाला | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 8 |
| | बीआरसी/एनएआईआर | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | बीआरसी(पी) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 11 |
| | बीआरसी/बीएच | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 10 |
| | नहीं | 28 | 49 | 72 | 92 | 89 | 92 | 77 | 83 | 90 | 92 | 98 | |
| | हाँ | 72 | 51 | 28 | 8 | 11 | 8 | 23 | 17 | 10 | 8 | 2 | |
| | कुल | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| क्र.सं. | रेलवे | अनुलग्नक - 1.17 इनडोर रोगी से आहार शुल्क के गैर-संशोधन और कम वसूली दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.3) | | | | | वर्ष 2018-19 | | | | | वर्ष 2019-20 | | | | |
|---------|----------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2019-20 | वर्ष 2019-20 |
| | | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | मरे | 1925336 | 1330585 | 594751 | 2744140 | 2149198 | 594942 | 3628067 | 792029 | 2836038 | | | | | | |
| 2 | पूतरे | 92320 | 26117 | 66203 | 47386 | 2494 | 44892 | 24852 | 1308 | 23544 | | | | | | |
| 3 | पूमरे | | | | 37000 | 9215 | 27785 | 158000 | 10925 | 147075 | | | | | | |
| 4 | पूरे | 13189105 | 12174156 | 1014949 | 13618021 | 12272492 | 1345529 | 14037360 | 6416688 | 7620672 | | | | | | |
| 5 | पूसीरे | 4008726 | 474154 | 3534572 | 3272117 | 1872740 | 1399377 | 4252459 | 392741 | 3859718 | | | | | | |
| 6 | उरे | 5664911 | 3153917 | 2510994 | 5893127 | 3578686 | 2314441 | 6074283 | 920736 | 5153547 | | | | | | |
| 7 | उपरे | 104643 | 68340 | 36303 | 312126 | 37400 | 274726 | 554659 | 34425 | 520234 | | | | | | |
| 8 | आरपीयू | 2284837 | 563007 | 1721830 | 2725494 | 308113 | 2417381 | 2564815 | 108502 | 2456313 | | | | | | |
| 9 | दपूमरे | | | | 1080000 | 207000 | 873000 | 1440000 | 41531 | 1398469 | | | | | | |
| 10 | दपूरे | 5265037.79 | 4975989 | 289048.79 | 6677307.21 | 1633399 | 5043908.21 | 7414046 | 612158 | 6801888 | | | | | | |
| 11 | दरे | 3616509 | 2646049 | 970460 | 4469504 | 2740274 | 1729230 | 3797037 | 2545604 | 1251433 | | | | | | |
| 12 | दपूरे | 825230 | 476874 | 348356 | 1959119 | 394267 | 1564852 | 2188116 | 121999 | 2066117 | | | | | | |
| 13 | पमरे | 986579 | 221217 | 765362 | 879427 | 106413 | 773014 | 1114384 | 105046 | 1009338 | | | | | | |
| 14 | परे | 7268307.75 | 4943636 | 2324671.75 | 6157934 | 2223260 | 3934674 | 9162663 | 1109739 | 8052924 | | | | | | |
| | कुल योग | 42948989.54 | 31027503 | 10956820.5 | 47149933.2 | 27534951 | 17891599.2 | 53848491 | 13213431 | 393889550 | | | | | | |

| क्र.सं. | रेलवे | अनुलग्नक - 1.17 इनडोर रोगी से आहार शुल्क के गैर-संशोधन और कम वसूली दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.3) | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | वर्ष 2020-21 | | | | | | वर्ष 2021-22 | | | | | |
| | | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) | रोगी को उपलब्ध कराए गए आहार पर किया गया वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से आहार शुल्क वसूला गया (₹) | रेलवे को हुआ घाटा (₹) | रोगी को प्रदान किए गए आहार पर किया गया कुल वास्तविक व्यय (₹) | रोगी से वसूला गया कुल आहार शुल्क (₹) | रेलवे द्वारा वहन किया गया कुल घाटा (₹) | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | मरे | 2639090 | 456394 | 2182696 | 4444204 | 809318 | 3634886 | 15380837 | 5537524 | 9843313 | | | |
| 2 | पूतरे | 0 | 0 | 0 | 3163294 | 59342 | 3103952 | 3327852 | 89261 | 3238591 | | | |
| 3 | पूमरे | 176440 | 3515 | 172925 | 338525 | 1995 | 336530 | 709965 | 25650 | 684315 | | | |
| 4 | पूरे | 8287828 | 2388539 | 5899289 | 15367654 | 3710005 | 11657649 | 64499968 | 36961880 | 27538088 | | | |
| 5 | पूसीरे | 3155504 | 29141 | 3126363 | 5416123 | 147677 | 5268446 | 20104929 | 2916453 | 17188476 | | | |
| 6 | उरे | 5773566 | 363344 | 5410222 | 8436232 | 399233 | 8036999 | 31842119 | 8415916 | 23426203 | | | |
| 7 | उपरे | 466465 | 146795 | 319670 | 648597 | 74460 | 574137 | 2086490 | 361420 | 1725070 | | | |
| 8 | आरपीयू | 1377272 | 124872 | 1252400 | 1815909 | 39188 | 1776721 | 10768327 | 1143682 | 9624645 | | | |
| 9 | दपूमरे | 1920000 | 20016 | 1899984 | 1920000 | 76242 | 1843758 | 6360000 | 344789 | 6015211 | | | |
| 10 | दपूरे | 6533244.5 | 337391 | 6195853.5 | 8212776.5 | 438886 | 7773890.5 | 34102412 | 7997823 | 26104589 | | | |
| 11 | दरे | 9067694 | 1575553 | 7492141 | 8798962 | 2290565 | 6508397 | 29749706 | 11798045 | 17951661 | | | |
| 12 | दपरे | 3383913 | 202249 | 3181664 | 5177439 | 227764 | 4949675 | 13533817 | 1423153 | 12110664 | | | |
| 13 | पमरे | 1407019 | 59432 | 1347587 | 2157341 | 53481 | 2103860 | 6544750 | 545589 | 5999161 | | | |
| 14 | परे | 7757185 | 562433 | 7194752 | 4564672 | 852364 | 3712308 | 34910762 | 9691432 | 25219329.8 | | | |
| | कुल योग | 48407703 | 6269674 | 34650679 | 70461729 | 9180520 | 61281209 | 273921934 | 87252617 | 186669317 | | | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मरे | | 7512525 | 1138338.2 | 8650863.2 |
| | | मुंबई - मंडलीय अस्पताल कल्याण | | | |
| | | डॉ.सुशांक महारोपात्रा, सीएमएस कल्याण | 248200 | 69592 | 317792 |
| | | डॉ.सुषमा आर तिकी | 622950 | 58550 | 681500 |
| | | पीसीएमडी | | | |
| | | डॉ. भानुमति शेखर | 125450 | 40626.5 | 166076.5 |
| | | डॉ. केके आचार्य | 548699 | 55608.91 | 604307.91 |
| | | डॉ. एमबी गांगुर्डे | 1173700 | 137375 | 1311075 |
| | | डॉ. पीके सामंतराय | 139277 | 6963.85 | 146240.85 |
| | | डॉ. प्रसन्न कुमार | 165587 | 24225 | 189812 |
| | | डॉ. राकेश पंचरत्न | 84866 | 27514.46 | 112380.46 |
| | | डॉ. संगीता मेहरा | 1637766 | 258383.64 | 1896149.64 |
| | | डॉ. श्याम सुंदर | 386207 | 38639.84 | 424846.84 |
| | | डॉ. विजय पिचाड | 230773 | 45060 | 275833 |
| | | डॉ.वाईएस अटरिया | 521100 | 114642 | 635742 |
| | | पुणे - मंडलीय अस्पताल पुणे | 629800 | 123146 | 752946 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. एमके रामकृष्ण | 388600 | 64052 | 452652 |
| | | डॉ. एस कनकरया | 53600 | 17822 | 71422 |
| | | डॉ. एसएम अठावले | 187600 | 41272 | 228872 |
| | | ज़ोनल-केंद्रीय अस्पताल बायकुला | | | |
| | | डॉ. मीरा अरोड़ा | 998150 | 138011 | 1136161 |
| 2 | पूतरे | | 8959140 | 1338562 | 10297702 |
| | | सीएच/एमसीएस | | | |
| | | डॉ. ए. सेनापति | 685750 | 76906 | 762656 |
| | | डॉ. एके सेठी | 137026 | 38972 | 175998 |
| | | डॉ. ए.के.पटनायक | 40200 | 6834 | 47034 |
| | | डॉ. रूपा कपिल | 64406 | 10949 | 75355 |
| | | सीएमएस/केयूआर | | | |
| | | डॉ. बीजीएस राव | 246113 | 50683 | 296796 |
| | | सीएमएस/एसबीपी | | | |
| | | डॉ. बीसी साहू | 425680 | 32420 | 458100 |
| | | डॉ. डी. रामा राव | 192355 | 48378 | 240733 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. जी.नाइक | 391790 | 143869 | 535659 |
| | | डॉ. पी. पांडा | 14319 | 2434 | 16753 |
| | | सीएमएस/डब्ल्यूएटी | | | |
| | | डी शरथ बाबू | 23450 | 7973 | 31423 |
| | | डॉ. बीजीएस राव | 652411 | 67398 | 719809 |
| | | डॉ. एम.के.रामकृष्ण | 218867 | 48329 | 267196 |
| | | पीसीएमडी/बीबीएसआर | | | |
| | | डॉ. ए.के.पटनायक | 809850 | 97235 | 907085 |
| | | डॉ. बीजीएस राव | 17723 | 6026 | 23749 |
| | | डॉ. बी.पी. परिदा | 2051578 | 307012 | 2358590 |
| | | डॉ. एच.एस.बारिक | 1599416 | 195158 | 1794574 |
| | | डॉ. जेपी पांडा | 418073 | 33299 | 451372 |
| | | डॉ. के.सी.साहू | 154100 | 37319 | 191419 |
| | | डॉ. एम.एल.मीना | 5603 | 1905 | 7508 |
| | | डॉ. आरके महापात्रा | 201000 | 49848 | 250848 |
| | | डॉ. एस.के.मोहंती | 332797 | 28587 | 361384 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ.आर.के.पाणी | 276633 | 47028 | 323661 |
| 3 | पूमुरे | | 3310220 | 470682 | 3780902 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 12090 | 484 | 12574 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 16820 | 673 | 17493 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 12090 | 484 | 12574 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 16820 | 673 | 17493 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 12090 | 484 | 12574 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 12090 | 605 | 12695 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 965 | 20265 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 1547 | 32487 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 965 | 20265 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 1547 | 32487 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 16820 | 841 | 17661 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 16820 | 841 | 17661 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 16820 | 841 | 17661 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 31900 | 1595 | 33495 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 965 | 20265 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 965 | 20265 |
| | | | | | |
| 3 | पूम्परे | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 1547 | 32487 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 1547 | 32487 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 31900 | 1595 | 33495 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 31900 | 1595 | 33495 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 965 | 20265 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 31900 | 1595 | 33495 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1351 | 20651 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 31900 | 2233 | 34133 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2166 | 33106 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2166 | 33106 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1351 | 20651 |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 31900 | 2233 | 34133 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1351 | 20651 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. झुमु रॉय हलदर | 31900 | 2233 | 34133 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2166 | 33106 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2166 | 33106 |
| 3 | पूम्परे | डॉ. झुमु रॉय हलदर | 31900 | 2233 | 34133 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2166 | 33106 |
| | | डॉ. झुमु रॉय हलदर | 31900 | 2233 | 34133 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1351 | 20651 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1351 | 20651 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1351 | 20651 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1737 | 21037 |
| | | डॉ. झुमु रॉय हलदर | 31900 | 2871 | 34771 |
| | | डॉ. झुमु रॉय हलदर | 25700 | 2313 | 28013 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1737 | 21037 |
| | | डॉ. झुमु रॉय हलदर | 25700 | 2313 | 28013 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2785 | 33725 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 30940 | 2785 | 33725 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 31180 | 2806 | 33986 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 31180 | 2806 | 33986 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1737 | 21037 |
| 3 | पूम्पे | डॉ. झुमर रॉय हलदर | 25700 | 2313 | 28013 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 2891 | 35011 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1737 | 21037 |
| | | डॉ. झुमर रॉय हलदर | 25700 | 2313 | 28013 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 2891 | 35011 |
| | | डॉ. राम चन्द्र त्रिवेदी | 19300 | 1737 | 21037 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 2891 | 35011 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 2891 | 35011 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 3854 | 35974 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 3854 | 35974 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 3854 | 35974 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 3854 | 35974 |
| | | डॉ. बाबाजी चरण साहू | 19300 | 2316 | 21616 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 3854 | 35974 |
| | | डॉ. बाबाजी चरण साहू | 19300 | 2316 | 21616 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 32120 | 3854 | 35974 |
| | | डॉ. बाबाजी चरण साहू | 19300 | 2316 | 21616 |
| 3 | पूम्परे | डॉ. अरुण कुमार | 33080 | 5624 | 38704 |
| | | डॉ. बाबाजी चरण साहू | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 33080 | 5624 | 38704 |
| | | डॉ. बाबाजी चरण साहू | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 |
| | | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 |
| | | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|--|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | पूरमे | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 | |
| | | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 | |
| | | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 34440 | 5855 | 40295 | |
| | | डॉ. एम रविकुमार | 19300 | 3281 | 22581 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 | |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | पूरमे | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 35480 | 6032 | 41512 |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 6212 | 42752 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 6212 | 42752 |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 6212 | 42752 |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 10231 | 46771 |
| | | डॉ. प्रदीप कुमार सरदार | 19300 | 5404 | 24704 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 10231 | 46771 |
| | | डॉ. जीएन पांडा | 13400 | 3752 | 17152 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 10231 | 46771 |
| | | डॉ. जीएन पांडा | 13400 | 3752 | 17152 |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 10231 | 46771 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|--|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | पूम्परे | डॉ. जीएन पांडा | 13400 | 3752 | 17152 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 10231 | 46771 | |
| | | डॉ. जीएन पांडा | 13400 | 3752 | 17152 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 36540 | 10231 | 46771 | |
| | | डॉ. जीएन पांडा | 13400 | 3752 | 17152 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 37640 | 11668 | 49308 | |
| | | डॉ. जीएन पांडा | 13400 | 4154 | 17554 | |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 25700 | 7967 | 33667 | |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 13400 | 4154 | 17554 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 37640 | 11668 | 49308 | |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 13400 | 4154 | 17554 | |
| | | डॉ. अरुण कुमार | 37640 | 11668 | 49308 | |
| | | डॉ. झुमुर रॉय हलदर | 13400 | 4154 | 17554 | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | पूरे | | 22953109 | 3281710 | 26234819 | |
| | | एसएन | | | | |
| | | डॉ. विश्वजीत घटक | 728700 | 73102 | 801802 | |
| | | डॉ. मनोरंजन महता | 223000 | 54124 | 277124 | |
| | | डॉ. रुद्रेंद्र भट्टाचार्य | 93800 | 15946 | 109746 | |
| | | बीआरएसएच | | | | |
| | | डॉ. देबाशीष गुहा | 1490790 | 207143 | 1697933 | |
| | | डॉ. दुलाल चंद्र भुनिया | 797300 | 86563 | 883863 | |
| | | डॉ. अचित्य सान्याल | 196200 | 53922 | 250122 | |
| | | डॉ. आलोक मजूमदार | 743700 | 77451 | 821151 | |
| | | डॉ. आनंद दास चौधरी | 482100 | 35874 | 517974 | |
| | | डॉ. गौतम दासगुप्ता | 289500 | 19107 | 308607 | |
| | | डॉ. राणा भट्टाचार्य | 92200 | 15674 | 107874 | |
| | | डॉ. कृष्ण लाल दास | 129200 | 19069 | 148269 | |
| | | समीर कुमार रक्षित | 160800 | 45426 | 206226 | |
| | | मुख्यालय. | | | | |
| | | डॉ. श्यामल दास | 228900 | 55551 | 284451 | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|---|------------------------------|--|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | पूरे | डॉ. सुब्रत दास | 840060 | 194697 | 1034757 | |
| | | डॉ. अमिताव दत्ता | 785740 | 93905 | 879645 | |
| | | डॉ. अनुपम सेट | 2488500 | 298607 | 2787107 | |
| | | डॉ. के.सी.साहू | 306600 | 49522 | 356122 | |
| | | डॉ. प्रबोध कुड़ली | 347400 | 24318 | 371718 | |
| | | डॉ. रवीन्द्र नाथ रे | | | 0 | |
| | | डॉ. रुद्रेंद्र भट्टाचार्य | 160800 | 45426 | 206226 | |
| | | डॉ. सुजीत मलिक | 559300 | 46103 | 605403 | |
| | | डॉ. सुनील कुमार | 289500 | 19107 | 308607 | |
| | | एचडब्ल्यूएच | | | | |
| | | डॉ. बिकास चंद्र साहा | 694800 | 141276 | 836076 | |
| | | समीर कुमार रक्षित | 405300 | 31266 | 436566 | |
| | | जेएमपी | | | | |
| | | आलोकेश चंद्र बिस्वास | 147400 | 43148 | 190548 | |
| | | डॉ. राजेश कुमार सिन्हा | 354630 | 23132 | 377762 | |
| | | डॉ. शुभाशीष दास | 187600 | 49982 | 237582 | |
| | | डॉ. भास्कर चक्रवर्ती | 154400 | 16212 | 170612 | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | पूरे | डॉ. हिमांशु मंडल | 490000 | 74422 | 564422 |
| | | डॉ. जगत किशोर प्रसाद | 1179140 | 250705 | 1429845 |
| | | डॉ. मृदुल चक्रवर्ती | 314150 | 19564 | 333714 |
| | | किलो पास्कल | | | |
| | | डॉ. बिकास चंद्र साहा | 482100 | 35874 | 517974 |
| | | डॉ. आनंद दास चौधरी | 115800 | 16791 | 132591 |
| | | डॉ. अनुप सेन | 424200 | 28926 | 453126 |
| | | डॉ. गदाधर मंडल | 675100 | 65789 | 740889 |
| | | डॉ. इंद्रजीत चटर्जी | 689000 | 122400 | 811400 |
| | | डॉ. शाश्वती दास | 135100 | 43618 | 178718 |
| | | डब्ल्यूएच/लिवुआह | | | |
| | | अमिताव दत्त | 255700 | 40574 | 296274 |
| | | डॉ. इंदिरा झा | 135100 | 22967 | 158067 |
| | | डॉ. शुभंकर होम | 13400 | 4556 | 17956 |
| | | डॉ. कृष्ण लाल दास | 397000 | 30851 | 427851 |
| | | गोपा मजूमदार | 215500 | 50995 | 266495 |
| | | एमएलडीटी | | | |

| अनुलग्नक - 1.18 | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | पूरे | डॉ. तपन कुमार मैती | 236140 | 57836 | 293976 |
| | | तापस कुमार मजूमदार सियाल्दा | 636350 | 60828 | 697178 |
| | | डॉ. आशीष मुखर्जी | 133999 | 42746 | 176745 |
| | | डॉ. इंदिरा झा | 196200 | 53922 | 250122 |
| | | डॉ. पार्थ सारथी मित्र | 2115410 | 336258 | 2451668 |
| | | डॉ. (श्रीमती) गोपा सिन्हा | 366700 | 26634 | 393334 |
| | | समीर कुमार रक्षित | 368800 | 59801 | 428601 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|--|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | उमरे | | 11213660 | 1994813 | 13208473 | |
| | | मुख्यालय | | | | |
| | | डॉ. आनंद टंडन | 556495 | 108242 | 664737 | |
| | | डॉ. रूपा कपिल | 227800 | 74906 | 302706 | |
| | | डॉ. तुलिका मिश्रा | 422920 | 148694 | 571614 | |
| | | डॉ. स्वप्नाली दत्ता | 1208740 | 210949 | 1419689 | |
| | | जगदेवप्रसाद रावत | 40200 | 15812 | 56012 | |
| | | प्रकाश मुर्मू | 2350425 | 426786 | 2777211 | |
| | | राजीव कपूर | 260630 | 18626 | 279256 | |
| | | विनीत अग्रवाल | 880640 | 109431 | 990071 | |
| | | पीआरवाईजे मंडल | 3389300 | 517341 | 3906641 | |
| | | डॉ. केएल राय सिंघानिया | 1194240 | 179244 | 1373484 | |
| | | डॉ. सुमंत बहल | 231600 | 48443 | 280043 | |
| | | डॉ.नीलिमा श्रीवास्तव | 398140 | 26733 | 424873 | |
| | | डॉ.प्रदीप कुमार सरदार | 630400 | 81570 | 711970 | |
| | | डॉ.राकेश निगम | 644800 | 165119 | 809919 | |
| | | डॉ.रवींद्र प्रसाद | 19300 | 2316 | 21616 | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|--|
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी की भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | उमरे | डॉ.वाईएस अतारिया | 270820 | 13916 | 284736 | |
| | | जेएचएस मंडल | 853660 | 137987 | 991647 | |
| | | डॉ. आलोक श्रीवास्तव | 195460 | 10801 | 206261 | |
| | | डॉ. रवीन्द्र प्रसाद | 214400 | 74504 | 288904 | |
| | | डॉ. वाई.एस.अतारिया | 443800 | 52682 | 496482 | |
| | | आगरा डिवीजन | 1022850 | 226039 | 1248889 | |
| | | डॉ. अजय शंकर प्रसाद | 160800 | 51456 | 212256 | |
| | | डॉ. जेपी उपाध्याय | 630450 | 135211 | 765661 | |
| | | डॉ. रवीन्द्र प्रसाद | 231600 | 39372 | 270972 | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | उपूरे | उपूरे | 12511225 | 3872312 | 16383537 |
| | | डीआरएच बीएनजेड | | | |
| | | डॉ. आरसी लोहानी | 356144 | 35858 | 392002 |
| | | डॉ. राजीव सक्सेना | 236320 | 10480 | 246800 |
| | | डॉ. संजय श्रीवास्तव | 1439250 | 88048 | 1527298 |
| | | पीसीएमडी | | | |
| | | डॉ. डीके सिंह | 1898086 | 315549 | 2213635 |
| | | डॉ. राजीव सक्सेना | 289400 | 26851 | 316251 |
| | | डॉ. श्याम सुंदर | 1161260 | 152707 | 1313967 |
| | | डॉ. यूएस नाग | 2102425 | 507864 | 2610289 |
| | | डीआरएच/आईजेडएन | | | |
| | | डॉ. बहादुर लाल | 50142 | 16750 | 66892 |
| | | डॉ. भूपेन्द्र नाथ चौधरी | 224858 | 48090 | 272948 |
| | | डॉ. अरुण खुन्नु | 1046400 | 143888 | 1190288 |
| | | डॉ. धर्म सिंह नगनियाल | 871700 | 96099 | 967799 |
| | | डीआरएच/बीएसबी | | | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | उपूर | डॉ. एमएस नवियाल | 1034600 | 2154032 | 3188632 |
| | | एसडीआरएच/जीएनडीए | | | |
| | | डॉ. डीके मोरे | 1220900 | 132703 | 1353603 |
| | | डॉ. लक्ष्मी गुंजियाल | 80800 | 13988 | 94788 |
| | | डॉ. रमेश चंद | 498940 | 129405 | 628345 |
| 7 | पूसीरे | | 14894592 | 2793550 | 17688142 |
| | | डॉ.बी.सोनोवाल | 149680 | 7858 | 157538 |
| | | डॉ. एन.डेका | 202960 | 10656 | 213616 |
| | | डॉ. एस.सी.राभा | 373480 | 19608 | 393088 |
| | | डॉ. सी.एन.जना | 264532 | 13887 | 278419 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | पूसीरे | डॉ.एस.के.डेका | 155480 | 8163 | 163643 |
| | | डॉ.पी.महेशारी | 202960 | 10656 | 213616 |
| | | डॉ.बी.सोनोवाल | 120600 | 9045 | 129645 |
| | | डॉ. एन.डेका | 231600 | 21423 | 253023 |
| | | डॉ. एस.सी.राभा | 457380 | 42307 | 499687 |
| | | डॉ. सी.एन.जना | 350220 | 32396 | 382616 |
| | | डॉ.एस.के.डेका | 160800 | 14874 | 175674 |
| | | डॉ.पी.महेशारी | 231600 | 21423 | 253023 |
| | | डॉ. एन.डेका | 231600 | 31845 | 263445 |
| | | डॉ. एस.सी.राभा | 400800 | 55110 | 455910 |
| | | डॉ. सी.एन.जना | 360720 | 49599 | 410319 |
| | | डॉ.एस.के.डेका | 160800 | 22110 | 182910 |
| | | डॉ.पी.महेशारी | 208000 | 28600 | 236600 |
| | | डॉ. एन.डेका | 148500 | 22440 | 170940 |
| | | डॉ. एस.सी.राभा | 327000 | 48781 | 375781 |
| | | डॉ. सी.एन.जना | 371460 | 55412 | 426872 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | पूसीरे | डॉ.एस.के.डेका | 89300 | 15180 | 104480 |
| | | डॉ.पी.महेशारी | 160800 | 23987 | 184787 |
| | | डॉ. एस.सी.राभा | 250800 | 60405 | 311205 |
| | | डॉ. सी.एन.जना | 382620 | 92153 | 474773 |
| | | डॉ.पी.महेशारी | 160800 | 38729 | 199529 |
| | | डॉ.जी.के.चक्रवर्ती | 171000 | 39590 | 210590 |
| | | डॉ. एम.के.चौधरी | 2,68,920 | 23,571 | 292491 |
| | | डॉ. एम.के.चौधरी | 2,31,500 | 43,938 | 275438 |
| | | डॉ. एम.के.चौधरी | 1,73,700 | 54,625 | 228325 |
| | | डॉ. बी.के.चौधरी | 1,13,700 | 20,188 | 133888 |
| | | डॉ. बी.के.चौधरी | 4,00,800 | 80,750 | 481550 |
| | | डॉ. बी.के.चौधरी | 1,47,100 | 44,729 | 191829 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | पूसीरे | डॉ.एम बी गांगुर्डे | 93,800 | 89,458 | 183258 |
| | | डॉ. आर भट्टाचार्यी | 2,08,590 | 11,239 | 219829 |
| | | डॉ. आर भट्टाचार्यी | 2,31,600 | 21,423 | 253023 |
| | | डॉ. आर भट्टाचार्यी | 2,13,900 | 33,468 | 247368 |
| | | डॉ. आर भट्टाचार्यी | 40,200 | 6,834 | 47034 |
| | | डॉ. डोमा योनज़ोम | 67,000 | 11,390 | 78390 |
| | | डॉ. एम.के.मजुमदार | 2,01,000 | 61,104 | 262104 |
| | | डॉ. दचोजाई | 2,61,120 | 14,182 | 275302 |
| | | डॉ. दचोजाई | 2,50,800 | 22,767 | 273567 |
| | | डॉ. सी.एस.रावत | 2,08,000 | 35,746 | 243746 |
| | | डॉ. सी.एस.रावत | 1,60,800 | 31,798 | 192598 |
| | | डॉ. सी.एस.रावत | 1,60,800 | 49,848 | 210648 |
| | | डॉ. एनकेयादव | 2,09,970 | 8,685 | 218655 |
| | | डॉ. एनकेयादव | 2,31,600 | 20,844 | 252444 |
| | | डॉ. अजय रॉय | 4,28,940 | 67,598 | 496538 |
| | | डॉ. अजय रॉय | 3,30,800 | 55,744 | 386544 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | पूसीरे | डॉ. संजय कुमार रस्तोगी | 13,400 | 2,278 | 15678 |
| | | डॉ.हिमांशु म मंडल | 26,800 | 4,556 | 31356 |
| | | डॉ.हिमांशु म मंडल | 1,60,800 | 44,220 | 205020 |
| | | डॉ. एस के देशमुखिया | 2,54,200 | 65,053 | 319253 |
| | | डॉ. डी के दास | 2,02,760 | 56,687 | 259447 |
| | | डॉ. एस के देशमुखिया | 2,57,200 | 41,315 | 298515 |
| | | डॉ. डी के दास | 2,31,600 | 41,166 | 272766 |
| | | डॉ. एस के देशमुखिया | 2,31,600 | 75,203 | 306803 |
| | | डॉ. डी के दास | 2,12,300 | 81,938 | 294238 |

| अनुलग्नक - 1.18 | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|--|------------------------------|
| प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. एस के देशमुखिया | 1,73,700 | 60,563 | 234263 |
| | | डॉ. सजल कान्ति दास | 95,700 | 20,187 | 115887 |
| | | डॉ. सुबीर कुमार चक्रवर्ती | 1,93,000 | 67,292 | 260292 |
| | | डॉ. एल.हमर | 77,520 | 13,178 | 90698 |
| | | डॉ. सजल कान्ति दास | 2,04,700 | 53,438 | 258138 |
| | | डॉ. देबबर्मा | 2,27,400 | 73,625 | 301025 |
| | | डॉ. एल.हमर | 1,16,280 | 19,767 | 136047 |
| | | डॉ. स्वप्ना देमारी | 1,73,700 | 1,10,438 | 284138 |
| | | डॉ. बिधान चौधरी रॉय | 2,54,200 | 23,980 | 278180 |
| | | डॉ. बिधान चौधरी रॉय | 2,50,800 | 42,750 | 293550 |
| | | डॉ. बिधान चौधरी रॉय | 2,31,600 | 78,375 | 309975 |
| | | डॉ. बिधान चौधरी रॉय | 1,84,400 | 80,750 | 265150 |
| | | डॉ. बिधान चौधरी रॉय | 1,60,800 | 1,30,625 | 291425 |
| 8 | उरे | उरे | 12590282 | 2256816 | 14847098 |
| | | मुख्यालय | 7157597 | 1222184 | 8379781 |
| | | डॉ. अर्चन गुप्ता | 325977 | 21423 | 347400 |
| 8 | उरे | डॉ. आशा रानी | 1183313 | 145107 | 1328420 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | डॉ. दीपक सक्सैना | 165015 | 27985 | 193000 |
| | | डॉ. केएस पटियाल | 32038 | 6562 | 38600 |
| | | डॉ. एनके यादव | 188940 | 52260 | 241200 |
| | | डॉ. ओपी आनंद | 215472 | 65928 | 281400 |
| | | डॉ. पीएस नेगी | 165015 | 27985 | 193000 |
| | | डॉ. पुनीत गुप्ता | 810076 | 197144 | 1007220 |
| | | डॉ. आरके जैन | 316833 | 21168 | 338001 |
| | | डॉ. आरके पंडे | 311006 | 100834 | 411840 |
| | | डॉ. एसपी चौधरी | 635436 | 44844 | 680280 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | उरे | डॉ. एसपी चौधरी | 539125 | 163935 | 703060 |
| | | डॉ. शशि भूषण | 1116787 | 137053 | 1253840 |
| | | डॉ. शिखा गौतम | 604842 | 128378 | 733220 |
| | | डॉ. सुगंधा राहा | 45426 | 21574 | 67000 |
| | | डॉ. सुनील कुमार | 226326 | 14874 | 241200 |
| | | डॉ. विनय कुमार | 275970 | 45130 | 321100 |
| | | एनआरसीएच | | | |
| | | डॉ. एके शर्मा | 129363 | 47537 | 176900 |
| | | डॉ. अमिता जैन | 203022 | 63378 | 266400 |
| | | डॉ. अतुल गुप्ता | 129363 | 47537 | 176900 |
| | | डॉ. एमबी शंखवार | 672145 | 81755 | 753900 |
| | | डॉ. रजनी भल्ला | 596823 | 133877 | 730700 |
| | | डॉ. रुशमा टंडन | 230748 | 90852 | 321600 |
| | | डॉ. एससी खोरवाल | 319758 | 60842 | 380600 |
| | | डॉ. संजय जोशी | 139413 | 50887 | 190300 |
| | | एनआरडीएच/डीएलआई | | | |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | उरे | डॉ. मान सिंह | 541400 | 105062 | 646462 |
| | | डॉ. विनय कुमार | 449950 | 32916 | 482866 |
| | | एनआरडीएच/एलकेओ | | | |
| | | कुमार उमेश | 156045 | 59719 | 215764 |
| | | पदम सिंह नेगी | 312335 | 26296 | 338631 |
| | | विश्वमोहिनी सिन्हा | 473184 | 84521 | 557705 |
| | | एनआरडीएच/यूपएमबी | | | |
| | | श। सीएस आनंद | 774100 | 79507 | 853607 |
| | | श। एसएम शर्मा | 305036 | 69946 | 374982 |
| | | आरसीएफ/एचएसक्यू | | | |
| | | एसपीएस सचदेवा | 897680 | 120198 | 1017878 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | उरे | इंडीएच/आरडीएसओ | 1165608 | 370898 | 1536506 |
| | | डॉ. पीतांबर प्रसाद (पुनः तैनाती) | 107200 | 18224 | 125424 |
| | | डॉ. पीतांबर प्रसाद (पुनः तैनाती) | 93800 | 45024 | 138824 |
| | | डॉ. एसके रस्तोगी, | 655108 | 171907 | 827015 |
| | | डॉ. एसके सिन्हा | 53600 | 18224 | 71824 |
| | | डॉ. संगीता सागर, | 255900 | 117519 | 373419 |
| 9 | उपरे | | 5002100 | 639537 | 5641637 |
| | | सेंट्रल हॉस्पिटल/जयपुर | | | |
| | | डॉ. अशोक कुमार सेंगर | 335000 | 24120 | 359120 |
| | | डॉ. गौतम बंद्योपाध्याय | 787700 | 60096 | 847796 |
| | | डॉ. कैलाश बिहारी छोलक | 542500 | 102167 | 644667 |
| | | डॉ. कृष्ण लाल दास | 160800 | 27336 | 188136 |
| | | डॉ. लक्ष्मी मीना | 614100 | 134466 | 748566 |
| | | डॉ. मदन लाल चौधरी | 77200 | 13124 | 90324 |
| | | डॉ. पीके सामंत रे | 174200 | 45292 | 219492 |
| | | डॉ. पूनम शर्मा | 763500 | 51760 | 815260 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | उपरे | डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र | 120600 | 20502 | 141102 |
| | | डॉ. सत्य बाबू | 13400 | 4154 | 17554 |
| | | डॉ. सुधीर चंद्र गुप्ता | 154300 | 11573 | 165873 |
| | | डॉ. सुधीर चंद्र गुप्ता, सीएचडी | 231300 | 8738 | 240038 |
| | | डीआरएच/अजमेरे | | | |
| | | डॉ. पीसी मीना | 398800 | 83474 | 482274 |
| | | डॉ. पीकेमिश्रा | 628700 | 52735 | 681435 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | दमरे | | 4981040 | 751009.6 | 5732049.6 |
| | | सीएच/एलजीडी | | | |
| | | सीके वैकटेश्वरू | 308200 | 70484 | 378684 |
| | | श्रीकांत महापात्र | 173700 | 29529 | 203229 |
| | | टीएसआर मूर्ति | 482500 | 41495 | 523995 |
| | | डीआरएच/बीजेडए | | | |
| | | एम. श्रीलक्ष्मी | 93800 | 30284 | 124084 |
| | | एमडी नज़ीर हूसैन | 194600 | 36834 | 231434 |
| | | एनसी राव | 404900 | 27189 | 432089 |
| | | वी सत्यनारायण | 405300 | 61567 | 466867 |
| | | डीआरएच/जीएनटी | | | |
| | | चौधरी श्रीनिवासु | 2078040 | 332457.6 | 2410497.6 |
| | | पीसीएमडी | | | |
| | | केएचके डोरा | 308800 | 20844 | 329644 |
| | | प्रसन्न कुमार | 348400 | 75040 | 423440 |
| | | टीजे प्रकाश | 182800 | 25286 | 208086 |

| अनुलगनक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | दपूमे | | 2910122 | 396714 | 3306836 |
| | | सीएच/बीएसपी | | | |
| | | डॉ. एके दास | 528856 | 92830 | 621686 |
| | | डॉ. जीके चक्रवर्ती | 425887 | 71854 | 497741 |
| | | डॉ. प्रदीप क्र. सरदार | 219463 | 12550 | 232013 |
| | | डीआरएच/आर | | | |
| | | डॉ. भोलेश्वर | | | |
| | | जामकियार/एसीएमएस | 1173016 | 175877 | 1348893 |
| | | डॉ. विश्वजीत चक्रवर्ती | 562900 | 43603 | 606503 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | दरे | | 11487696 | 1600445 | 13088141 |
| | | सीएमएस कार्यालय/एमएस | | | |
| | | डॉ.बी.पी.नंदा, | 386000 | 28950 | 414950 |
| | | डॉ. शोभा जैस्मीन | 53600 | 17822 | 71422 |
| | | डॉ. वी.एस.शान्ति | 242300 | 46819 | 289119 |
| | | सीएमएस कार्यालय/एमडीयू | | | |
| | | डॉ. एम नरसिम्हन | 107200 | 34438 | 141638 |
| | | डॉ.जी.साहू | 599610 | 53012 | 652622 |
| | | सीएमएस कार्यालय/पीजीटी | | | |
| | | डॉ. वी. कला रानी | 1065800 | 144715 | 1210515 |
| | | पीसीएमडी कार्यालय/जीओसी | 1063730 | 144716 | 1208446 |
| | | डॉ.आर.सुंदर राजन, | 1063730 | 144716 | 1208446 |
| | | पीसीएमडी कार्यालय/एमएस | | | |
| | | डॉ.अनिल थॉमस | 28370 | 1134 | 29504 |
| | | डॉ.बी.पी.नंदा | 224600 | 34322 | 258922 |
| | | डॉ.बी.एस.वरप्रसाद | 127950 | 11609 | 139559 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रैलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | दरे | डॉ.के.जयमोहन | 278400 | 14991 | 293391 |
| | | डॉ.के.मुनिकन्नेया | 355450 | 20443 | 375893 |
| | | डॉ. कुंजुनजम्मा जॉर्ज | 914400 | 145634 | 1060034 |
| | | डॉ. पी. आनंदन | 2105436 | 336966 | 2442402 |
| | | डॉ. पेरुमल.यू.के | 107200 | 34438 | 141638 |
| | | डॉ.प्रसन्न कुमार | 402970 | 28087 | 431057 |
| | | डॉ. रानी रियाज़ | 234800 | 41792 | 276592 |
| | | डॉ.वी.नागप्रसूनम्बा | 53600 | 17822 | 71422 |
| | | डॉ.वी.निर्मला देवी | 67000 | 15142 | 82142 |
| | | डॉ.वी.निर्मला देवी | 160800 | 27336 | 188136 |
| | | आरएच/पीईआर | | | |
| | | डॉ.सी.वी.एन.मूर्ति | 201000 | 52260 | 253260 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | दरे | डॉ.वी.निर्मला देवी | 714750 | 67791 | 782541 |
| | | आईसीएफ अस्पताल | | | |
| | | डॉ. देबातोष मित्रा | 929000 | 135490 | 1064490 |
| 13 | दपरे | | 10086748 | 1545487 | 11632235 |
| | | सीएच/यूबीएल | | | |
| | | जी.एस.रामचंद्र | 212300 | 36091 | 248391 |
| | | आईबी मुजाहिद | 173700 | 20651 | 194351 |
| | | एमएन रमाकांत | 385600 | 25452 | 411052 |
| | | एम रविंद्रन | 340400 | 75958 | 416358 |
| | | सीएमडी/ओ/यूबीएल | | | |
| | | बीटी कृष्णा रेड्डी | 1724010 | 243055 | 1967065 |
| | | बी.उषा रानी | 93800 | 30284 | 124084 |
| | | भीमराव एस वादिका | 1323188 | 218391 | 1541579 |
| | | एच. प्रदीप कुमार | 233830 | 16516 | 250346 |
| | | हेमन्त कुमार | 57900 | 6948 | 64848 |
| | | शोभा जगन्नाथ | 435300 | 75877 | 511177 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | दपरे | सिदप्पा डिंडवार | 561340 | 140222 | 701562 |
| | | विलास गुंडा | 702040 | 99000 | 801040 |
| | | सीएमएस/ओ/यूबीएल | | | |
| | | सीएम रवि | 508230 | 104489 | 612719 |
| | | पी वैक्टराम | 366300 | 23715 | 390015 |
| | | आरएच/एमवाईएस | 1064860 | 150131 | 1214991 |
| | | जी.एस.रामचंद्र | 334500 | 74955 | 409455 |
| | | मीरा पाटिल | 730360 | 75176 | 805536 |
| | | आरएच/एसबीसी | | | |
| | | जी.एस.रामचंद्र | 19300 | 3281 | 22581 |
| | | मीरा पाटिल | 214400 | 43952 | 258352 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/ चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि(₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | दपरे | रवीन्द्रन एम | 668350 | 73206 | 741556 |
| | | शोभा जगननाथ | 67000 | 21775 | 88775 |
| | | आरएच/आरडब्ल्यूएफ/वाईएनके | 934900 | 136493 | 1071393 |
| | | डॉ. एसजी मटवेश | 934900 | 136493 | 1071393 |
| 14 | पमरे | | 8542887 | 1350087.8 | 9892974.8 |
| | सीएमएस/जेबीपी/बीपीएल/कोटा | डॉ. आशा चमानिया | 289420 | 28172.8 | 317592.8 |
| | | डॉ. बीसीएस राव | 107200 | 30284 | 137484 |
| | | डॉ.नीरज वर्मा | 240812 | 14831 | 255643 |
| | | डॉ. आरएन मिश्रा | 1211036 | 256289 | 1467325 |
| | | डॉ. राम स्वरूम मीना | 50000 | 2500 | 52500 |
| | | डीआरएच/बीपीएल | | | |
| | | डॉ. आशा चिमानिया | 805400 | 114941 | 920341 |
| | | डॉ. एसके राय | 115800 | 9264 | 125064 |
| | | डीआरएच/कोटा | | | |
| | | डॉ. अनिल उपाध्याय | 77100 | 4369 | 81469 |
| | | डॉ. आशीष मुखर्जी | 681103 | 91084 | 772187 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/ चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि(₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | पमरे | डॉ. ब्रिधि चंद्र बारा | 89250 | 4463 | 93713 |
| | | डॉ. एसके सिन्हा | 151700 | 45531 | 197231 |
| | | पीसीएमडी | | | |
| | | डॉ. आशुतोष गर्ग | 1990368 | 323281 | 2313649 |
| | | डॉ. एचके श्रीवास्तव | 964718 | 134937 | 1099655 |
| | | डॉ. सीमा मेहरा | 1768980 | 290141 | 2059121 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | परे | | 12242512 | 15924984 | 28167496 |
| | | डीआरएच आरटीएम | | | |
| | | डॉ. अशोक कुमार मालवीय | 986900 | 123672 | 1110572 |
| | | डॉ. अवदेश अवस्थी | 59500 | 16490 | 75990 |
| | | डीआरएच/पीआरटीएन | | | |
| | | ब्रह्म प्रकाश | 993800 | 1253894 | 2247694 |
| | | कृष्ण कुमार | 190300 | 762375 | 952675 |
| | | मुख्यालय/सीसीजी. | | | |
| | | भरत र. धारेश्वर | 364070 | 286126 | 650196 |
| | | चंद्रकांत पटेल | 1692100 | 1722408 | 3414508 |
| | | छतर सिंह आनंद | 160800 | 762375 | 923175 |
| | | जी साहू | 93800 | 282625 | 376425 |
| | | इंद्रनील वी. भट्टाचार्य | 978600 | 1660125 | 2638725 |
| | | किशोर तिवारी | 463200 | 897750 | 1360950 |
| | | महुआ हलदर | 511680 | 356144 | 867824 |
| | | मीना शेखर | 1136500 | 2016269 | 3152769 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|---|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भुगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | परे | निशा सिंह | 461760 | 743094 | 1204854 |
| | | रमेश जे कुमार | 400800 | 232750 | 633550 |
| | | संदीप क्र. मित्रा | 511680 | 356144 | 867824 |
| | | विलास गुंडा | 190300 | 413250 | 603550 |
| | | जेआरएच/एमएमसीटी | | | |
| | | हफ़ीजुनिसा आर | 821700 | 1892875 | 2714575 |
| | | हेमन्त कुमार | 505000 | 356144 | 861144 |
| | | आरटीएम/डीएचडी कार्यशाला | | | |
| | | डॉ. ब्रह्म प्रकाश | 140096 | 30810 | 170906 |
| | | डॉ. दीपक पी.वर्मा | 651340 | 57203 | 708543 |
| | | टी.एस.मालाथी | 41986 | 13364 | 55350 |

| अनुलग्नक - 1.18 प्रशासनिक पद धारण करने वाले और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) लेने वाले डॉक्टरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.4) | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|--|--|------------------------------|
| क्र.सं. | ज़ोनल रेलवे | डॉक्टरों का नाम और पदनाम | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भगतान की गई एनपीए की राशि (₹) | अवधि के दौरान डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारी को भगतान की गई डीए की राशि (₹) | कुल राशि (कॉलम 4+कॉलम 5) (₹) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | परे | एसडीआरएच वलसाड | | | |
| | | डॉ. मोहआ हलदर | 886600 | 1689097 | 2575697 |
| 16 | आरपीयू | आरपीयू | 2274500 | 171951 | 2446451 |
| | | बीएलडब्ल्यू | | | |
| | | डॉ. देवेश कुमार | 150100 | | 150100 |
| | | डॉ. ज्ञानेंद्र मोहन | 38600 | | 38600 |
| | | डॉ. पीतांबर प्रसाद | 115800 | | 115800 |
| | | डॉ. शंकर सिंह | 135100 | | 135100 |
| | | डॉ. सुजीत मल्लिक | 242300 | | 242300 |
| | | केजीएच, सीएलडब्ल्यू | | | |
| | | डॉ. अभिजीत संतरा | 212300 | | 212300 |
| | | डॉ. आर.के.मुखर्जी | 160800 | | 160800 |
| | | मेट्रो रेलवे | | | |
| | | डॉ. मिहिर कुमार चौधरी | 785800 | 72167 | 857967 |
| | | डॉ.अमिताव दत्ता | 366700 | 88394 | 455094 |
| | | मिहिर कुमार चौधरी | 67000 | 11390 | 78390 |
| | | कुल योग | 151472358.00 | 39526998.60 | 190999356.60 |

| अनुलग्नक - 1.19 2017-18 से 2021-22 के दौरान अवमानक औषधियों का विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.5) | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------|
| क्र.सं. | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | अवमानक औषधियों की संख्या | उस अस्पताल का नाम जहां फर्म द्वारा आपूर्ति की गई अवमानक औषधियां नहीं बदली गई हैं। | |
| | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मरे | 18 | मरे | मरे |
| | केंद्रीय अस्पताल भायखला | 16 | मंडलीय अस्पताल कल्याण | पूतरे |
| | मंडलीय अस्पताल कल्याण | 2 | | पूमरे |
| | | | | पूरे |
| 4 | पूरे | 23 | पूरे | उमरे |
| | एसडीआरएच- अंडाल | 4 | बीआर सिंह हॉस्पिटल | उपूरे |
| | मंडल रेलवे अस्पताल/एचडब्ल्यूएच | 12 | डीआरएच/एचडब्ल्यूएच | पूसीरे |
| | बीआर सिंह अस्पताल, एसडीएच | 7 | | उरे |
| | | | | उपरे |
| 6 | उपूरे | 5 | उपूरे | दमरे |
| | एलएनएमआरएच गोरखपुर | 4 | मंडल. अस्पताल/आईजेडएन | दपूमरे |
| | डीआरएच इज्जतनगर | 1 | | दपूरे |
| | | | | दरे |

| अनुलग्नक - 1.19 2017-18 से 2021-22 के दौरान अवमानक औषधियों का विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.5) | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------|
| क्र.सं. | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | अवमानक औषधियों की संख्या | उस अस्पताल का नाम जहां फर्म द्वारा आपूर्ति की गई अवमानक औषधियां नहीं बदली गई हैं। | |
| | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | पूसीरे | 20 | पूसीरे | दपरे |
| | सीएच/मालीगांव | 11 | एसडीआरएच/एनजेपी | पमरे |
| | एसडीआरएच/एनजेपी | 9 | | परे |
| 8 | उरे | 3 | | आरपीयू |
| | एनआरसीएच/दिल्ली | 1 | | |
| | आरडीएसओ/एलकेओ | 2 | | |
| 9 | उपरे | 0 | एन ए | एन ए |
| 10 | दमरे | 7 | | |
| | एसडीएच/आरवाईपीएस | 1 | एन ए | एन ए |
| | सीएच/एलजीडी | 6 | एन ए | एन ए |
| 11 | दपूमरे | 0 | एन ए | एन ए |

| अनुलग्नक - 1.19 2017-18 से 2021-22 के दौरान अवमानक औषधियों का विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.5) | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|
| क्र.सं. | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | अवमानक औषधियों की संख्या | उस अस्पताल का नाम जहां फर्म द्वारा आपूर्ति की गई अवमानक औषधियां नहीं बदली गई हैं। | डिफॉल्ट औषधियों की आपूर्ति करने वाली ब्लैकलिस्टेड फर्मों पर अंकुश लगाने के लिए ज़ोनल रेलवे द्वारा कोई तंत्र नहीं अपनाया गया था। |
| | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | | | |
| 12 | दुपरे | 13 | | |
| | डीआरएच/खड़गपुर | 11 | एन ए | एन ए |
| | सीएच/जीआरसी | 2 | एन ए | एन ए |
| 13 | दरे | 4 | दरे | |
| | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 1 | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | एन ए |
| | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | 1 | एन ए | एन ए |
| | मंडलीय अस्पताल/पोनमलाई | 1 | एन ए | एन ए |
| | रेलवे अस्पताल/इंटीगल कोच फैक्ट्री/पेरम्बूर | 1 | एन ए | एन ए |
| 14 | दुपरे | 0 | एन ए | एन ए |
| | | | | |
| 15 | पमरे | 1 | | |

| अनुलग्नक - 1.19 2017-18 से 2021-22 के दौरान अवमानक औषधियों का विवरण (पैरा संदर्भ: 1.9.3.5) | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|
| क्र.सं. | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | अवमानक औषधियों की संख्या | उस अस्पताल का नाम जहां फर्म द्वारा आपूर्ति की गई अवमानक औषधियां नहीं बदली गई हैं। | डिफॉल्ट औषधियों की आपूर्ति करने वाली ब्लैकलिस्टेड फर्मों पर अंकुश लगाने के लिए ज़ोनल रेलवे द्वारा कोई तंत्र नहीं अपनाया गया था। |
| | उन अस्पतालों के नाम जहां अवमानक औषधियों की आपूर्ति की गई | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | डीआरएच/बीपीएल | 1 | एन ए | एन ए |
| 16 | परे | 6 | | |
| | डीआरएच/आरटीएम | 1 | एन ए | एन ए |
| | कार्यशाला दाहोद | 1 | एन ए | एन ए |
| | जेआरएच/एमएमसीटी | 1 | एन ए | एन ए |
| | डीआरएच/वीआरटीएन/बीआरसी | 3 | एन ए | एन ए |
| 17 | आरपीयू | 15 | | |
| | सीएच/बीएलडब्ल्यू/वाराणसी | 2 | एन ए | एन ए |
| | केजी अस्पताल /सीएलडब्ल्यू | 3 | एन ए | एन ए |
| | टीएसएमएच | 10 | एन ए | एन ए |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| | अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मरे | | | मरे | | |
| | मुंबई - मंडलीय अस्पताल कल्याण | 52 | 2852 | मुंबई - मंडलीय अस्पताल कल्याण | 1 | 63 |
| | आंचलिक - केंद्रीय अस्पताल बायकुला | 428 | 750 | | 0 | 0 |
| 2 | पूतरे | | | पूतरे | 0 | 0 |
| | सीएच/एमसीएस | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | डीआरएच/डब्ल्यूएटी | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | पूमरे | | | पूमरे | | |
| | डीआरएच/दानापुर | 132 | 1434.668 | डीआरएच/दानापुर | 1 | 33.5 |
| 4 | पूरे | | | पूरे | 0 | 0 |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | | | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | |
| | अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | बीआर सिंह अस्पताल, एसडीएच | 25 | 1488 | 0 | 0 | 0 |
| | मंडल रेलवे अस्पताल एचडब्ल्यूएच | 80 | 5970 | | | |
| 5 | उमरे | | | उमरे | | |
| | केंद्रीय अस्पताल | 63 | 4375 | केंद्रीय अस्पताल | 4 | 125 |
| | डीआरएच, आगरा | 88 | 1208.873 | | | |
| | एसडीएच, सीएनबी | 35 | 349 | | | |
| 6 | उपूरे | | | उपूरे | | |
| | डीआरएच/आईजेडएन | 154 | 568.188 | डीआरएच/आईजेडएन | 3 | 198.159 |
| | एलएनएम आरएच जीकेपी | 324 | 5186.075 | एलएनएम आरएच जीकेपी | 2 | 480.38 |
| | एसडीआरएच गोण्डा | 0 | 0 | एसडीआरएच गोण्डा | 17 | 28.56 |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| | अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | पूसीरे | | | पूसीरे | | |
| | सीएच/एमएलजी | 72 | 3061 | सीएच/एमएलजी | 10 | 311 |
| | डीआरएच/केआईआर | 49 | 453 | डीआरएच/केआईआर | 13 | 274 |
| | डीआरएच/एलएमजी | 20 | 511 | एसडीआरएच/बीपीबी | 6 | 23 |
| | एसडीआरएच/बीपीबी | 29 | 530 | एसडीआरएच/एनजेपी | 3 | 127 |
| | एसडीआरएच/एनजेपी | 113 | 505 | | | |
| 8 | उरे | | | उरे | | |
| | एनआरसीएच | 153 | 2577 | एनआरसीएच | 21 | 326 |
| | एनआरडीएच/डीएलआई | 5 | 302 | एनआरडीएच/एलकेओ | 6 | 198 |
| | एनआरडीएच/एलकेओ | 308 | 5115 | | | |
| | आरसीएफ/एचएसक्यू | 303 | 4949 | | | |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|--|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | | | | | |
| | आरडीएसओ | 218 | 1340 | | | |
| 9 | उपरे | | उपरे | | | |
| | सेंट्रल हॉस्पिटल/जयपुर | 90 | 4439 | | | |
| | डीआरएच/अजमेर | 87 | | डीआरएच/अजमेर | 211 | |
| 10 | दमरे | 0 | 0 | दमरे | 0 | |
| | 0 | | | 0 | | |
| 11 | दपूरे | | | दपूरे | | |
| | सीएच/रायपुर | 209 | 652 | सीएच/रायपुर | 229 | |
| | डीआरएच/रायपुर | 1174 | 5649 | | | |
| 12 | दपूरे | | | दपूरे | | |
| | डीआरएच/केजीपी | 2 | 224 | डीआरएच/केजीपी | 224 | |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| | अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | दरे | | | दरे | | |
| | मंडलीय अस्पताल/पालक्कड़ | 4 | 50 | मंडलीय अस्पताल/पालक्कड़ | 4 | 50 |
| | मंडलीय अस्पताल/पोनमलाई | 48 | 722 | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 1 | 4 |
| | स्वास्थ्य इकाई/तांबरम | 25 | 147 | | | |
| | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 33 | 2376 | | | |
| 14 | दपरे | | | दपरे | 0 | 0 |
| | आरएच/एमवाईएस | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | पमरे | | | पमरे | | |
| | सीएच जबलपुर | 8 | 61.87 | सीएच जबलपुर | 8 | 61.87 |
| | डीआरएच भोपाल | 101 | 1199.565 | डीआरएच भोपाल | 1 | 37.09 |
| | एसडीआरएच बीना | 51 | 217.81 | | | |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|-----------|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | परे | | | परे | | |
| | डीआरएच आरटीएम | 1240 | 9669.029 | | | |
| | जगजीवन राम पश्चिमी रेलवे अस्पताल | 1 | 1465.17 | डीआरएच पीआरटीएन | 88 | 316.40947 |
| | आरटीएम/डीएचडी कार्यशाला | 736 | 3151.73 | जगजीवन राम पश्चिमी रेलवे अस्पताल | 532 | 793.76 |
| | | | | उप-मंडलीय अस्पताल, वलसाड | 1 | 97.44 |
| 17 | आरपीयू | | | आरपीयू | | |
| | केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू | | | केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू | 54 | 108 |
| | टीएसएमएच/मेट्रो | 92 | 662 | टीएसएमएच/मेट्रो | 91 | 543 |
| 13 | दरे | | | दरे | | |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| | अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | 4 | 50 | मंडलीय अस्पताल/पलक्कड़ | 4 | 50 |
| | मंडलीय अस्पताल/पोनमलाई | 48 | 722 | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 1 | 4 |
| | स्वास्थ्य इकाई/तांबरम | 25 | 147 | | | |
| | रेलवे अस्पताल/पेरम्बूर | 33 | 2376 | | | |
| 14 | दपरे | | | दपरे | 0 | 0 |
| | आरएच/एमवाईएस | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | पमरे | | | पमरे | | |
| | सीएच जबलपुर | 8 | 61.87 | सीएच जबलपुर | 8 | 61.87 |
| | डीआरएच भोपाल | 101 | 1199.565 | डीआरएच भोपाल | 1 | 37.09 |
| | एसडीआरएच बीना | 51 | 217.81 | | | |
| 16 | परे | | | परे | | |

| अनुलग्नक - 1.20 अतिरिक्त पड़ी औषधियों और उनके निपटान का विवरण (संदर्भ पैरा: 1.9.3.6) | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|-----------|
| क्र.सं. | सरप्लस औषधियों की स्थिति | एक्सपायर हो चुकी औषधियों की स्थिति | | | | |
| अस्पताल का नाम | औषधियों की संख्या | औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | अस्पताल का नाम | कई औषधियाँ उनकी शेल्फ लाइफ समाप्त होने तक अप्राप्य थीं | अधिशेष औषधियों की लागत (आंकड़े '000 में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | डीआरएच आरटीएम | 1240 | 9669.029 | | | |
| | जगजीवन राम पश्चिमी रेलवे अस्पताल | 1 | 1465.17 | डीआरएच पीआरटीएन | 88 | 316.40947 |
| | आरटीएम/डीएचडी कार्यशाला | 736 | 3151.73 | जगजीवन राम पश्चिमी रेलवे अस्पताल | 532 | 793.76 |
| | | | | उप-मंडलीय अस्पताल, वलसाड | 1 | 97.44 |
| 17 | आरपीयू | | | आरपीयू | | |
| | केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू | | | केंद्रीय अस्पताल, बीएलडब्ल्यू | 54 | 108 |
| | टीएसएमएच/मेट्रो | 92 | 662 | टीएसएमएच/मेट्रो | 91 | 543 |

| अनुलग्नक -2.1 सभी रेलवे द्वारा किये गये नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैरा: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| विवरण | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूमरे | दपरे | परे | कुल |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| मंडल | 1. जेबीपी 2. भुसावल 3. बीपीएल | 1. मुंबई 2. भुसावल 3. पुणे | 1. एसडीए एच 2. एचड ब्ल्यूएच | 1. दानापुर 2. सोनपुर 3. समस्तीपुर | 1. खुरदा रोड 2. वाल्टेयर | 1. दिल्ली 2. फिरोजपुर 3. मुरादाबाद | 1. प्रयाग राज 2. आगरा | 1. वाराणसी 2. लखनऊ | 1. लुमडिंग 2. तिनसुकिया 3. कटिहार | 1. बीकानेर 2. जयपुर | 1. चेन्नई 2. त्रिवेन्द्रम 3. सलेम | 1. सिकंदराबाद 2. विजयवाड़ा 3. गुंतकल | 1. खड़गपुर 2. चक्रधरपुर | 1. बिलासपुर 2. रायपुर | 1. हुबली 2. अहमदाबाद 3. रतलाम | 1. मुंबई सेंट्रल 2. अहमदाबाद 3. रतलाम | 39 |

| अनुलग्नक- 2.1 सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|------|-----|-----|
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूमरे | दपूरे | दपरे | परे | कुल |
| इकाइयों के चयन के लिए मानक | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 50 प्रतिशत पार्सल स्टेशन, बशर्तें प्रत्येक मंडल पर न्यूनतम 7 स्टेशन जहां सभी नमूना मानकों को पूरा किया जा रहा है | 1. जेबीपी डिविजन 1. जेबीपी (एल) रीवा (एल) केटीई 4 केएमजेड 5 केटीईएस 5 रीवा (एल) केटीई 4 केटीईएस 5 डीएमओ 7 एसजीओ 8 एसटीए 9 केवाई 2 बीपीएल डिविजन 1 बीपीएल | 1. मुंबई मंडल 1. जेबीपी (एल) सीएसएमटी 2 एलटीटी 3 केवाईएन 4 वादीबंदर 5 शिवंडी 6 रोड 7 दादर 8 पनवेल 9 बीएसएल मंडल 10 नासिक 11 रोड 12 जलगांव 13 बीएसएल 14 एमएमआर 15 देवबाली 16 कटवा 17 केएनडब्ल्यू 18 | 1. एचडब्ल्यू एच मंडल 1. हावड़ा 2 बर्धमान 3 बंदेल 4 श्रीरामपुर 5 आरजेपीबी 6 डीएन 7 आर 8 अजीमगं 9 ज 10 रामपुरहाट 11 ट 12 नासिक 13 तारकेश्वर 14 र 15 मंडल 16 नलहटी 17 बोलपुर 18 एमएमआर 19 देवबाली 20 कटवा 21 केएनडब्ल्यू 22 | 1. डीएन आर मंडल 1. जेजे मंडल केआईएएल 2 ल 3 आरजेपीबी 4 डीएन 5 आर 6 आरजेपीबी 7 पीपीटीए 8 पीएनबीई 9 आरजेडी 10 एसपीजे 11 मंडल 12 1. एसपीजे मंडल 1. एसपीजे 2 एसपीजे 3 डीबीजी 4 जेवाईजी 5 एनकेई 6 | 1. केयूआर 1. केयूआर मंडल 2. बी.बी.एस मंडल 3. सीटीसी मंडल 4. पुरी मंडल 5. बीएसएम मंडल 6. पीएसए मंडल 7. टीएलएचआर मंडल 2. डब्ल्यूएटी मंडल 1. तीएसकेपी मंडल 2. वीजेएम मंडल 3. आरजेडीए मंडल 4. सीएचई मंडल 5. जेडीबी मंडल 6. पीवीपी मंडल 7. केआरपीयू मंडल | 1. एफजेडआर मंडल 1. एसवीडीके मंडल 2. यूएचपी मंडल 3. जेएटी मंडल 4. एसआर मंडल 5. जेयूसी मंडल 6. एलडीएच मंडल 7. एफजेडआर मंडल 2. एमबी मंडल 1. डीडीएन मंडल 2. वाईएन आरके मंडल 3. एच.डब्ल्यू मंडल 4. एलआरजे मंडल 5. एमबी मंडल 6. आरएमयू मंडल 7. बी.ई मंडल 3. दिल्ली मंडल 1. एमटीसी मंडल 2. डीईई मंडल 3. डीएलआई मंडल | 1. प्रयागराज मण्डल 1. सीएनबी मंडल 2. प्रयागराज मंडल 3. सीपीए मंडल 4. एएलजेएन मंडल 5. एमएनकेयू मंडल 6. ईटीडब्ल्यू मंडल 7. एमजेडपी मंडल 2. आगरा मण्डल 1. एजीसी मंडल 2. एफ मंडल 3. एमटीजे मंडल 4. एच मंडल 5. डीएचओ मंडल | 1. एलएमजी डिवी 1. जीएचवाई मंडल 2. केवाईकेयू मंडल 3. एलएमजी मंडल 4. एलकेए मंडल 5. डीएमवी मंडल 6. बीपीबी मंडल 7. एससीएल मंडल 8. डीएमआर मंडल 9. एजीटीएल मंडल 10. बीआरएलएफ मंडल 11. एचजेआई मंडल 12. केएसजे मंडल 1. डीबीआरजी मंडल 2. डीबीआरजी मंडल 3. एनटीएसके मंडल 4. एलईडीओ मंडल 5. एनएचके मंडल 6. एमएक्सएन मंडल 7. जे.टी.टी.एन मंडल 8. सीतापुर डिविजन मंडल 1. एनजेपी मंडल 2. केआईआर मंडल | 1. बीकेएन मंडल 1. बीकेएन मंडल 2. एचएसआर मंडल 3. एलकेए मंडल 4. जेटीजे मंडल 5. केपीडी मंडल 6. आरपीएम मंडल 7. टीबीएम मंडल 2. टीवीसी मंडल 1. केसीवीएल मंडल 2. टीवीसी मंडल 3. एनसीजे मंडल 4. सीएपीई मंडल 5. एडब्ल्यूवाई मंडल 6. ईआरएस मंडल 7. एलएलपी मंडल 3. एसए डिविजन मंडल 1. एसए मंडल 2. ईडी मंडल 3. टीयूपी मंडल 4. सीबीई मंडल 5. पीटीजे मंडल 6. एमटीपी मंडल | 1. केजीपी डिविजन मंडल 1. केजीपी मंडल 2. एमसीए मंडल 3. पीकेयू मंडल 2. सीकेपी मंडल 1. टाटा मंडल 2. सीकेपी मंडल 3. आरओयू मंडल 4. जेएसजी मंडल 5. बीबीएन मंडल 1. बीजेड मंडल 2. टीडीडी मंडल 3. एनजेडडी मंडल 4. आरजेवाई मंडल 5. ईई मंडल 6. एनएलआर मंडल 7. एसएलओ मंडल 3. जीटीएल मंडल 1. आरयू मंडल 2. जीटीएल मंडल 3. टीपीटीवाई मंडल 4. एडी मंडल 5. बीएमएच मंडल 6. एटीपी मंडल | 1. एसबीसी मंडल 1. एसबीसी मंडल 2. वाईपी आर मंडल 3. यूएसएल मंडल 4. सीपीएच मंडल 5. केआरबीएल मंडल 6. एसडीएल मंडल 7. एपीआर मंडल 2. आर मंडल 1. आर मंडल 2. दुर्ग मंडल | 1. एसबीसी मंडल 1. एसबीसी मंडल 2. वाईपी आर मंडल 3. यूएसएल मंडल 4. एसएस डीडीआर मंडल 5. पीएन मंडल 6. एचएस डीडीआर मंडल 7. एनएम मंडल 8. एसजी यूडीएन मंडल 9. आरएम मंडल 10. एनडीबी अहमदाबाद मंडल 1. वीएस एडीआई मंडल 2. यूबीएल मंडल | 1. मुंबई सेंट्रल मंडल 1. मुंबई सेंट्रल मंडल 2. वाईपी आर मंडल 3. बीएनसी मंडल 4. एसएस डीडीआर मंडल 5. पीएन मंडल 6. एचएस डीडीआर मंडल 7. एनएम मंडल 8. एसजी यूडीएन मंडल 9. आरएम मंडल 10. एनडीबी अहमदाबाद मंडल 1. वीएस एडीआई मंडल 2. यूबीएल मंडल | 16 | 17 | 251 | |

| अनुलग्नक- 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|----|----|---|---|-----------|-----------|----|----|----|--|----|----|--|
| सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण: | पंक्ति | मं | पू | पू | पू | पू | पू | उ | उ | उ | उ | द | द | द | कुल | | | |
| इकाइयों के चयन के लिए मामलों | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | (एल) 2. आरकेएम पी (एल) 3. ईटी 4. बीना 5. गुना 6 . एमडीडीपी 7. एसएच आरएन 3. कोटा (एल) | 7. एमआई 8. अकोला 3. पुणे मंडल 1. पुणे 2. मिराज 3. कोल्हापुर | 2. एसडीए च मंडला 1. सियालद ह 2. कोलका ता 3. नैहाटी | 5. एसएमआ ई 6. आरएक्सए ल 7. एसएचसी 3. एसईई मंडल 1. एसईई 2. एचजेपी 3. एमएफपी 4. बीजेयू 5. केजीजी 6. एनएनए 7. एमएनई | 4. एनडीएलएस 5. एनजेडएम 6. पीटीएन आर 7. एनवीटी | | | 3. एसजीयूजे 4. जेपीजी 5. केएनई 6. एमएलएफसी 7. आरएनआई 8. पीआरएनए 9. जेबीएन 10. बीओई आरएनवाई डिवीजन 01. अजारा (पीसीईटी) | | 7. केआरआर | 7. एचएक्स | | | | 3. बीएल जीएम 4. बीजेपी 5. बीएवाई जीआईएम 6. एचपीटी बी 7. जीडीजी 8. बीजीके 1. आरटीएम 2. आईएनडी बी 3. यूजेन 4. डीडब्ल्यू एक्स 5. एनएडी 6. एमडीएस 7. डीएडीएन | | | |

| अनुलग्नक- 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|-----|----|
| सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूतीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूरे | परे | कुल | |
| | 1. जेबीपी-06 2. बीपीएल-04 | 1. मुंबई-14 2. बीएसएल-01 3. पुणे-03 | 1. एसडीएच 2. च 3. 12325 4. 12319 5. 13165 6. 12377 7. 13141 8. 12525 9. 13147 10. 12987 11. 12383 12. 13161 13. 13169 | 1. डीएनआर-03 2. एसपीजे-01 3. एसईई-02 | केयूआर -3 (22859,12815,17015) डब्ल्यूएटी -2 (12727,20807) | 1. 11078 2. 12318 3. 12138 4. 12332 5. 12356 6. 12358 7. 12472 8. 19020 9. 18478 10. 12558 11. 12816 12. 12420 13. 14553 14. 12954 15. 12425 16. 12264 17. 12002 18. 12424 19. 20818 20. 14004 21. 12554 22. 12708 23. 12004 24. 14041 25. 12226 26. 22995 | 1) पीआरवाईजे-02 1. 11124 2) आगरा-02 1. 12178 2. 12547 | 1. वाराणसी-4 (12559,12334,11072,12168) 2. लखनऊ-4 (12533,12229,19040/38,15050) | 1. एलएमजी 1. 12346 2. 15613 3. 12514 4. 15603 5. 15611 6. 20501 2. टीएसके 1. 15909 2. 22504 3. 15933 3. केआईआर 1. 13034 2. 12378 | 1. बीकेएन-03 1. 22308 2. 14724 3. 12556 2) जेपी-04 1. (पीसीईटी एडब्ल्यू आर) 2. 12956 3. 19713 4. 19709 | 1) एमएसएस -07 2) टीवीसी-08 3) एसए-02 | 1. एससी-09 2. बीजेडए-05 3. जीटीएल-03 | 1. केजीपी डिजिटल 1. 12102 2. 12130 3. 12663 4. 12773 5. 12813 6. 12837 7. 12841 8. 12860 9. 12871 10. 12950 11. 15721 12. 22807 13. 22813 14. 22857 2. सीकेपी मंडल 1. 12814 | 1. बंगलुरु-13 2. हुबली-01 वाईपीआर, 18237 बीएसपी-एसआर 18234 बीएसपी-आईएनडीबी 12851 बीएसपी-एमएस आर मंडल 1. 18215 दुर्ग-जेटी 2. 15160 दुर्ग-सीपीआर 3. 12823 दुर्ग-एनजेडएम | 1. एमएमसी-टी-12 2. एडीआई-13 3. आरटीएम-6 | 16 | 17 |
| चयनित होने वाली ट्रेनों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | 225 | |

| अनुलग्नक- 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|------|-------|-----------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-----|----|----|----|
| सभी रैलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूरे | दपूरे | कुल | | | |
| इकाइयों के चयन के लिए मामलों | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | 13155 | | | 27. 12626 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | 28. 12270 | | | | | | | | | | | |
| | | | एचडब्ल्यू | | | 29. 12382 | | | | | | | | | | | |
| | | | एच | | | 30. 12418 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | 31. 12560 | | | | | | | | | | | |
| | | | 13071 | | | 32. 12314 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | 33. 12416 | | | | | | | | | | | |
| | | | 13009 | | | 34. 11078 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | | 35. 12138 | | | | | | | | | | | |
| | | | 12938 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53041 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13025 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12369 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12321 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12351 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15959 | | | | | | | | | | | | | | |

| अनुलग्नक- 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|
| सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण: | इकाइयों के चयन के लिए मानक | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूरे | दपूमरे | दपरे | परे | कुल | |
| नई ट्रेनों या विस्तारित ट्रेनों और सभी नई स्पेशल ट्रेनों की जांच की जाएगी | | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | नई ट्रेन - 1. 22437/22438 2. 14113/14114 विस्तारित ट्रेनें - 1. 22442/22441 2. 19663/19664 3. 14115/14116 4. 12547/12548 5. 22547/22548 6. 12179/12180 7. 12175/1217 6 8. 20975/20976 | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | 2017-18 - 20 2018-19 - 35 2019-20 - 34 2020-21 - 57 2021-22 - 52 | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | सभी विस्तारित ट्रेनों की जांच की जाएगी | 16 | 17 |

| अनुलग्नक- 2.1 सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|-----|-----|
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूमरे | दपरे | परे | कुल | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1. जेबीपी मंडल 1. जेबीपी (एल) 2. रीवा (एल) 3. केटीई 4. केएम जेड 5. केटीई एस 6. 7. 8. 9. 10. | 1. मुंबई मंडल 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 1. एचडब्ल्यू एच मंडल 1. हावड़ा मंडल 2. एलटीटी 3. केवाईएन 4. केएम वादीबंदर 5. भिवंडी 6. दादर 7. पनवेल 8. 9. 10. | 1. डीएन आर मंडल 1. जेजे 2. 3. केआईयू एल 4. डीएन आर जेपीबी 5. आरजीडीए 6. डीएन आर 7. 8. 9. 10. | 1. केयूआर 2. बीबीएस 3. सीटीसी 4. पुरी 5. बीएम 6. पीएसए 7. टीएलएचआर 8. डब्ल्यूएटी मण्डल 9. विएसकेपी 10. विजेडएम 11. आरजीडीए 12. सीएचई 13. जेडीबी 14. पीवीपी 15. केआरपीयू | 1. एफजेडआर मंडल 1. एसवीडीके 2. यूएचपी 3. जेएटी 4. एसआर 5. जेयूसी 6. एलडीएच 7. 8. एफजेडआर 9. एमबी मंडल 10. डीडीएन 11. वाईएन आरके 12. एच.डब्ल्यू 13. एलआरजे 14. एमबी मंडल 15. आरएमयू 16. बीई 17. दिल्ली मंडल 18. एमटीसी 19. डीईई 20. डीएलआई | 1. प्रयागराज मण्डल 1. सीएनबी 2. प्रयागराज 3. सीपीए 4. एएलजेएन 5. एमएनक्यू 6. ईटीडब्ल्यू 7. एमजेडपी 8. आगरा मण्डल 9. एजीसी 10. एफ 11. एफ 12. एमटीजे 13. एएच 14. डीएचओ | 1). वाराणसी मंडल. 1. प्रयागराज 2. रामबाग 3. आजमगढ़ 4. वाराणसी शहर 5. बलिया 6. बनारस 7. छपरा जं. 8. मऊ 9. गाजीपुर शहर 10. लखनऊ मंडल. 1. गोरखपुर, 2. बस्ती 3. गण्डा 4. तुलबल 5. ऐशबाग 6. लखनऊ 7. सीतापुर | एलएमजी डिवी 1. जीएचवाई 2. केवाईक्यू 3. एलएमजी आर 4. एलकेए 5. डीएमवी 6. बीपीबी 7. एससीएल 8. डीएमआर 9. एजीटीएल 10. बीआरएलएफ 11. एचजेआई 12. केएसजे टीएसके मंडल 1. डीबीआरटी 2. डीबीआरजी 3. एनटीएसके आर 4. एलईडीओ 5. एनएचके मंडल 6. आरएमयू 7. बीई 8. दिल्ली मंडल 9. एमटीसी 10. डीईई 11. डीएलआई | 1. बीकेएन मंडल 1. बीकेएन 2. एचएस आर 3. एलकेए 4. जेटीजे 5. केपीडी 6. आरपीएम 7. टीबीएम 8. डीबीआर 9. एजीटीएल 10. एच बीआरएलएफ 11. एचजेआई 12. केएसजे टीएसके मंडल 1. डीबीआरटी 2. डीबीआरजी 3. एनटीएसके आर 4. एलईडीओ 5. एनएचके मंडल 6. आरएमयू 7. बीई 8. दिल्ली मंडल 9. एमटीसी 10. डीईई 11. डीएलआई | 1. एमएस मंडल 1. एमएस 2. एजे 3. एमएस 4. जेटीजे 5. केपीडी 6. आरपीएम 7. टीबीएम 8. डीबीआर 9. एजीटीएल 10. एच बीआरएलएफ 11. एचजेआई 12. केएसजे टीएसके मंडल 1. डीबीआरटी 2. डीबीआरजी 3. एनटीएसके आर 4. एलईडीओ 5. एनएचके मंडल 6. आरएमयू 7. बीई 8. दिल्ली मंडल 9. एमटीसी 10. डीईई 11. डीएलआई | 1. एससी मंडल 1. एससी 2. एलपीजेएल 3. एचवाईबी 4. बीदर 5. डब्ल्यूएल 6. एमएलवाई 7. केएमटी 8. बीजेड 9. एमएलवाई 10. बीजेड 11. केसीवीएल 12. टीवीसी 13. एनसीजे 14. सीएपीई 15. एडब्ल्यूवाई 16. ईआरएस 17. एलएलपी 18. एसए 19. डिजिटल 20. एसए 21. इंडी 22. टीयूपी 23. सीबीई 24. एडब्ल्यू आर 25. सीकर | 1. बीएसपी मंडल 1. बीएसपी आरआईजी 2. यूएसएल 3. सीपीएच 4. सीपीएच के 5. वाईएन बीडीएस 6. एचएस डीआरडी 7. एपीआर 8. एपीआर मंडल 9. एपीआर मंडल 10. एपीआर मंडल 11. एपीआर मंडल 12. एपीआर मंडल 13. एपीआर मंडल 14. एपीआर मंडल 15. एपीआर मंडल 16. एपीआर मंडल 17. एपीआर मंडल 18. एपीआर मंडल 19. एपीआर मंडल 20. एपीआर मंडल 21. एपीआर मंडल 22. एपीआर मंडल 23. एपीआर मंडल 24. एपीआर मंडल 25. एपीआर मंडल | 1. एसबीसी मंडल 1. एसबीसी 2. वाईपी आर 3. बीएनसी 4. एसएस डीडीआर 5. पीएन 6. वाईएन बीडीएस 7. एचएस डीआरडी 8. एपीआर 9. एपीआर मंडल 10. एपीआर मंडल 11. एपीआर मंडल 12. एपीआर मंडल 13. एपीआर मंडल 14. एपीआर मंडल 15. एपीआर मंडल 16. एपीआर मंडल 17. एपीआर मंडल 18. एपीआर मंडल 19. एपीआर मंडल 20. एपीआर मंडल 21. एपीआर मंडल 22. एपीआर मंडल 23. एपीआर मंडल 24. एपीआर मंडल 25. एपीआर मंडल | 1. मुंबई सेंट्रल 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | कुल | 17 |
| ओवर कैरिड पार्सल की परीक्षण जांच की जानी है। | | | | | | | | | | | | | | | | | 251 |

| अनुलग्नक- 2.1 सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------|---|------|-------|--|------|-----------|-----------|--------|-------|--|-----|-----|
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूररे | दपूरे | दपरे | परे | कुल |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.बीना 5.गुना 6.एमडीडी पी 7.एसएच आरएन 3. कोटा (एल) | 7. एमआई 8. अकोला 3. पुणे मंडल 1. पुणे 2. मिराज 3.कोल्हापुर | 2. एसडीए च मंडला 1. सियालद ह 2. कोलका ता 3. नैहाटी | 5. एसएम आई 6. आरएक्स एल 7. एसएचसी 3. एसईई मंडल 1. एसईई 2. एचजेपी 3. एमएफपी 4. बीजेयू 5. केजीजी 6. एनएनए 7. एमएनई | | 4. एनडीएलएस 5. एनजेडएम 6. पीटीएन आर 7. एनवीटी | | | 3. एसजीयूजे 4. जेपीजी 5. केएनई 6. एमएलएफसी 7. आरएनआई 8. पीआरएनए 9. जेबीएन 10 बीओई | | 7. केआरआर | 7. एचएक्स | | | 3.बीएल जीएम 4.बीजेपी 5.बीएवाई जीआईएम 6.एचपीटी बी 7.जीडीजी 8.बीजीके 1. आरटीएम 2. आईएनडी बी 3. यूजेन 4. डीडब्ल्यू एक्स 5. एनएडी 6. एमडीएस 7. डीएडीएन | | |

| अनुलग्नक- 2.1 सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|-----|
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूमरे | दपरे | परे | कुल | |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| पार्सल अतिभारित मार्ग या आरंभिक/समाप्त स्थानों के 100 प्रतिशत ओवरलोड पार्सल की जाँच की जाएगी। | 1. जेबीपी मंडल 1. जेबीपी (एल) 2. रीवा (एल) 3. केटीई 4. केएम जेड 5. केटीई एस 6. दादर 7. पनवेल 2. बीएसएल मंडल 1. नासिक रोड 2. जलगांव 3. बीएसएल मंडल 1. बीएसएल (एल) 2. आरकेए मपी(एल) 3. ईटी | 1. मुंबई मंडल 1. सीएसएमटी 2. एलटीटी 3. केवाईएन 4. केएम वादीबांदर 5. भिवंडी रोड 6. दादर 7. पनवेल 2. बीएसएल मंडल 1. नासिक रोड 2. जलगांव 3. बीएसएल मंडल 1. बीएसएल (एल) 2. आरकेए मपी(एल) 3. ईटी | 1. एचडब्ल्यू एच मंडल 1. हावड़ा 2. बर्धमान 3. बंदेल 4. श्रीरामपुर 5. अजीमगंज 6. रामपुरहाट 7. तारकेश्वर 8. नलहटी 9. बोलपुर 10. देवलाली 6. कटवा केपनडब्ल्यू | 1. डीएन मंडल 1. जेजे 2. केआईयू 3. एल 4. आरजेपीबी 5. डीएन आर 5. पीपीटीए 6. पीपीटीए 7. आरजीडी 2. एसपीजे मंडल 1. तारकेश्वर मंडल 1. एसपीजे मंडल 2. डीबीजी 3. जेवाईजी 4. एनकेई | 1. केयूआर 2. बीबीएस 3. सीटीसी 4. पुरी 5. बीएम 6. पीएसए 7. टीएलएचआर डब्ल्यूएटी मण्डल 1. विएसकेपी 2. विजेडएम 3. आरजीडीए 4. सीएचई 5. जेडीबी 6. पीवीपी 7. केआरपीयू | 1. एफजेडआर मंडल 1. एसवीडीके 2. यूएचपी 3. जेएटी 4. एसआर 5. जेयूसी 6. एलडीएच 7. एफजेडआर मंडल 2. एमबी मंडल 1. डीडीएन 2. वाईएन आरके 3. एच.डब्ल्यू 4. एलआरजे 5. एमबी मंडल 6. आरएमयू 7. बीई 3. दिल्ली मंडल 1. एमटीसी 2. डीईई 3. डीएलआई | 1. प्रयागराज मण्डल 1. सीएनबी 2. प्रयागराज 3. सीपीए 4. एएलजेएन 5. एमएनक्यू 6. ईटीडब्ल्यू 7. एमजेडीपी 2. आगरा मण्डल 1. एजीसी 2. एफ 3. एमटीजे 4. एएच 5. डीएचओ | 1). वाराणसी मंडल. 1. प्रयागराज 2. रामबाग 3. आजमगढ़ 4. वाराणसी शहर 5. बलिया 6. बनारस 7. छपरा जं. 8. मऊ 9. गाजीपुर शहर 2). लखनऊ मंडल. 1. गोरखपुर, 2. बस्ती 3. गण्डा 4. तुलवल 5. ऐशबाग 6. लखनऊ 7. सीतापुर | एलएमजी डिवी 1. जीएचवाई 2. केवाईक्यू 3. एलएमजी आर 4. एलकेए 5. डीएमवी 6. बीपीबी 7. एससीएल 8. डीएमआर 9. एजीटीएल 10. बीआरएलएफ एच 11. एचजेआई 12. केएसजे टीएसके मंडल 1. डीबीआरजी 2. डीबीआरजी 3. एनटीएसके आर 4. एलईडीओ 5. एनएचके मंडल 6. आरएमयू 7. बीई 3. दिल्ली मंडल 1. एमटीसी 2. डीईई 3. डीएलआई | 1. बीकेएन मंडल 1. बीकेएन 2. एचएस आर 3. बीएनडब्ल्यू 4. एलजीएच 5. आरटीजी 6. आरपीएम 7. टीबीएम 2. टीवीसी मंडल 1. केसीवीएल 2. टीवीसी 3. एनसीजे 4. सीएपीई 5. एडब्ल्यूवाई 6. ईआरएस 7. एलएलपी 3. एसए डिविजन 1. एसए मंडल 2. जेपी मंडल 1. जे.पी 2. आई.टी.एन 3. आईआर 4. डिविजन 1. एनजेपी आर 4. सीकर | 1. एससी मंडल 1. एससी 2. एलपीजेएल 3. एचवाईबी 4. बीदर 5. डब्ल्यूएल 6. एमएलवाई 7. केएमटी 2. बीजेडए मंडल 1. बीजेडए 2. टीडीडी 3. एनजेडडी 4. आरजेवाई 5. ईई 6. एनएलआर 7. एसएलओ 3. जीटीएल मंडल 1. आरयू 2. जीटीएल 3. टीपीटीवाई 4. एडी 5. बीएमएच 6. एटीपी | 1. केजीपी डिविजन 1. केजीपी 2. एससीए 3. पीकेयू 2. सीकेपी मंडल 1. टाटा 2. सीकेपी 3. आरओयू 4. जेएसजी 5. बीबीएन 7. एपीआर 2. आर मंडल 1. आर 2. दुर्ग | 1. बीएसपी मंडल 1. बीएसपी आरआईजी 2. आरआईजी 3. यूएसएल 4. सीपीएच 5. केआरबीए 6. एसडीएल 7. एपीआर 2. आर मंडल 1. आर 2. दुर्ग | 1. एसबीसी मंडल 1. एसबीसी 2. वाईपी आर 3. बीएनसी 4. एसएस डीडीआर 5. वाईएन पीएन 6. एचएस डीडीआर 7. एनएम आर 8. एसजी यूडीएन 9. आरएम एनडीबी 10. बीएनडी अहमदाबाद 2. यूबीएल मंडल 1. टीएस एडीआई 2. यूबीएल एमएसएच | 1. मुंबई सेंट्रल 1. एसबीसी 2. वाईपी आर 3. बीएनसी 4. एसएस डीडीआर 5. वाईएन पीएन 6. एचएस डीडीआर 7. एनएम आर 8. एसजी यूडीएन 9. आरएम एनडीबी 10. बीएनडी अहमदाबाद 2. यूबीएल मंडल 1. टीएस एडीआई 2. यूबीएल एमएसएच | 1. मुंबई सेंट्रल 1. एसबीसी 2. वाईपी आर 3. बीएनसी 4. एसएस डीडीआर 5. वाईएन पीएन 6. एचएस डीडीआर 7. एनएम आर 8. एसजी यूडीएन 9. आरएम एनडीबी 10. बीएनडी अहमदाबाद 2. यूबीएल मंडल 1. टीएस एडीआई 2. यूबीएल एमएसएच | 251 |

| अनुलग्नक- 2.1 सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|-------|---|------|-------|---|------|-----------|-----------|--------|-------|--|-----|-----|
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूररे | दपूरे | दपरे | परे | कुल |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.बीना 5.गुना 6.एमडीडी पी 7.एसएच आरएन 3. कोटा (एल) | 7. एमआई 8. अकोला 3. पुणे मंडल 1. पुणे 2. मिराज 3.कोल्हापुर | 2. एसडीए च मंडला 1. सियालद ह 2. कोलका ता 3. नैहाटी | 5. एसएम आई 6. आरएक्स एल 7. एसएचसी 3. एसईई मंडल 1. एसईई 2. एचजेपी 3. एमएफपी 4. बीजेयू 5. केजीजी 6. एनएनए 7. एमएनई | | 4. एनडीएलएस 5. एनजेडएम 6. पीटीएन आर 7. एनवीटी | | | 3. एसजीयूजे 4. जेपीजी 5. केएनई 6. एमएलएफसी 7. आरएनआई 8. पीआरएनए 9. जेबीएन 10. बीओई | | 7. केआरआर | 7. एचएक्स | | | 3.बीएल जीएम 4.बीजेपी 5.बीएवाई जीआईएम 6.एचपीटी बी 7.जीडीजी 8.बीजीके 1. आरटीएम 2. आईएनडी बी 3. यूजेन 4. डीडब्ल्यू एक्स 5. एनएडी 6. एमडीएस 7. डीएडीएन | | |

| अनुलग्नक- 2.1 सभी रेलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूमरे | दपरे | परे | कुल | |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. जेबीपी मंडल | 1. मुंबई मंडल | 1. मुंबई मंडल | 1. एचडब्ल्यू एच मंडल | 1. डीएन आर मंडल | 1. केयूआर | 1. एफजेडआर मंडल | 1. प्रयागराज मण्डल | 1). वाराणसी मंडल. | एलएमजी डिवी | 1. बीकेएन मंडल | 1. एमएएस मंडल | 1. एससी मंडल | 1. बीएसपी मंडल | 1. एसबीसी मंडल | 1. एसबीसी मंडल | 1. मुंबई सेंट्रल | |
| 1. जेबीपी (एल) | 1. सीएसएम टी | 1. हावड़ा | 1. हवाड़ा | 1. जेएजे | 2. पुरी | 1. एसवीडीके | 2. प्रयागराज | 1. प्रयागराज | 2. केवाईक्यू | 2. एचएस आर | 2. एजे | 2. एलपीजेएल | 2. बीएसपी आरआईजी | 2. वाईपी आर | 2. वाईपी आर | एमएसटी | |
| 2. रीवा (एल) | 2. एलटीटी | 2. बर्धमान | 2. बर्धमान | 2. केआईयू एल | 3. पीएसए | 2. यूएचपी | 3. सीपीए | 2. रामबाग | 3. एलकेए | 3. एचएस आर | 3. एमएएस | 3. एचवाईबी | 3. पीकेयू | 3. बीएनसी | 3. बीएनसी | टी | |
| 3. केटीई | 3. केटीई | 3. बंदेल | 3. बंदेल | 3. आरजेपीबी | 7. टीएलएचआर | 3. जेएटी | 4. एलजेएन | 3. आजमगढ़ | 5. डीएमवी | 4. जेटीजे | 4. जेटीजे | 4. बीदर | 2. सीकेपी मंडल | 4. एसएस डीडीआर | 4. एसएस डीडीआर | 2. | |
| 4. केएम जेड | 4. केएम जेड | 4. केवाईएन | 4. श्रीरामपुर | 4. डीएन आर | डब्ल्यूएटी मण्डल | 4. एसआर | 5. एमएनक्यू | 4. वाराणसी शहर | 6. बीपीबी | 5. डब्ल्यूएल | 5. केपीडी | 5. डब्ल्यूएल | 4. सीपीएच | 4. एसएस डीडीआर | 4. एसएस डीडीआर | 3. | |
| 5. केटीई एस | 5. केटीई एस | 5. शिवंदी | 5. श्रीरामपुर | 5. डीएन आर | 1. विएसकेपी | 5. जेयूसी | 6. ईटीडब्ल्यू | 5. बलिया | 7. एमजेडपी | 6. आरपीएम | 7. टीबीएम | 7. केएमटी | 5. केआरबीए | 5. वाईएन बीडीटीएस | 5. वाईएन बीडीटीएस | 4. | |
| 6. डीएमओ | 6. डीएमओ | 6. रोड | 6. रामपुरहाट | 6. पीपीटीए | 2. विजेडएम | 6. एलडीएच | 7. एमजेडपी | 6. बनारस | 8. डीएमआर | 7. टीबीएम | 2. सीकेपी | 2. सीकेपी | 6. एसडीएल | 6. एचएस डीआरडी | 6. एचएस डीआरडी | 5. वापी | |
| 7. एसजीओ | 7. एसजीओ | 7. पनवेल | 7. तापकेश्वर | 7. पीएनबीई | 3. आरजीडीए | 7. एलडीएच | 2. आगरा मण्डल | 7. छपरा जं. | 9. एजीटीएल | 2. टीवीसी | 2. टीवीसी | 2. बीजेडए | 7. एपीआर | 7. एनएम | 7. एनएम | 6. बीएल | |
| 8. एसटीए | 8. एसटीए | 8. बीरसएल | 8. नलहटी | 8. आरजीडी | 4. सीएचई | 2. एमबी मंडल | 1. एजीसी | 8. मऊ | 10. बीआरएलएफ | 1. केसीवीएल | 1. केसीवीएल | 1. बीजेडए | 2. आर | 2. आर | 2. आर | 7. | |
| 9. केवाई | 9. केवाई | 9. बोलपुर | 9. बोलपुर | 9. एसपीजे | 6. पीवीपी | 1. डीडीएन | 2. एफ | 9. गाजीपुर शहर | 11. एचजेआई | 3. एनसीजे | 3. एनसीजे | 3. एनजेडडी | 1. आर | 8. एसजी | 8. एसजी | 8. एसटी | |
| 2. बीपीएल मंडल | 2. बीपीएल मंडल | 10. कटवा | 10. कटवा | 10. मंडल | 7. केआरपीयू | 2. वाईएन आरके | 4. एच | 2). लखनऊ मंडल. | 12. केएसजे | 5. एडब्ल्यूआई | 4. सीएपीई | 5. ईई | 2. दुर्ग | 9. आरएम | 9. आरएम | 9. | |
| 1. बीपीएल मंडल | 1. बीपीएल मंडल | 2. जलगांव | 2. जलगांव | 2. डीबीजी | 3. आरएमयू | 3. एच.डब्ल्यू | 5. डीएचओ | 1. गोरखपुर, 2. बस्ती | 1. डीबीआरजी | 6. ईआरएस | 6. ईआरएस | 6. एनएलआर | 7. एसएलओ | 10. बीएनडी | 10. बीएनडी | 2. अहमदाबा | |
| 2. आरकेए (एल) | 2. आरकेए (एल) | 3. सिवालदह | 3. सिवालदह | 3. जेवाईजी | 7. बीई | 4. एलआरजे | 6. आरएमयू | 5. एनएचके | 7. जे.टी.टी.एन | 7. एलएलपी | 3. एसए | 3. जीटीएल | 2. यूपीएल | 1. तीएस | 1. तीएस | 1. | |
| 3. ईटी | 3. ईटी | 4. एमएम आर | 4. एमएम आर | 4. एनकेई | 3. दिल्ली मंडल | 5. एमबी | 7. बीई | 6. लखनऊ | केआईआर | 2. आई | 4. सीबीई | 4. एडी | जी | 2. यूपीएल | 2. यूपीएल | 2. | |

| अनुलग्नक- 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|-------|---|------|-------|---|------|------------------------|------|--------|-------|--|-----|-----|
| सभी रैलवे द्वारा किए गए नमूना चयन की सूची (संदर्भ पैराग्राफ: 2.4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विवरण: | पमरे | मरे | पूरे | पूमरे | पूतरे | उरे | उमरे | उपूरे | पूसीरे | उपरे | दरे | दमरे | दपूररे | दपूरे | दपरे | परे | कुल |
| इकाइयों के चयन के लिए मानदंड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.बीना 5.गुना 6.एमडीडी पी 7.एसएच आरएन 3. कोटा (एल) | 5. देवलाही 6. केएनड ब्ल्यू 7. एसएमआई 8. अकोला 3. पुणे मंडल 1. पुणे 2. मिराज 3. कोल्हापुर | 2. कोलकाता 3. नैहाटी | 5. एसएम आई 6. आरएक्स एल 7. एसएचसी 3. एसईई मंडल 1. एसईई 2. एचजेपी 3. एमएफपी 4. बीजेयू 5. केजीजी 6. एनएनए 7. एमएनई | | 1. एमटीसी 2. डीईई 3. डीएलआई 4. एनडीएलएस 5. एनजेडएम 6. पीटीएन आर 7. एएनवीटी | | | 3. एसजीयूजे 4. जेपीजी 5. केएनई 6. एमएलएफसी 7. आरएनआई 8. पीआरएनए 9. जेबीएन 10. बीओई | | 7. केआरआर 7. एचएक्स | | | | 3.बीएल जीएम 4.बीजेपी 5.बीएवाई जीआईएम 6.एचपीटी बी 7.जीडीजी 8.बीजीके 1. आरटीएम 2. आईएनडी बी 3. यूजेन 4. डीडब्ल्यू एक्स 5. एनएडी 6. एमडीएस 7. डीएडीएन | | |

| अनुलग्नक - 2.2 पार्सल स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं का विवरण (संदर्भ पैरा: 2.6.3.1 और 2.6.3.3) | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| क्र.सं. | जोनल रेलवे का नाम | उन स्टेशनों की संख्या जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां कोई पार्सल पैकिंग सुविधा आउटसोर्स की गई है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पार्सल स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग सुविधाजनक नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां कोई पार्सल स्टेशन के लिए कोई नया प्लेटफार्म/नई लाइनें उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां कोई व्यापारी/पट्टा धारक/कुली कमरा उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पट्टा धारकों/निजी ऑपरेटरों के लिए कोई स्टैकिंग क्षेत्र उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां आवक/जावक पार्सल के लिए कोई कवर्ड शेड उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पीएमएस टर्मिनल उपलब्ध नहीं है |
| 1 | मरे | 7 | 13 | 10 | 9 | 15 | 18 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | पूतरे | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | पूमरे | 10 | 13 | 12 | 5 | 14 | 12 | 13 | 9 | 8 |
| 4 | पूरे | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| 5 | उमरे | 6 | 8 | 5 | 5 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 6 | उपूरे | 8 | 12 | 7 | 9 | 15 | 15 | 9 | 5 | 13 |
| 7 | पूसीरे | 15 | 27 | 12 | 14 | 26 | 23 | 21 | 16 | 18 |
| 8 | उरे | 12 | 19 | 5 | 5 | 21 | 20 | 7 | 7 | 3 |
| 9 | उपरे | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 2 | 8 |
| 10 | दमरे | 8 | 7 | 4 | 0 | 17 | 13 | 11 | 7 | 7 |
| 11 | दपूमरे | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | दपूरे | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | दरे | 8 | 18 | 12 | 8 | 20 | 19 | 17 | 8 | 9 |

| अनुलग्नक - 2.2 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| पार्सल स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं का विवरण (संदर्भ पैरा: 2.6.3.1 और 2.6.3.3) | | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | जोनल रेलवे का नाम | उन स्टेशनों की संख्या जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां कोई पार्सल पैकिंग सुविधा आउटसोर्स की गई है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पार्सल स्टेशन के लिए पहुंच मार्ग सुविधाजनक नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां स्केनर/एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पार्सल लोडिंग के लिए कोई नया प्लेटफार्म/नई लाइनें उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां कोई व्यापारी/पट्टा धारक/कुली कमरा उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पट्टा धारकों/निजी ऑपरेटरों के लिए कोई स्टैकिंग क्षेत्र उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां आवक/जावक पार्सल के लिए कोई कवर्ड शेड उपलब्ध नहीं है | उन स्टेशनों की संख्या जहां पीएमएस टर्मिनल उपलब्ध नहीं है |
| 14 | दपरे | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 15 | पमरे | 11 | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 15 | 13 | 8 | 9 |
| 16 | परे | 11 | 15 | 9 | 3 | 21 | 19 | 20 | 17 | 7 | 10 |
| | कुल | 113 | 180 | 100 | 73 | 225 | 219 | 212 | 167 | 97 | 117 |

| अनुलग्नक - 2.3 रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन नीति का वृहद विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ: 2.6.5) | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|
| क्षेत्रीय रेलवे | क्या रेलवे ने पार्सल क्षेत्र को कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के लिए खोल दिया है, जिससे राष्ट्रीय सीईपी (कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल) बाजार में भारे की हिस्सेदारी में भारी उछाल आये | क्या पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है | क्या पीसीईटी के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर निदेशक माल विपणन और निदेशक (समयपालन) वाली स्थायी समिति का गठन किया गया है | क्या पीसीईटी के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित जोनल रेलवे के सीसीएम/एफएम और सीटीपीएम शामिल हैं | क्या प्रस्ताव को गंतव्य जोनल रेलवे और सभी रास्ते वाले जोनल रेलवे द्वारा सात दिनों के भीतर स्वीकार कर लिया गया है | क्या रेलवे बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे दी हैं | क्या विशेष रूप से ई-कॉमर्स जैसे बढ़ते क्षेत्रों में पार्सल सेवा की पेशकश का विस्तार करने के लिए डोर टू डोर कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए गए हैं |
| मरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| पूतरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| पूमरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| पूरू | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| उमरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| उपूरू | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| पूसीरे | एन | एन | वाइ | वाइ | एन | एन | एन |
| उरे | एन | वाइ | एन | वाइ | वाइ | वाइ | एन |
| उपरे | एन | एन | एन | वाइ | एन | एन | एन |
| दमरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| दपूमरे | एन | वाइ | एन | एन | एन | एन | एन |
| दपूरू | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |

अनुलग्नक - 2.3

रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन नीति का वृहद विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण
(संदर्भ पैराग्राफ: 2.6.5)

| क्षेत्रीय रेलवे | क्या रेलवे ने पार्सल क्षेत्र को कंटेनर ट्रेन ऑपरटर के लिए खोल दिया है, जिससे राष्ट्रीय सीईपी (कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल) बाजार में भारे की हिस्सेदारी में भारी उछाल आये | क्या पार्सल की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है | क्या पीसीईटी के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर निदेशक माल विपणन और निदेशक (समयपालन) वाली स्थायी समिति का गठन किया गया है | क्या पीसीईटी के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के सीसीएम/एफएम और सीटीपीएम शामिल हैं | क्या प्रस्ताव को गंतव्य जोनल रेलवे और सभी रास्ते वाले जोनल रेलवे द्वारा सात दिनों के भीतर स्वीकार कर लिया गया है | क्या रेलवे बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे दी हैं | क्या विशेष रूप से ई-कॉमर्स जैसे बढ़ते क्षेत्रों में पार्सल सेवा की पेशकश का विस्तार करने के लिए डोर टू डोर कनेक्टिविटी के लिए प्रयास किए गए हैं |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|---|
| दरे | एन | एन | वाई | वाई | वाई | वाई | एन |
| दपरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| पमरे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |
| परे | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन |

नोट: हां/वाई को छोड़कर एनएपी, शून्य, संबंधित नहीं और अन्य शब्दों को 'नहीं/(एन)' माना गया है।

| अनुलग्नक - 2.4 ओवर कैरिज पार्सल ले जाने के कारण राजस्व की हानि दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ पैराग्राफ: 2.6.7) | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| ज़ोनल रेलवे | पैकेजों की कुल संख्या | ओवर कैरिड के लिए आने-जाने की कुल दूरी | ओवर कैरिड पार्सल का कुल वजन (किलो में) | ओवर कैरिज के कारण माल डुलाई का कुल नुकसान (₹) | |
| मरे | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| पूलरे | 37057 | 1800879 | 752918 | 1894636.00 | |
| पूमरे | 6897 | 900578 | 338755 | 1059748.43 | |
| पूरे | 18732 | 1464114.64 | 255165.35 | 1661531.00 | |
| उमरे | 946 | 77992 | 40150 | 82424.88 | |
| उपूरे | 10706 | 983860 | 640664 | 1250032.68 | |
| पूसीरे | 20100 | 2177848 | 1057960 | 2657000.00 | |
| उरे | 10739 | 1295190.46 | 551611 | 1064437.17 | |
| उपरे | 1745 | 536903 | 98950 | 251401.00 | |
| दमरे | 6930 | 1126490 | 320763.41 | 945776.30 | |
| दपूमरे | 14976 | 1568118 | 748800 | 1207900.74 | |
| दपूरे | 1561 | 0 | 96937.2 | 587387.48 | |
| दरे | 8149 | 1466168 | 436720 | 902980.58 | |
| दपरे | 4729 | 1265358 | 284300 | 941893.00 | |
| पमरे | 3509 | 1168104 | 139630.28 | 703718.30 | |
| परे | 7727 | 432191.44 | 39250 | 590086.00 | |
| कुल | 154503 | 16263794.54 | 5802574.24 | 15800953.57 | |
| | | | | | मान लीजिए ₹ 1.58 करोड़ |



संकेताक्षर

संकेताक्षर

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|---------------|-------------------------------|
| एसीएमएस | अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक |
| एडीआई | अहमदाबाद |
| एडीएमओ | सहायक मंडलीय चिकित्सा अधिकारी |
| एएफ | आगरा फोर्ट |
| एजीसी | आगरा कैंट |
| एएलजेएन | अलीगढ जंक्शन |
| एएलएलपी | अल्लेप्पी |
| एएनवीटी | आनंद विहार टर्मिनल |
| एएसआर | अमृतसर जंक्शन |
| एजेडए | अज़ारा |
| बीडीयू | व्यवसाय विकास इकाई |
| बीकेएन | बीकानेर जंक्शन |
| बीएलडब्लू | बनारस लोकोमोटिव वर्क्स |
| बीएनडब्लू | भिवानी |
| बीओडी | निदेशक मंडल |
| बीपीएल | भोपाल जंक्शन |
| बीएसपी | बिलासपुर जंक्शन |
| बीजेडए | विजयवाड़ा |
| सीएपीई | कन्याकुमारी |
| सीबीई | कोयंबटूर जंक्शन |
| सीसीएम | मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक |
| सीसी | वहन क्षमता |
| सीसीटीवी | क्लोड सर्किट टेलीविज़न |
| सीईपी | कूरियर, एक्सप्रेस और पार्सल |
| सीजीएचएस | केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना |
| सीएच | केंद्रीय अस्पताल |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|----------------|--------------------------------------|
| सीएचडी | मुख्य स्वास्थ्य निदेशक |
| सीएचआई | मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक |
| सीएलडब्ल्यू | चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स |
| सीओआई | छिवकी |
| सीपी | चितपुर |
| सीपीए | कानपुर अनवरगंज |
| सीपीसी | कानपुर सेंट्रल गुड्स शेड |
| सीपीएलपी | व्यापक पार्सल पट्टा पॉलिसी |
| सीपीएमएस | पार्सल प्रबंधन प्रणाली का कमिश्निंग |
| सीआर (मरे) | मध्य रेलवे |
| सीआरआईएस | रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र |
| सीएसएमटी | छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई |
| सीटीपीएम | मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक |
| डीबीआरजी | डिब्रूगढ़ |
| डीडीएन | देहरादून |
| डीईई | दिल्ली सराय रोहिल्ला |
| डीएफ | विकास निधि |
| डीएलआई | दिल्ली |
| डीएमओ | मंडलीय चिकित्सा अधिकारी |
| डीआरएफ | मूल्यहास आरक्षित निधि |
| डीआरएच | मंडलीय रेलवे अस्पताल |
| डीआरएम | मंडल रेल प्रबंधक |
| ईसीआर (पूमरे) | पूर्व मध्य रेलवे |
| ईसीओआर (पूतरे) | पूर्व तटीय रेलवे |
| ईडी | इरोड जंक्शन |
| ईएनटी | कान, नाक और गला |
| ईओडीबी | व्यापार करने में आसानी |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|---------------|-----------------------------------|
| ईआर (पूरे) | पूर्व रेलवे |
| ईआरएस | एर्नाकुलम जंक्शन |
| ईटी | इटारसी |
| ईटीडब्ल्यू | इटवा जंक्शन |
| एफएम | माल-भाड़ा विपणन |
| एफएमसीजी | तेजी से बढ़ती हुई उपभोगता वस्तुएं |
| एफटीपी | फतेहपुर |
| एफजेडडी | फिरोजाबाद |
| एफजेडआर | फिरोजपुर कैंट |
| जीकेपी | गोरखपुर |
| जीएम | महाप्रबंधक |
| जीआरपी | राजकीय रेलवे पुलिस |
| जीएसटी | वस्तु एवं सेवा कर |
| जीटीएल | गुंटकल |
| एचआईसीसी | अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति |
| एचएमआईएस | अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| एचएसक्यू | हुसैनपुर |
| एचएसआर | हिसार |
| एचएसआरए | होसुर |
| एचडब्लू | हरिद्वार जंक्शन |
| एचडब्लूएच | हावड़ा |
| आईसीएफ | इंटीग्रल कोच फैक्ट्री |
| आईसीयू | गहन देखभाल इकाई |
| आईपीएस | एकीकृत पेट्रोल एवं लेखा प्रणाली |
| आईआर (भारे) | भारतीय रेल |
| आईआरसीए | भारतीय रेल सम्मेलन संघ |
| आईआरसीएम | भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|---------------|---|
| आईआरईपीएस | भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली |
| आईआरटीएम | भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान |
| आईआरएमएम | भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली |
| आईआरएमएस | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा |
| जेएटी | जम्मू तवी |
| जेबीपी | जबलपुर |
| जेपीपी | संयुक्त पार्सल उत्पाद |
| जेपीओ | संयुक्त प्रक्रिया आदेश |
| जेआरएच | जगजीवन राम जोनल अस्पताल, मुंबई सेंट्रल |
| केसीवीएल | कोचुवेलि |
| केआईआर | कटिहार जं. |
| केएमजेड | कटनी मुरवारा |
| केपीडी | काटपाडी जंक्शन |
| केआरआर | करूर |
| केवाईएन | कल्याण जं. |
| एलजीडी | लालागुड़ा |
| एलजीएच | लालगढ़ जंक्शन |
| एलएचबी | लिंगे हॉफमैन बुश |
| एलएलआरएच | लाला लाजपत राय अस्पताल, कपूरथला |
| एलएनएमआरएच | ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल, गोरखपुर |
| एलओए | स्वीकृति पत्र |
| एलएसएलआरडी | दिव्यांगों के लिए एलएचबी सीट-सह-सामान रेक |
| एमएसएस | एमजीआर चेन्नई सेंट्रल |
| एमबीबीएस | बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी |
| एमसीएफ | आधुनिक कोच फैक्ट्री |
| एमडी | चिकित्सा निदेशक |
| एमआईएस | प्रबंधन सूचना प्रणाली |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|----------------------|---|
| एमजेपी | मोहराजपुर |
| एमकेपी | मानिकपुर |
| एमएमसीटी | मुंबई सेंट्रल |
| एमएनक्यू | मैनपुरी जंक्शन |
| एमओएच एंड एफडब्लू | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| एमओआर (रेम) | रेल मंत्रालय |
| एमओयू | समझौता जापन |
| एमआर | रेल मंत्री |
| एमआर | मेट्रो रेलवे |
| एमएस | चेन्नई एग्मोर |
| एमएसएच | महेसाणा |
| एमटीजे | मथुरा जं. |
| एमडब्लू | मैरवा स्टेशन |
| एमजेडपी | मिर्जापुर जंक्शन |
| एनएबीएच | अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड |
| एनसीजे | नागरकोइल जंक्शन |
| एनसीआर (उमरे) | उत्तर मध्य रेलवे |
| एनडीएलएस | नई दिल्ली |
| एनइआर (उपूरे) | पूर्वोत्तर रेलवे |
| एनएफआर (पूसीरे) | पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे |
| एनजीसी | न्यू गुवाहाटी गुड्स शेड |
| एनएमजीए | नेलमंगला |
| एनओसी | अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| एनआर (उरे) | उत्तर रेलवे |
| एनआरसीएच | उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|--------------------|--------------------------------|
| एनआरडीएच | उत्तर रेलवे मंडलीय अस्पताल |
| एनआरपी- 2030 | राष्ट्रीय रेल योजना 2030 |
| एनटीईएस | राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली |
| एनडब्ल्यूआर (उपरे) | उत्तर पश्चिम रेलवे |
| एनजेडएम | हज़रत निज़ामुद्दीन |
| पीसीसीएम | प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक |
| पीसीईटी | पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन |
| पीसीओएम | प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक |
| पीइआर | पेराम्बुर |
| पीजी | निष्पादन की गारंटी |
| पीएमजीएस | प्रधानमंत्री गति शक्ति |
| पीएमएस | पार्सल प्रबंधन प्रणाली |
| पीएनयू | पालनपुर |
| पीओएस | खरीद आदेश |
| पीओएच | आवधिक मरम्मत |
| पीपीएमएस | प्रसार पार्सल प्रबंधन प्रणाली |
| पीपीपी | सरकारी निजी भागीदारी |
| पीआरएस | यात्री आरक्षण प्रणाली |
| पीआरवाईजे | प्रयागराज जंक्शन |
| पीटीएनआर | पटेल नगर |
| पीयूएस | उत्पादन इकाइयां |
| आरबी | रेलवे बोर्ड |
| आरसीएफ | रेल कोच फैक्ट्री |
| आरडीएसओ | अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन |
| आरकेएमपी | रानी कमलापति |
| आरएमजीएम | रामनगरम |
| आरएमयू | रामपुर |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|--------------------|--------------------------------------|
| आरपीएफ | रेलवे सुरक्षा बल |
| आरपीएम | रोयापुरम |
| आरपीयू | रेलवे उत्पादन इकाई |
| आरटीएम | रतलाम |
| आरयू | रेनिगुंटा |
| एसबीसी | बेंगलुरु शहर |
| एससी | सिकंदराबाद |
| एससीआर (दमरे) | दक्षिण मध्य रेलवे |
| एसडीआरएच | उप मंडलीय रेलवे अस्पताल |
| एसजीटीवाई | संकरेल गुड्स टर्मिनल यार्ड |
| एसकेबी | शिकोहाबाद जंक्शन |
| एसएलडीएच | सियालदह |
| एसईआर (दपूरे) | दक्षिण पूर्व रेलवे |
| एसईसीआर (दपूमरे) | दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे |
| एसएलआर | सीट-सह-सामान रेक |
| एसआर (दरे) | दक्षिण रेलवे |
| एसआरपी | श्रीरामपुर |
| सीनियर डीसीएम | वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक |
| सीनियर डीएमओ | वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी |
| सीनियर डीओएम | वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक |
| एसएस | स्टेशन अधीक्षक |
| एसडब्ल्यूआर (दपरे) | दक्षिण पश्चिम रेलवे |
| टीबीएम | ताम्बरम |
| टीसीआर | यातायात वाणिज्यिक और दर |
| टीडीएल | टूंडला जंक्शन |
| टीएसएमएच | तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल, कोलकाता |
| टीवीसी | त्रिवेन्द्रम सेंट्रल |

| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप |
|--------------------|-----------------------------|
| यूबीएल | हुबली |
| यूपीएससी | संघ लोक सेवा आयोग |
| यूएसजी | अल्ट्रासोनोग्राफी |
| यूएसएल | उसलापुर |
| यूटीएस | अनारक्षित टिकट प्रणाली |
| वीकेएम | वाहन प्रति किलोमीटर |
| वीपीएस | पार्सल वैन |
| वीपीएच | उच्च क्षमता वाली पार्सल वैन |
| वीपीयू | हवादार पार्सल इकाई |
| वीएसजी | वास्कोडिगामा |
| डब्ल्यूसीआर (पमरे) | पश्चिम मध्य रेलवे |
| डब्ल्यूएच | कार्यशाला अस्पताल |
| डब्ल्यूएचओ | विश्व स्वास्थ्य संगठन |
| डब्ल्यूआर (परे) | पश्चिम रेलवे |
| वाईपीआर | यशवन्तपुर जंक्शन |

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in